खण्ड-303, अंक-3
सोमवार, 12 चैत्र, शक संवत् 1895
(2 अप्रैल, 1973 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 303 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 2 अप्रैल, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—358

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकांत बाजपेई, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमा शंकर शुक्ल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोमकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय ,श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
केशवराम, श्री (जिला बदायूं)
के ० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री

बासोराम जाटव, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजी लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण' श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
दयकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नर्नसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारीदेवी गुप्ता, श्रीमती
प्यार लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री

भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महाबीर सिंह, चौहान (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रमापति त्रिपाठी, श्री

राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्वि वेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री

राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
बिशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिववचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिर दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सैयद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखबीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री

सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोटः--पंचायती राज मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य एवं राज्य सूचना मंत्री, श्री पी० डी० टन्डन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार 2 अप्रैल, 1973

[23 मार्च, 1973 का स्थगित अल्पसूचित तारांकित प्रश्न]

ओबरा थरमल पावर हाउस में विस्फोट

**1--श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ओबरा थरमल पावर हाउस के कोयला पीसने वाली मिल में 21 नवम्बर, 20 नवम्बर, 6 दिसम्बर, 31 दिसम्बर, 1972 तथा पहली जनवरी, सन् 1973 में भयानक विस्फोट हुए ? यदि हां, तो इस विस्फोट का क्या कारण था, कितनी क्षति हुई और कुल कितने विस्फोट हुए ?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)--

सूचना संलग्न है।

(देखिये परिशिष्ट 'क' आगे पृष्ठ 349 पर)

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक इतने दिन से बराबर विस्फो हो रहे हैं क्या उन्होंने सी० आई० डी० से या एक्सप्लोसिव एक्सपर्टस् से कोई जांच कराई है कि किस बाहरी एजेंसी के द्वारा कोयले में ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

गैरवी कोल के इस्तेमाल करने पर यह विस्फो होते हैं और दूसरा कोयला इस्तेमाल होता है तो वे नहीं होते, इसकी जांच करायी जा रही है और ए० सी० डी० सी० लगाया जा रहा है। जांच हो रही है।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे--

मंत्री जी ने उत्तर टाल दिया, यह कोयला ऐसा है कि जिसमें हानि पहुंचाने के लिये विस्फोटक पदार्थ मिलाना आसान है, क्या उन्होंने पिछले 3 मास में किन्हीं एक्सप्लोसिज एक्सपर्ट्स से जांच करायी कि विस्फोट क्यों और कैसे होते हैं और क्या सी० आई० डी० से इसकी भी जांच करायी कि यह पदार्थ किस एजेंसी द्वारा मिलाया जा रहा है ? मेरा चार्ज है कि बिजली की यहां की व्यवस्था को ठप्प करने के लिये यह तमाशा कराया जा रहा है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जांच के आदेश हो गये हैं, सी० आई० डी० को भी सौंप दिया जायगा। अब उस गैरवो कोयले का प्रयोग बन्द कर दिया गया है। ऐसी बात नहीं है कि प्रिकाशन न ली गई हो। इसका प्रयोग बन्द होने के बाद विस्फोट नहीं हुआ है।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे--

क्या इस कोयले के इस्तेमाल को बन्द करने के बाद भी 2 विस्फोट हुये हैं या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

6-1-73 और 27-2-73 को जो विस्फोट हुए वे गैरवी कोयले के कारण हुए थे।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे--

जब पहला विस्फोट हुआ तो क्यों नहीं इस कोयले को डिस्कन्टीन्यू कर दिया गया और उसका इस्तेमाल 27-2-73 तक होता रहा जिससे लगभग 16.450 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन को क्षति हुयी जब कि यों ही आज बिजली का कष्ट है। मैं जानना चाहता हूं कि पहले विस्फोट के बाद इस कोयले का प्रयोग क्यों नहीं बन्द कर दिया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

19-11-72 से 27-2-73 तक इस कोयले का इस्तेमाल हुआ, इन दिनों कोयले की शार्टेज चल रही थी। जब यह देखा गया कि इस कोयले के कारण ही ये विस्फोट हुए तो इसका प्रयोग नहीं किया गया। उस समय तक यह निश्चय नहीं हुआ था लेकिन जब यह निश्चय हो गया कि इसके कारण ही विस्फोट हुए हैं तो उसका प्रयोग बन्द कर दिया गया।

श्री बीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि एक साल में 11 विस्फोट हुए तो क्या वे बताने की कृपा करेंगे किसकी केमिकल एडवाइस से यह राय हुयी कि खराब कोयला इस्तेमाल किया गया है और मशीनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

एक साल में नहीं 19-11-72 से 27-2-73 तक ये विस्फोट हुए जिनकी जांच के लिए आदेश कर दिये गये हैं। जांच हो रही है।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

जो अवधि माननीय मंत्री जी ने बतायी वह 3 माह की है। इस अवधि में 11-12 विस्फोट हो गये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी जांच एक या दो विस्फोट होने के तुरन्त बाद क्यों नहीं करायी गयी और 11 मर्तबा विस्फोट हो जाने तक क्यों इन्तजार की गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

पहले यह सोचा गया कि संभवतः मशीन में खराबी हो सकती है लेकिन जब यह निश्चय हो गया कि ये विस्फोट कोयले से हो हुए हैं तो इसका प्रयोग बन्द कर दिया गया।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन विस्फोट की जांच के लिए कब आदेश दिए गये और जांच से क्या कोई तथ्य प्रकाश में आये कि य विस्फोट किस कारण से हुए और क्या इसमें किसी एजेन्सी का हाथ था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

देखरेख तो पहले से है। 27-2-73 को एम० सी० डी० सी० और विद्युत् परिषद् के अधिकारियों की एक विशेषज्ञ कमेटी बनाकर उसकी जांच की व्यवस्था कर दी है और सी० आई० डी० द्वारा भी जांच कराये जाने पर विचार किया जा रहा है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

जब कई विस्फोट लगातार हो रहे थे तो क्या उस कोयले को भी एक्जामिन कराया गया ? जो कोयला बाहर पड़ा हुआ था, क्या उसकी भी कोई जांच करायी गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या इस बात की भी जांच करायेंगे कि यह जो कोयला जिन मशीनों में प्रयोग हुआ है, वे रशन मैशीन्स हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जांच में कोई पहलू छोड़ा नहीं जाता है।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे--

मान्यवर कोयला जब खान से निकालते हैं तो उसकी गैसेज को निकाल देते हैं। जब यह कोयला भट्ठी में डाला गया, और जब वह प्रज्वलित हुआ, तो विस्फोट हो गया। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किसी एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट से उस कोयले की राख की जांच करायी गयी थी और नहीं तो क्या जांच करायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, उतनी विस्तृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक्सप्लेसिव एक्सपर्ट या जितने भी संबंधित लोगों का उसमें उपयोग किया जा सकता है किया जायेगा और तथ्य पर पहुंचने का प्रयास किया जायेगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर भेज दें कि कैसे जांच करना चाहिये, तो ये करा देंगे।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, माननीय सदस्य सुझाव दे देंगे, तो उसकी भी जांच हो जायेगी।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये मशीनें किस देश से मंगायी गयीं और क्या उनके इंजीनियर्स से इस संबंध में सरकार न कन्सल्ट किया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अब मैंने पहले कहा कि इसकी जांच के आदेश कर दिये गये हैं अब किसी स कन्सल्ट किया या नहीं, यह तो बाद में पता चलगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि मशीनें किस वेश से मंगाई और क्या विस्फो क बाद उनके इंजीनियर्स से कोई पूंछतांछ की सरकार ने ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अब, जब जांच होगी, तो अपने आप उस संबंध में बात हो जायेगी।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, एक मैंने जवाव पूछा कि मशीनें किस देश से मंगाई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, यह तो अभी नहीं मालूम।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, मैं बता दूं मशीनें रूस से मंगाई गयीं। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इंजीनियर्स से कोई पूछ-तांछ की गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जब जांच होगी, तो निश्चित रूप से पूंछा जायेगा ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो विस्फोट हुआ है, उस समय वहां वे ही अधिकारी काम पर लगाये गये हैं, जिनके जमाने में पहला, दूसरा और तीसरा विस्फोट हुआ ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो नुक्सान बताया गया है, वह रुपये में कितने रुपये का हुआ ह ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो बता दिया कि लगभग 30 हजार खर्च हो चुका ह ।

श्री रामधारी शास्त्री—

वह तो मरम्मत में हुआ । यह जो 16.40 मिलियन यूनिट है, यह नुकसान रुपय में कितने का है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

6 हजार मरम्मत में खर्च हुआ । जो अधिकारी काम कर रहे थे, उनके परिवतन की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, जिस कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, वह विभागीय केमिकल एग्जामिनेशन के बाद किया जाता है । अगर केमिकल एग्जामिनेशन हुआ तो क्या डिपार्टमेंट के लोग दोषी हैं कि नहीं, यह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण--

कोयले के जो इस्तेमाल करने के नियम हैं, उसी हिसाब से उसका इस्तेमाल हुआ । जहां तक दोष का सम्बन्ध है, जब तक अंतिम निर्णय न हो जाय, किसी पर दोष आरोपित करना सम्भव नहीं है ।

श्री यादवेंद्र दत्त दुबे--

मान्यवर, इस मामले में पूरी सफाई नहीं हुई । मान्यवर, इसमें आधे घंट की डिवेट देने की कृपा करें । मैं लिखकर दे दूंगा ।

श्री रामधारी शास्त्री--

मान्यवर, यह मामला बड़ा संगीन है, इस पर बहस होनी चाहिये।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

हिन्डालको तथा सरकार के बीच हुये मुआहिदे को खत्म करने की मांग

** 1--श्री बलबीर सिंह, श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव)--

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हिन्डालको के साथ किये गये अक्तूबर सन् 59 के मआहिदे को खत्म करने का निर्णय 1973 में लिया है ? यदि हां, तो कब से खत्म किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

अक्तूबर, सन् 1959 के मोहायदे को खत्म करने के प्रश्न पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि सम्पूर्ण मामला अभी शासन के विचाराधीन है ।

श्री बलबीर सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि शासन को प्रतिनिहित विधायन समिति की 20 जुलाई, 1972 की रिपोर्ट मिल चुकी है जिसमें उन्होंने यह राय जाहिर की है और यह मांग सरकार से की है कि इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 1949 के अन्तर्गत 1959-60 का हवाला देते हुये जो मुआहिदे शुरू से हुआ वह गलत है, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी अब सरकार किस तरह का विचार कर रही है? मैं इस संबंध में यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसमें लीगल राय ली जा रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट से लिखा पढ़ी हो रही है? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किस प्रकार का विचार हो रहा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जो समिति की रिपोर्ट आई है उस पर शासन विचार कर रहा है और उसी की रिकमेंडेशन के आधार पर इस पर विचार हो रहा है और उसके लिये सेंट्रल गवर्नमेंट या लीगल आस्पेक्ट जैसा भी मुनासिब होगा विचार करना है । अभी किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचा नहीं गया है ।

श्री बलवीर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि अभी इसी सदन में 4-5 दिन पहले इस सबध में प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई थी और सरकार ने प्रस्ताव पेश होने में बाधा डाली और उसको पेश होने नहीं दिया । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की क्या यह नीति चल रही है कि इस प्रश्न को टाला जाय? अगर नहीं, तो कोई निश्चित तारीख मुकर्रर कर सकते हैं कि कौन सी तारीख तक इस पर अंतिम रूप से फैसला ले लिया जायेगा क्योंकि जनता इसमें रुचि रखती है क्योंकि इसमें धनाढ्य लोगों का सम्बन्ध है ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

प्रस्ताव आया था और उस प्रस्ताव पर शासन ने विचार होने नहीं दिया, मान्यवर यह आरोप कम से कम मैं स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं । जैसी कि आपकी आज्ञा हो । यह तो सदन में जब उसका नम्बर आता और समय मिलता तो अपने आप विचार होता । रही अंतिम निर्णय की बात की कि कौन सी तारीख तक निर्णय ले लिया जायेगा तो इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो एग्रीमेंट सन् 1959 में सरकार और हिंडालको के बीच में हुआ था, उस पर क्या अभी कोई एडवोकेट जनरल की ओपीनियन प्राप्त की गई है? यदि हां, तो उन्होंने क्या कहा और यदि नहीं तो क्या उनकी ओपीनियन लेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, इसमें एडवोकेट जनरल की क्या ओपीनियन है इस समय मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने इस संबंध में एडवोकेट जनरल से राय लेने के लिये सुझाव दिया है, वह हम ले लेंगे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

मान्यवर, इस सम्बन्ध में लगातार एसेम्बली में प्रश्न उठाये गये हैं और लगातार सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया जाता रहा है कि विचार किया जा रहा है, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन सी तारीख से यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और अभी कितना समय और लगेगा उनके विचार करने में?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जब से यह सरकार आई है तब से यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । हो सकता है इससे पहले अनेकबार इस प्रश्न पर पहले की सरकार ने विचार किया हो । मान्यवर, प्रदेश की औद्योगिक स्थिति को देखते हुये पहले उन्हें 55 मेगावाट बिजली मिली तो, जब 33 मेगावाट बिजली कर दी गई है और अब भी हम इस पर विचार कर रहे हैं और विभिन्न लोगों स राय लेंगे, कि आगे क्या किया जा सकता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सिद्धांत स्वीकार करती है कि जो एग्रीमेंट हुआ है वह उचित नहीं हुआ और उसको निरस्त होना चाहिये ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

एग्रीमेंट तो बहुत पहले सन् 1956-57 में सरकार से हुआ था । जिन परिस्थिति में उस समय की सरकार ने एग्रीमेंट किया था, उसे आज मैं यह कहूं कि उचित हुआ या अनुचित, यह मैं नहीं कह सकता । अगर आज यह विचार होता है कि इसको समाप्त किया जाय या रेट बढ़ाये जाय तो उस पर कानूनी रूप से राय ली जायेगी।

श्री बलवीर सिंह---

अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको मालूम है कि ला डिपार्टमेंट की राय इसमें हो चुकी है और यह राय है कि यह मुआहेदा गलत हुआ था और सरकार ने किया तो गलत किया ? विद्युत परिषद् के पास यह रिहन्ड बांध अप्रैल, 1959 में आया और यह मुआहिदे अक्तूबर में हुआ है । विद्युत परिषद् के पास यह राय है कि यह कानून के खिलाफ हुआ है । इसी के साथ क्या यह भी सही है कि विद्युत परिषद् को इस मुआहेदे

की वजह से अरबों रुपये का नुकसान हो चका है हालांकि आप 35 करोड़ कहेंगे जो कि गलत है । क्या सरकार विद्यत् परिषद् को इस हानि को इतना रुपया देकर पूरा करने के लिये तैयार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

हानि का कोई सवाल नहीं है जिसके लिये मुआवजा दिया जाय । उस समय विद्युत् परिषद नहीं थी । हाइडिल के पास रिहन्ड था । अब अगर सदन की राय है कि इस मुआहेदे से नुक्सान हो रहा है और विद्युत् परिषद की मांग पर विचार किया जाय और सदन मांग करे कि इस मुआहेदे को खत्म किया जाय और नये रेट्स लगाये जायं तो इस पर कानूनी राय ली जा रही है।

श्री रामधारी शास्त्री--

हिन्डालको को उत्पादन से कम कीमत पर बिजली देने के फलस्वरूप प्रति वर्ष कितना नुकसान हो रहा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

हिन्डालको और कनौरिया को बिजली सस्ती दर पर दी जा रही है । प्रतिनिहित विधान समिति का मैं भी सदस्य हूं । समिति के सामने श्री वेद प्रकाश जी ने पहली जून 1972 को बयान दिया था कि केवल दो महीने का समय चाहिये । मैटर सरकार के कंसी-डरेशन में है और हम टेक अप करने जा रहे हैं । आज अप्रैल 73 है । जब कानून की दृष्टि से यह कंट्रैक्ट अवैध है और दफा 37 के अन्दर भी अवैध कर सकते हैं तो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है और कितना समय और लगेगा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

किसी ने क्या आश्वासन दिया यह तो माननीय सदस्य को ही विशेष जानकारी होगी । जैसा कि मैं पहले सूचित कर चुका हूं इस मामले में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है और लीगल ओपीनियन ली जा रही है । सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कंसल्ट करना पड़ेगा ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कानूनी सलाह के लिये कब भेजा गया और कब तक वह सलाह आ जायगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

कितनी तारीखें बतलाऊं । एल0आर0 से आये दिन सलाह ली जाती है और ली जाती रहेगी ।

श्री ए0 सी0 ग्राइस (जिला कानपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हिन्डालको, जो कि अल्मोनियम के ट्रांसमीशन तार बनाती है, को बन्द कर दिया जाय तो सरकार को कितना नुकसान होगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मानी हुई बात है कि अगर कारखाना बन्द हो जायगा. तो बहुत बड़ा नुकसान होगा ।

श्री रामधारी शास्त्री--

यह प्रश्न नहीं था कि बिजली बन्द कर दी जाये बल्कि यह था कि लागत दर से कम पर न दी जाय ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

शासक दल आज कल टाइम बाउन्ड प्रोग्राम पर विचार कर रहा है। क्या इस प्रश्न के बारे में भी टाइम बाउन्ड होगा। क्या माननीय मंत्री जी इस सदन को स्पष्ट रूप से आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि सन् 1974 के चुनाव के पहले इस प्रश्न पर विचार कर लिया जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आखिरी बात उन्होंने क्या कही, 1974 के चुनाव के पहले, यह समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

क्या इस संबंध में कानूनी फैसला हो जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री बलबीर सिंह—

पहले तो मुख्य मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि राज्य विद्युत् परिषद् की स्थापना अप्रैल, 1959 में हुयी थी और शासन ने हिंडालकों के साथ इकरारनामा 29 अक्टूबर, 1959 को किया था। यह सुधार करना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुए क्या सरकार उनकी क्षति पूर्ति करने को तैयार है और अगर नहीं तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि हिंडालको को टेक ओवर कर ले।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कोई क्षति पूर्ति करने का विचार नहीं है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या यह बात सही है कि प्रतिनिहित विधायन समिति के अन्दर अभी यह आया है कि जब कोई संकटकालीन स्थिति हो जैसे कि इस समय विद्युत् का संकट है तो यह एग्रीमेंट रद्द किया जा सकता है। सरकार ने 1971 के युद्ध के समय आश्वासन दिया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस धारा के अन्तर्गत इस एग्रीमेंट को तोड़ देने में सरकार को कौन सी कठिनाई है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जब कभी संकट आता है तो संकट पर रुख लिया जाता है और वह सबके साथ समान होता है। जब पावर कट हुआ तो उनका भी 55 मैगावाट कम कर दिया गया। इस समय 33 मेगावाट दिया जा रहा है। युद्ध के समय में अल्यूमिनियम की बहुत कमी थी। जब यद्ध होता है तो उसके अवसर पर अल्यूमिनियम की आवश्यकता होती है। अल्यूमिनियम का उत्पादन बन्द करना राष्ट्रीय हित में नहीं है।

सूत खरीदने हेतु बुनकरों को कार्ड की व्यवस्था

**2—श्री शम्भुनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर) तथा श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

क्या सरकार ने राज्य के बुनकरों की निर्धारित दर पर सूत खरीदने हेतु प्रति परिवार कार्ड की व्यवस्था न करके अनेकों परिवारों को मिलाकर एक कार्ड बनाया है जिससे बुनकरों को कठिनाई हो रही है। यदि हां, तो क्यों और इस कठिनाई को दूर करने तथा स्टेपुल सूत की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है तथा स्टेपुल सूत का भाव जनवरी, 1973 में वर्ष दिसम्बर सन् 1972 से कितना अधिक बढ़ गया है ?

परिवहन उपमंत्री (श्री आबिद अली)--

जी नहीं । शासनादेशों के अन्तर्गत प्रत्येक बुनकर उपभोक्ता को अलग-अलग कार्ड देने की व्यवस्था की गई है।

दिसम्बर, 1972 व जनवरी 1973 के बीच मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

आपने प्रथम शासनादेश कब प्रसारित किया और उसकी मुख्य बातें क्या थीं, मंत्री जी कृपया यह बता दें ।

श्री आबिद अली--

तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मेरी यह जानकारी में है कि उस शासनादेश का पालन नहीं हो रहा है । क्या मंत्री जी को यह मालूम है ?

श्री आबिद अली--

तारीख तो मेरे पास नहीं है मगर उस समय यह हुआ था कि हर एक बुनकर का एक अलग कार्ड बना दिया गया और 100 बुनकरों का एक मुखिया बना दिया गया, मुखिया सबका स्टेपल यार्न ले जाता था ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस शासनादेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है? आपने जो मखिया की बात कही है सो 100 का एक कार्ड बना दिया है और मुखिया सूत ब्लैक में बेचता है । क्या मंत्री जी मुखिया की बात को छोड़ कर प्रत्येक परिवार का एक कार्ड सूत के लिये बनवाने की बात पर विचार करेंगे ?

श्री आबिद अली--

हर एक परिवार के फिर से अलग-अलग कार्ड बनाये जा रहे हैं और उसमें से मुखिया को निकाल दिया जायेगा और हर एक कार्ड होल्डर को अलग से सूत मिलेगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

सूत का भाव दिसम्बर, 72 में क्या था और जनवरी, 73 में क्या था ?

श्री आबिद अली--

दिसम्बर, 72 में 20 नवम्बर का भाव 55 रुपया था लेकिन, जनवरी, 73 में 52.50 रुपया हो गया। 52 नवम्बर का दिसम्बर में भाव 57.50 रुपया था और जनवरी, में 56.50 रुपया हो गया है। इसी तरह से कुछ और नम्बरों के दाम घटे हैं। कुल मिलाकर कुछ भाव कम ही हुआ है ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

क्या मंत्री जी कृपाकर बतलायेंगे कि जब हर एक बुनकर का कार्ड अलग हो जावेगा तो उनको सूत कहां से मिलेगा ? कारपोरेशन देगा या प्राइवेट व्यापारी देगा ?

श्री आबिद अली--

टेक्सटायल कारपोरेशन तो हर जिले में सूत पहुंचा देगा और उसके बाद अगर कोई सोसाइटी अच्छा काम करने वाली है या कोई रिटेलर है तो उसके जरिये से एक हजार करघों तक सूत दिलाया जावेगा ।

श्री जयराम वर्मा--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि कारपोरेशन सूत के दाम पर कितना मुनाफा ले रहा है ?

श्री आबिद अली--

अब तक तो वह 1 प्रतिशत कमीशन और जो खर्चा होता है वह लेता है ।

श्री जयराम वर्मा--

क्या यह सही है कि कारपोरेशन इतना दाम चार्ज करता है कि उससे कम प्राइवेट व्यापारी चार्ज करता है ?

श्री आबिद अली--

ऐसी बात तो नहीं है ।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई (जिला बाराबंकी)--

यह जो कार्ड सिस्टम शुरू कर रहे हैं, वह कबतक शुरू हो जावेगा और वह इसका भी ख्याल रक्खेंगे कि जहां पर बुनकरों की ज्यादा तादाद है वहीं पर दुकान कर दी जाय ?

श्री आबिद अली--

यह नया तरीका जो चालू होने वाला है वह इसी महीने में चालू हो जावेगा और जैसा कि किदवई साहब ने कहा है कि जो रिटेलर होगा उसके लिये 1000 करघे होंगे और बुनकर जहां रहते हैं वहीं सूत देगा ।

श्री शफीक अहमद खां--

हर कार्ड होल्डर को एक महीने में कितना कोटा मिलेगा ?

श्री आबिद अली--

जितना भारत सरकार से मिलेगा उसके अनुसार दिया जावेगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

6 नम्बर का भाव आपने नहीं बतलाया है । इसका भाव दिसम्बर 72 में कितना है और अब क्या है ? क्या यह सही है कि जनवरी में 60 नम्बर का भाव 85 था और अब 185 हो गया है ।

श्री आबिद अली--

60 नम्बर के दाम इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या मंत्री जी इसका प्रबन्ध करेंगे कि 1000 करघों के बीच जो रिटेलर होगा वह उसी इलाके का रहने वाला हो ?

श्री आबिद अली--

यह तो नहीं हो सकेगा कि उसी इलाके का हो लेकिन उसी इलाके में बेचेगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

समिति आदि में विधायकों को यात्रा, आवास तथा दैनिक भत्ता

*1—श्री चरण सिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार की ओर से जो समिति, परिषद् आयोग व निगम स्थापित किये गये हैं उनमें जो विधायकगण नामांकित किये गये हैं उनको इस समय यात्रा तथा आवास का किराया व दैनिक भत्ता किस दर से दिया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

अप्रैल, 1971 से फरवरी, 1973 तक की अवधि के संबंध में वांछित सूचना† संलग्न है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

भारतीय खाद्य निगम को लेवी चीनी का कोटा

*1—श्री जितेन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री, बताने की कृपा करेंगे कि इस माह दिसम्बर में भारतीय खाद्य निगम को कितने जिलों की लेवी चीनी का होलसेल कोटा दिया गया है, रामपुर जिले में अभी तक यह कोटा क्यों नहीं उठवाया गया ? क्या इस माह का लेवी चीनी का कोटा रामपुर में भी लेवी चीनी के थोक विक्रेताओं द्वारा ही उठवाने की व्यवस्था करेंगे ?

खाद्य मंत्री (श्री बेनीसिंह)—

दिसम्बर, 1972 में प्रदेश के 24 जिलों का लेवी चीनी का कोटा भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाया गया था । रामपुर जिले का पूर्ण कोटा भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर उठा लिया गया था अतः थोक बिक्रेताओं द्वारा उठवाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला गोंडा में चीनी के सब रिटेलर की नियुक्ति की मांग

*2—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भूतपूर्व जिलाधिकारी गोंडा ने सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक गांवों में सरकारी सस्ते चीनी की दुकान खोले जाने के आदेश किये थे जिसके अनुसार बलरामपुर, तरबगंज, उतरौला तथा गोंडा तहसीलों में जनता से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये हैं ? यदि हां, तो चारों तहसीलों में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये गये और उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री बेनी सिंह—

भूतपूर्व जिला अधिकारी, गोंडा ने ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी वितरण हेतु "सब रिटेलर" नियुक्त करन के आदेश दिये हैं और तहसीलदारों को ग्राम सभावार दुकानदारों के नाम जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में भेजने हेतु निर्देशित किया । किसी से प्रार्थनापत्र

---

†छापी नहीं गयी ।

आमंत्रित नहीं किये गये थे। 27 दिसम्बर, 1972 को जिला अधिकारी, गोंडा की अध्यक्षता में हुई स्टाफ मीटिंग में "सब रिटेलर" की नियुक्ति का प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया है। अतः अब किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं रह जाता है।

[2 अप्रैल, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री राम गोपाल संड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

*2—श्री राम गोपाल संड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

हरदुआगंज (अलीगढ़) बिजली घर का बिजली बोर्ड द्वारा अधिग्रहण तथा गोरखपुर में बिजली उत्पादन केन्द्र की स्थापना

*3—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरदुआगंज बिजलीघर, अलीगढ़ का प्रबन्ध बिजली बोर्ड ने वर्ष 1969 में अपने हाथ में ले लिया? यदि हां, तो तब से मार्च, 1972 तक उस बिजलीघर का विस्तार कितना किया गया और इस अवधि में भारत हैवी इलैक्ट्रिक तथा अन्य संस्थाओं द्वारा कितनी कितनी धनराशि की विभिन्न उपकरण सप्लाई किये गये हैं और वर्तमान समय में इस विद्युत् गृह की अपनी उत्पादन क्षमता क्या है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

हरदुआगंज बिजलीघर का प्रबन्ध उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने 1-4-59 में अपनी स्थापना की तिथि से ही लिया था और वित्तीय वर्ष 1968-69 के बाद से मार्च 1972, तक हरदुआगंज विद्युत गृह की क्षमता में 55 मेगावाट की वृद्धि हुई तथा इसकी अधिष्ठापित क्षमता 210 मेगावाट से 265 मेगावाट हो गई। इस अवधि में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स तथा अन्य संस्थाओं द्वारा 55 मेगावाट (प्रत्येक) की 1 यूनिट सप्लाई किये गये हैं जो चालू हो गई हैं। इन मशीनों की सम्पूर्ति लिये अप्रैल, 1969 से मार्च, 1972 तक उन्हें निम्नलिखित भुगतान किया जा चुका है:—

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स	..	रु0 4,95,77,788
अन्य संस्थाओं को	..	रु0 2,31,32,426

*4—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गोरखपुर जनपद में एक बिजली उत्पादन केंद्र स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है। यदि हां, तो इसकी स्थापना कब होगी?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

गोरखपुर में 2×200 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत गृह की स्थापना के लिये पहले से ही प्राजेक्ट रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग से कुछ पूछ तांछ होने पर और छान बीन की जा रही है।

श्री बंशीधर पांडेय—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो "संसदीय" वाला था चौधरी चरण सिंह का प्रश्न वह है तो नहीं, लकिन उसमें हम सब बहुत दिलचस्पी रखत हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब पास हो गया वह ववेश्चन।

श्री अध्यक्ष—

आखिर में आ जायगा, अगर समय रहेगा ।

श्री बंशीधर पांडेय—

समय उसका 5 मिनट काट कर रख दीजिये ।

श्री मोहम्मद अरार अहमद (जिला बदायूं)—

नियमों को खास तौर से सस्पेंड कर दें यह सभी की मांग है।

श्री अध्यक्ष—

अभी जवाब हो रहा है।

श्री यादवेंद्र दत्त दुबे—

इस प्रश्न में सब लोगों की दिलचस्पी है । अगर 5–7 मिनट निकाल कर दे दें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष—

यह चल रहा है अभी ।

श्री यादवेंद्र दत्त दुबे—

उसके बाद हो जाय ।

(प्रश्न संख्या 3–4 के उत्तर पढ़े गये ।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस विद्युत गृह की वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है और क्या यह लक्ष्य से कम है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

जो 300 मेगावाट की क्षमता का हरदुआगंज का पावर स्टेशन है उसके अगेंस्ट कितने बिजली का उत्पादन इस समय हो रहा है और जो कमी है मशीनों की हरदुआगंज में वह कब तक पूर्ण कर सकेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इस समय केवल 50 मेगावाट की एक मशीन ओवरहाल में है जो इसी हफ्ते कमीशन हो जायगी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

गोरखपुर में जो विचार-विमर्श हो रहा है यह केंद्रीय सरकार का कब भेजा गया है और उसके संबंध में कोई सूचना इसमें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, अभी कुछ ही दिन पहले, निश्चित तिथि नहीं कह सकता, वर्तमान सरकार ने सेंट्रल पावर एंड वाटर कमीशन से अनुरोध किया और उन्होंने इस प्रदेश के बिजली के

संकट को देखते हुए 400 मेगावाट के थरमल स्टेशन की स्वीकृति गोरखपुर में दी है उसके लिए पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है। अब सेंट्रल जल-विद्युत् आयोग द्वारा कुछ जांच हो रही है और आशा है कि शीघ्र ही स्वीकृति हो जायगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसके लिये कितना और कहां स्थान देने जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

पहले यह योजना स्वीकृत हो जाय फिर स्थान चुन लिया जायगा। गोरखपुर में एक छोटा सा बिजली घर तो है ही। 440 मेगावाट के बिजली घर के लिये काफी बड़ी जगह चाहिये। कई करोड़ रुपये की योजना होगी। योजना कमीशन से वह मंजूर हो जाय उसके बाद स्थान चुन लेंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

इस बिजली उत्पादन केंद्र से किन-किन जिलों को बिजली मिलेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

पूर्वी जिलों के लिये विशेष रूप से यह है। उसका विस्तार करके जितनी सप्लाई दे सकेंगे वह देंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न के दो जुज थे। माननीय मंत्री जी ने एक का उत्तर तो दे दिया मगर दूसरे का नहीं दे सके। मैंने यह पूछा था कि जो 300 मेगावाट की क्षमता का पावर स्टेशन है हरदुआगंज का उसमें अब कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैंने बताया कि इस समय हमारी केवल एक 50 मेगावाट की मशीन रुकी हुई है। 250 मेगावाट की जो इन्स्टाल्ड कैपेसिटी है, उसमें लाइन लासेज वगैरह का डिटेल पूछिये तो थोड़ा और कम हो जायगा, लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है।

श्री राम करन सिंह—

जो पिछले वर्ष हड़ताल हुई थी उसमें जो पावर मिर्जापुर से आती है रिहन्द की वह कट गयी थी। उस आवश्यकता को और पूर्वी जिलों में बिजली की कितनी आवश्यकता है उसको देखते हुये इस योजना को जल्दी से जल्दी मंजूर करा कर चालू कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माननीय सदस्य ने देखा होगा कि फाइनेंस कमीशन में भी हमने इसकी मांग की है, अपने बजट में भी हमने इसका जिक्र किया है और योजना आयोग को लिखा जा चुका है बावजूद इसके कि सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन ने इसकी संस्तुति की है और इसके लिये योजना आयोग से बात हो रही है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इसकी मंजूरी वह जरूर दे दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मंत्रीजी ने उत्तर दिया कि गोरखपुर के पावर हाउस से पूर्वी जिलों को बिजली मिलेगा। तो क्या जो उत्तर प्रदेश का ग्रिड बनाया जा रहा है उससे इसको अलग कर देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह तो ग्रिड में ही होगा और सभी को बिजली मिलेगी। यहीं नहीं, हमने मांग की है बुन्देलखंड के लिये 440 मेगावाट के पावर स्टेशन की। इसका भी जिक्र फाइनेंस कमीशन को जो बयान सरकार की ओर से दिया था उसमें है और अपने बजट में भी है और सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन ने उसे भी मंजूर किया है और इसके साथ साथ योजना कमीशन क सामने भी हमारी मांग है। और अगर आपकी कृपा से टेहरी का बन गया तो उससे जो लाखों किलोवाट बिजली हमको मिलेगी वह सब ग्रिड में शामिल हो जायगी।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

आपने पश्चिमी जिलों के लिये भी किसी पावर हाउस को बनाने की मांग की है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आप भूले नहीं है कि नरौरा में आपका सबसे बड़ा बिजली घर होगा जो अब तक थर्मल वगैरह से पैदा होने वाली सब बिजली से अधिक होगी।

श्री बलबीर सिंह—

क्या नरौरा से पैदा होने वाली बिजली दूसरे प्रदेशों को भी देंगे ? यदि हां, तो वह कौन कौन से प्रदेश हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दूसरे प्रदेशों को तो बिजली तभी दी जाती है जब अपने यहां से फाजिल हो जाय। अभी तो हम समझते है कि इतनी बिजली की हमको जरूरत है कि फाजिल नहीं हो पायेगी। अभी दूसरे प्रदेशों से हम बिजली मांग रहे हैं, कोई हमको दे नहीं रहा है, कहते हैं कि हमारे पास फाजिल नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अखिल भारतीय ग्रिड बनने वाला है जिसके अनुसार सबको समान रूप से बिजली मिलेगी, वह कब तक बन जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मुझे इसका ज्ञान नहीं है, यह तो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रश्न करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

इस योजना पर कुल लागत कितनी होगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

पूरा विवरण तो इस समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन दिल्ली में इसी पर अभी विचार हुआ था कि यह योजना 400 मेगावाट की होगी और उसी की स्वीकृति मिली है।

श्री बलबीर सिंह—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसा आश्वासन इस सदन को दे सकते हैं कि इस नरौरा योजना से पैदा होने वाली बिजली अन्य किसी प्रदेश को नहीं दी जायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह आश्वासन यह सरकार नहीं दे सकती और न ही यह सरकार यह करेगी कि न करना चाहेगी, लेकिन इतना ही कह सकता हूं कि पहले हम अपनी जरूरत की पूर्ति करेंगे, उसके बाद दूसरों को दी जायेगी।

पेन्शनर्स के महंगाई भत्ते आदि को केन्द्रीय सरकार के समकक्ष लाने की मांग

*5—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार प्रदेश के पेंशनर्स के महंगाई भत्ता, पेंशन गृह्यि तथा अन्य मेडिकल आदि की सुविधाओं के संबंध में केंद्रीय सरकार के पेंशन के समकक्ष लाने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

वित्त उपमंत्री (डाक्टर सियाराम गंगवार)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, हमारे यहां जो पेंशन पाने वाले लोग हैं वे कोई आन्दोलन वगैरह भी नहीं कर सकते और केंद्रीय सरकार ने वहां के पेंशन पाने वालों की पेंशन आदि में काफी बढ़ोत्तरी क है । मिनिमम 60 रुपये कर दिये हैं और 10 रुपये और अतिरिक्त वद्धि अभी की है । तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी अपने यहां के पेंशन पाने वालों को भी वही सुविधायें आदि देने के प्रश्न पर पुनः विचार करेंगे जो इस समय केंद्रीय सरकार को प्राप्त हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माननीय सबस्य का यदि यह सुझाव है कि विचार करो तो हम जरूर विचार कर लेंगे ।

श्री नित्यनन्द स्वामी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इन लोगों को मेडिकल सुविधायें वही प्रदान करने के लिये अविलम्ब कोई आदेश जारी करेंगे जो सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त है क्योंकि वद्ध लोगों को ही उसकी अधिक जरूरत पड़ती है और इस सुविधा के देने पर कोई विशेष वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आपके इस सुझाव पर भी विचार कर लूंगा।

सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों को छात्रवृति

*6—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की है और किन आधारों पर छात्रवृत्ति कक्षा 6 से लेकर स्नातक कक्षाओं तक दी जाती है ? इन मान्यता प्रदान जातियों की सूची क्या सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

वन उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

प्रश्न में उल्लिखित मान्यता प्राप्त अन्य पिछड़ी जातियां जिन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है संलग्न सूची में दर्शित है ।

उक्त जातियों के छात्रों एवं छात्राओं को निम्नलिखित आधार पर छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जाती हैं—

(1) पूर्व दशम कक्षाओं में 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां योग्यता के आधार पर, 25 प्रतिशत छात्राओं को तथा शेष 25 प्रतिशत निर्धनता के आधार पर स्वीकृत की जाती है।

(2) दशमोत्तर कक्षाओं में अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को केवल योग्यता के आधार पर स्वीकृत की जाती है । इन छात्रवृत्तियों के लिये धनराशि सीमित होने के फलस्वरूप कम आय के आधार पर वरीयता प्रदान की जाती है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 350 पर)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

(उत्तर पढ़ने से पूर्व) श्रीमन्, इसे स्थगित कर दें । इसका उत्तर अभी-अभी प्राप्त हुआ है । इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न निहित है ।

श्री अध्यक्ष—

फिर यह 15 दिन के लिये टल जायेगा । आप प्रश्न पूछ लें ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार यह बतायेगी कि आपने जो यह कहा कि योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है, किस नियम या अधिनियम या आदेश के अनुसार छात्रवृत्तियों का आधार आर्थिक पिछड़ेपन के बजाय योग्यता को निर्धारित किया गया है ?

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, यह उसी आधार पर नियम बनाया है छात्रवृत्तियों का ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

यह कोई जवाब नहीं है, किस जी० ओ० के अनुसार यह किया गया है वह आप साफ साफ पढ़कर सुना दें?

श्री गुलाब सिंह—

अधिनियम तो कोई ऐसा नहीं है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

कोई शासनादेश है ? तो उसको ही पढ़कर सुना दें ।

श्री गुलाब सिंह—

गवर्नमेंट आफ इंडिया का एक जी० ओ० है, जिसमें स्लैब दिये हैं 2000 और 1500 रुपये की इंकम के, उसी के आधार पर रखा है उन्होंने, उसी के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट ने रखा है, उसी आधार पर दिया जाता है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

जो भारत सरकार का जी० ओ० है क्या उसको पढ़कर आप सुनायेंगे?

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, वह इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मुसलमानों में धोबी जाति है, वह भी क्या पिछड़ी हुई जाति में है ?

श्री गुलाब सिंह—

इनमें हिन्दुओं की 37 जातियां हैं और 21 मुसलमानों की पिछड़ी हुई जातियां हैं ।

श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

पिछड़ी हुई जाति का आधार उनका आर्थिक पिछड़ापन था, किन्तु अब उनको छात्रवृत्ति योग्यता के आधार पर दी गई है, तो क्या सरकार उनको छात्रवृत्ति अब योग्यता के आधार के बजाय आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर प्रदान करने की कृपा करेगी ?

श्री गुलाब सिंह—

इसमें विचार कर लिया जाएगा।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि—

क्या माननीय हरिजन कल्याण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति महोदय ने सन् 52 में एक आदेश प्रकाशित किया था कि हरिजन जातियों की सूची में केवल वही जातियां शामिल हैं जिनका रिवाज हिन्दुवाना है, तो यहां हरिजनों की सूची में जो लालबेगी एक जाति शामिल है, क्या उसका भी रिवाज हिन्दुवाना है ? यदि नहीं तो वह उसमें शामिल कैसे है ? क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जो सूची में है वह सूची में है अब उनकी रिवाज क्या है इसका तो पता नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

जो अनुवाद उन्होंने दिया है, उसमें क्या शेड्यूल्ड कास्ट्स और पिछड़ी हुई जातियां सब शरीक हैं ? यदि हां, तो इसमें से कितना शेड्यूल्ड कास्ट्स के जातियों के लोगों को दिया गया और कितना अन्य पिछड़ी हुई जातियां का है ?

श्री गुलाब सिंह—

माननवर, यह प्रश्न पिछड़ी हुई जातियों के सम्बन्ध में पूछा गया था और उन्हीं का बताया गया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि आर्थिक पिछड़ापन इन बैकवर्ड जातियों का आधार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह पिछड़ी हुई जातियां जो हैं, यह बैकवर्ड कमीशन से तय हुआ है, उसी के अनुसार माना गया और उसी के अनुसार रखा गया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

पिछड़ा आप उनको मानें जो इकानमिकली बैकवर्ड हैं, चाहे वह किसी जाति के हों, क्या माननीय मुख्य मंत्री इस बात पर विचार करने को तैयार हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह पालिसी का सवाल है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े तो हर जाति के लोग हैं, कोई एक ही जाति के नहीं हैं, लेकिन बैकवर्ड क्लास कमीशन ने जिन लोगों को पिछड़ी जाति कहा है उनको पिछड़ी जाति मान लिया गया। यह प्रश्न जो उठाया है, सारा का सारा फिर से उठाया जाय कि हर जाति में कौन-कौन ऐसे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, सब पिछड़ी जाति में जोड़ दिये जायं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जब आपने सूची में कह दिया कि इतनी जातियां पिछड़ी हैं, उन्हें छात्रवृत्ति देते हैं, तो योग्यता का आधार कैसे मान लिया ?

श्री गुलाब सिंह—

पिछड़ी जाति के जितने लोग हैं उनको सम्मिलित करते हुए योग्यता के आधार पर दिया जाता है जो लिस्ट में हैं।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दिन ठीक याद नहीं है। माननीय बलदेव सिंह आर्य जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इनकम स्लैब फिक्स किया है, 1,500 रुपये तक है उनको दिया जायगा, माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि योग्यता के आधार पर दिया गया है। क्या गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इनकम का आधार फिक्स किया था, योग्यता का आधार आपने तय कर दिया दोनों बातों में कौन बात सही है कौन बात गलत है ?

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, इनकम का स्लैब गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ 1,500 और 2000 रुपये का तय किया है। 1,500 रुपये को आधार मानते हुए जो प्रिफरेंस दिया जाता है, सभी को स्कालरशिप देने के लिए हमारे पास समुचित साधन नहीं हैं, हम कुछ लोगों को स्कालरशिप दे सकते हैं, उसके आधार पर, वही लोग आते हैं जो अच्छे विद्यार्थी हैं, अगर उनको स्कालरशिप नहीं दिया जायगा तो वह वंचित रह जायंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट रह गये हैं। पहला प्रश्न बहुत इम्पार्टेन्ट है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसका जवाब दिलवा दें। उसमें हम लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। सदन के विधायकों से सम्बन्धित मामला है।

श्री अध्यक्ष—

अभी तक नियम यह है कि जब सब समाप्त हो जायंगे तो आप ले सकते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

सब प्रश्न खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन इम्पार्टेन्ट हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब देख सकते हैं आप। जवाब आप देखना चाहते हैं तो जवाब आपको मिल जायगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

इस पर बहस होनी चाहिए। आपसे अनुरोध है कि 49 में स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं नियमों के बाहर इजाजत नहीं दूंगा। आप प्रश्न पूछिए।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि यह जांच कराएंगे कि उत्तर प्रदेश में भरों की जाति कही जाती है, न वह शेडयूल्ड कास्ट्स में हैं न बैकवर्ड क्लासेज में हैं उसके बारे में कुछ उपाय करेंगे, कई बार मांग हो चुकी है ?

श्री कमलापति तिपाठी—

माननीय सदस्य इसको जानते होंगे । अखिल भारतीय भर सम्मेलन ने यह प्रस्ताव किया था कि हमको शेडयूल्ड कास्ट में रखा गया है हमको उससे निकाल दिया जाय, हम लोग शेडयूल्ड कास्ट नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं जिनका बहुत बड़ा राज्य रहा है, इस वजह से उनको शेडयूल्ड कास्ट से निकाल दिया गया। बेचारे फिर से मांग कर रहे हैं कि अब हमको शेडयूल्ड कास्ट में भरती कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

सहसों भोपतपुर (इलाहाबाद) की बैठक में हरिजन छात्रवृति बढ़ाने की मांग

*7—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या हरिजन सहायक मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 8 अक्तूबर, 1972 को तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद के ग्राम सहसों भोपतपुर में रविदास सभा हुई जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में जिलाधिकारी इलाहाबाद ने भाग लिया और उनको सर्व सम्मति प्रस्ताव व ज्ञापन हरिजनों की स्थानीय समस्याओं तथा छात्रवृत्ति की दर में तिगुनी वृद्धि करने और नौकरियों में कोटा पूरा करने के लिये दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार को वह प्राप्त हुआ है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत सभा में जिलाधिकारी, इलाहाबाद को कोई ज्ञापन नहीं दिया गया और न उन्हें कभी उक्त ज्ञापन अथवा सभा में पारित प्रस्तावों (जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित है) की प्रतिलिपि प्राप्त हुई।

अन्य प्रश्न नहीं उठते।

जिला कानपुर में कंजर परिवारों के लिये विमुक्त जाति पुनर्वास योजना

*8—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले के ग्राम रसूलाबाद, बैरी, महिपालपुर, पिलखिनी, रनियां, शंकरपुर, लड्डूआपुर, मंगलपुर के 217 कंजर परिवारों की विमुक्ति जाति पुनर्वास योजना के अन्तर्गत बसाये जाने हेतु मकानों के नक्शे व स्टीमेट वर्ष 1971 में जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी महोदय कानपुर को संस्था की ओर से प्रेषित किये गये थे ? क्या वे शासन को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्राप्त सूचना के अनुसार 217 कंजर परिवारों को विमुक्त जाति पुनर्वास योजना के अन्तर्गत बसाये जाने के विषय में जिलाधिकारी, कानपुर को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसके साथ 151 परिवारों के नक्शे व एस्टीमेट थे तथा शेष 66 परिवारों की केवल सूची प्राप्त हुई थी तथा नक्शे व एस्टीमेट प्राप्त नहीं हुये थे। इस सम्बन्ध में निदेशक हरिजन तथा समाज कल्याण एवं जिलाधिकारी कानपुर के बीच में पत्र-व्यवहार के फलस्वरूप जिलाधिकारी द्वारा निदेशक को दिसम्बर, 1972 में केवल ग्राम बैरी महिपालपुर के 68 कंजर परिवारों को औद्योगिक कारोबार पर बसाये जाने के लिये प्रस्ताव तथा नक्शे एवं एस्टीमेट भेजे गये। चूंकि विमुक्त

नोटः—तारांकित प्रश्न 6 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

जाति पुनर्वास योजना के अन्तर्गत किये गये प्राविधान में से सीमित धनराशि उपलब्ध थी अतः उपरोक्त जिलाधिकारी के प्रस्ताव के आधार पर निदेशक द्वारा केवल 19 परिवारों को उद्योग धन्धे पर पुनर्वासित करने हेतु 16-3-73 को 95,000 रु0 की धनराशि की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं।

जिला कानपुर में शकर का कोटा

*9—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर के लिये प्रतिमाह कितनी बोरी शकर का कोटा दिया जाता है उसमें से नगर और जिले में अलग-अलग कितनी-कितनी बोरियां वितरित की जाती हैं? क्या यह सही है कि नगर और जनता को दी जाने वाली मात्रा में भारी अन्तर है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? और इसके सुधार के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बेनी सिंह—

कानपुर जिले, देहात एवं नगर क्षेत्र को दी जाने वाली मासिक चीनी की मात्रा की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

भारत सरकार जनता के वरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ही लेवी चीनी का कोटा आवंटित करती है अतएव कोटे में किसी अन्तर का प्रश्न ही नहीं उठता। इस स्थिति में सरकार द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न भी नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 351 पर)

सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी बरेली के विरुद्ध शिकायत

*10—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक शिकायत श्री रूपराम, सदस्य, विधान सभा ने सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी, बरेली के विरुद्ध उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में माह जुलाई, अगस्त, 1972 में क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ को भेजी थी, तबसे अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह सही है कि जुलाई, 1972 में, श्री रूपराम दिनकर, सदस्य, विधान सभा, ने बरेली के तत्कालीन स्थानापन्न सहायक क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, श्री जे0 सी0 गंगवार, के विरुद्ध कुछ शिकायतें क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ को भेजी थी। इन शिकायतों की जांच बरेली के उप क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक द्वारा करायी गयी थी। जांच के फलस्वरूप एक के अतिरिक्त अन्य सभी आरोप निराधार पाये गये। उक्त एक आरोप, जो उनके द्वारा कार्यालय के एक कमरे में निवास करने से सम्बन्धित है, सही पाया गया। श्री गंगवार ने 18 दिसम्बर, 1972 को वह कमरा खाली कर दिया था। उनके अवस्थान की अवधि का किराया उनसे वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है। उन्हें इस बारे में सचेत भी कर दिया गया है।

क्षेत्रीय खाद्य नियत्रक लखनऊ के अधीन कार्यालय बरेली के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*11—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक लखनऊ के अधीन भुगतान कार्यालय बरेली में कितने कार्यरत कर्मचारियों को तीन वर्ष से अधिक हो गये ह? उनका स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

बरेली में स्थित क्षेत्रीय लेखा अधिकारी के कार्यालय में केवल 5 कर्मचारी ऐसे हैं जो वहां 3 वर्ष से अधिक की अवधि से कार्यरत हैं । ये सभी कर्मचारी अराजपत्रित हैं। अराजपत्रित कर्मचारियों को 3 वर्ष के उपरान्त स्थानान्तरित करना किसी भी शासनादेश के अनुसार सामान्यतः अनिवार्य नहीं है।

*12--श्री मोहनलाल कपूर तथा श्री रामनिहोर राय--

[5वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*13--श्री मोहम्मद असरार अहमद--

[स्पटीकरण के अभाव में निरस्त]

उत्तर प्रदेश कोषागार में चतुर्थ श्रेणी के स्थायी व अस्थायी पद

*14--श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कोषागारों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद हैं? इन पदों में से कितने पद अस्थायी हैं तथा कितने पद स्थायी है? अस्थायी पदों पर कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी किया गया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उत्तर प्रदेश के कोषागार कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कुल 232 पद हैं जिनमें से 86 पद अस्थायी तथा 146 पद स्थायी है । केवल स्थायी पदों पर ही कर्मचारियों को स्थायी किया जाता है। अतः अस्थायी पदों पर किसी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को स्थायी नहीं किया गया है।

*15--श्री कल्याण सिंह--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जिला कारागार सुल्तानपुर में गोली कान्ड

*16--श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़), श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ), श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर) तथा श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि दिनांक 7 जनवरी, 1971 को जिला कारागार, सुल्तानपुर में हुये गोलीकांड में लगभग 50 हवालातियों को चोटें आई थीं किन्तु उसी दिन उनकी चोटें दर्ज नहीं कराई गईं और दिनांक 9 जनवरी, 1971 तक उनकी चिकित्सा की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई और दिनांक 10 जनवरी, 1971 को आई0 जी0 कारागार, उत्तर प्रदेश ने सुल्तानपुर जाकर तत्कालीन सिविल सर्जन, सुल्तानपुर द्वारा उपरोक्त हवालातियों की डाक्टरी मुआयना कराके चोटें दर्ज कराईं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

कारागार मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

हां यह सच है । तत्कालीन कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ने घायलों के डाक्टरी मुआयना और चोटों के इन्दराज किये जाने में शिथिलता बरते जाने के लिये तत्कालीन कारागार अधीक्षक डा0 बी0 आर0 चौधरी को दोषी ठहराया था। उन्हें सुल्तानपुर जेल से तत्काल हटाकर चिकित्सा विभाग वापस कर दिया गया था? चिकित्सा विभाग ने उन्हें निलम्बित कर दिया था और उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में जांच अधिकारी की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री गिरजाशंकर सिंह, प्रधान लिपिक, बिक्रीकर, के विरुद्ध सी० आई० डी० की जांच

*1[illegible]--श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार ने श्री गिरजा शंकर सिंह, प्रधान लिपिक, न्यायाधीश (पुनरीक्षण), बिक्री-कर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराई थी और इस जांच में उनको दोषी पाया गया था तथा इसी कारण सरकार ने उनको इस पद से हटाने के आदेश उनको मुअत्तली के बाद शासनादेश सं0 एस0 टी0-7145/दस--973(1)-66, दिनांक जनवरी 14, 1970 द्वारा दिये थे? यदि हां, तो क्या इस बहाली के बाद श्री सिंह अभी तक उसी पद पर कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी हां। श्री गिरजा शंकर सिंह, प्रधान लिपिक, कार्यालय न्यायाधीश (पुनरीक्षण), बिक्री-कर के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करवाई गयी थी। जांच के फलस्वरूप कुछ आरोपों के बारे में श्री सिंह को आंशिक रूप से दोषी पाया गया था और शासनादेश दिनांक 14 जनवरी, 1970 द्वारा उनको उसी पद पर बहाल करते हुए न्यायाधीश (पुनरीक्षण), बिक्री-कर से कहा गया था कि वे प्रशासनिक दृष्टि से श्री सिंह के उक्त पद से स्थानान्तरण के लिए अपना प्रस्ताव शासन को भेजें। श्री सिंह का स्थानान्तरण उक्त पद से कर दिया गया है।

जिला गोरखपुर व देवरिया के व्यापारियों को बिना उद्योग ही शीरे का लाइसेंस

*18--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के उपमंत्री श्री रामपूजन पटेल ने अक्तूबर-नवम्बर 1972 में जिला देवरिया एवं गोरखपुर के ऐसे व्यापारियों द्वारा किये जा रहे करोड़ों रुपये से घोटाले को पकड़ा जिसमें 1 लाख क्वीन्टल शीरे का लाइसेंस इन लोगों को बिना उद्योग के ही दे दिया गया था? यदि हां, तो व्यापारियों एवं विभाग के सम्बन्धित सहायक कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

यह सही है कि अक्तूबर 72 में उपमंत्री आबकारी, श्री रामपूजन पटेल ने देवरिया तथा गोरखपुर जिले में उन औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया था जिन्हें उद्योग विभाग की संस्तुतियों के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा शीरा आवंटित किया गया था तथा कुछ अनियमितायें पायीं।

उक्त इकाइयों के निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित सभी अनियमितताओं के बारे में उद्योग विभाग द्वारा कार्यवाही होनी थी अतः आगामी कार्यवाही करने के लिए कह दिया गया है।

चूकि अधिकांश इकाइयां छोटा उद्योग की थी अतः आबकारी विभाग ने इस उद्योग के लिये शीरा न आवंटित करन का भी निर्णय लिया है।

*19--श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री सच्चिदानन्द, श्री राम प्रसाद देशमुख, श्री सईद मुर्तजा तथा श्री धर्मवीर सिंह--

[16वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला जेल बाराबंकी के अस्थायी बन्दी रक्षकों का वेतन भुगतान

*20--श्री जयराम वर्मा--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि जिला जेल बाराबंकी के अस्थायी बन्दी रक्षकों को गत 11-12 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

अब भुगतान केवल दो बन्दी रक्षकों को छोड़कर शेष को कर दिया गया है। उक्त दो बन्दी रक्षक पहले ही त्याग पत्र देकर चले गये थे। उनको भुगतान किये जाने की कार्यवाही हो रही है। पदों की स्वीकृति के अभाव में भुगतान नहीं हो पाया था।

खाद्य तथा रसद विभाग में अधिकारियों के पद पर अनुसूचित जाति का कोटा

*21---श्री सियाराम (जिला एटा)---

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय हाट अधिकारी, उपक्षेत्र हाट अधिकारी, ज्येष्ठ हाट अधिकारी निरीक्षक, हाट निरीक्षक के कितने पद हैं? उनमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं और क्या उनका आरक्षित कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी सिंह---

वांछित सूचना संलग्नक में सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 352 पर)

लोकल फण्ड आडिट डिपार्टमेन्ट में असिस्टेन्ट एक्जामिनर के पदों पर नियुक्ति

*22---श्री मोहन लाल कपूर---

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1972 में स्थानीय निधि परीक्षण विभाग (लोकल फण्ड आडिट डिपार्टमेंट) में सहायक परीक्षकों (असिस्टेंट एक्जामिनर) के पदों पर नियुक्ति हेतु गठित की गई चयन समिति की संस्तुतियों पर अब तक नियुक्तियां न किये जाने के क्या कारण हैं और क्या यह सही है कि सहायक परीक्षकों को पदों पर तदर्थ नियुक्तियां करने में कुछ वरिष्ठ सीनियर आडीटरों की अपेक्षा कनिष्ठ सीनियर आडीटरों की नियक्तियां की गई हैं? यदि हां, तो इसका आधार क्या है?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के सहायक परीक्षक पदों के चयन के पूरे परिणाम शासन को काफी विलम्ब से प्राप्त हुए थे। आयोग की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात् प्रशासकीय आदेश निर्गत कर दिए गए हैं।

जी हां, तदर्थ नियुक्तियां, नियुक्ति अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 41/5-71, दिनांक 30 नवम्बर, 1971 के अनुसार की जाती हैं और उक्त आदेशों के आधार पर ही इस विभाग में तदर्थ नियुक्तियां करने में केवल वे ही सीनियर आडिटर छोड़ दिए गए हैं जो चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि के आधार पर सर्वथा अनुपयुक्त पाए गए अथवा जो विभाग के बाहर प्रतिनियुक्त होने के कारण तदर्थ नियुक्ति के लिए तत्काल उपलब्ध नहीं थे।

मोटे अनाज के परमिट के बारे में शिकायत

*23---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि मोटे अनाजों के लेवी मिलों से मुक्त मिलों में अनाज ले जाने के लिये किसानों को परमिट नहीं दिये जा रहे हैं जबकि व्यापारियों को 50 प्रतिशत लेवी से मुक्त अनाज दूसरे स्थानों को ले जाने के लिये अनुमति-पत्र दिये जा रहे हैं?

श्री बेनी सिंह---

जी नहीं।

विद्युत् कर्मचारियों को एरियर भुगतान में विलम्ब

*24--श्री हरिदत्त कान्डपाल (जिला अल्मोड़ा)--

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि गत दिवाली के अवसर पर बेजबोर्ड द्वारा नियत एरियर जो कि प्रदेश के समस्त विद्युत कर्मचारियों को दे दिया गया है केवल विद्युत अनुरक्षण उपखंड चतुर्थ उन्नाव के उन कर्मचारियों को जो किसी समय विद्युत अनुरक्षण उपखंड पंचम में कार्यरत थे एरियर की तीसरी किस्त अब तक नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ? इस विलम्ब के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है तथा अब उक्त एरियर कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

विद्युत अनुरक्षण उपखंड चतुर्थ उन्नाव के उन कर्मचारियों को जो किसी समय विद्युत अनुरक्षण उपखंड पंचम उन्नाव में कार्यरत थे, को बेजबोर्ड द्वारा नियत एरियर की तीसरी किस्त का भुगतान माह जनवरी, 1973 में कर दिया गया है। केवल दो कर्मचारियों को एरियर का भुगतान न किया जा सका है। क्योंकि इस समय परिषद् की सेवा में नहीं हैं और इनका वर्तमान पता मालूम नहीं है।

एरियर के भुगतान म कुछ बिलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों को चेतावनी दे दी गयी है।

जल विद्युत् विभाग के सुपरवाइजरों की नियुक्तियों में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिये आरक्षण की मांग

*25---श्री कृष्ण स्वरूप वश्य (जिला बदायूं)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जल विद्युत विभाग के सुपरवाइजरों की नियुक्तियों में राजाज्ञा सं0 43/SC--C, नियुक्ति-4 दिनांक 18 जुलाई, 1972 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के लिये 10 प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं। क्योंकि शासनादेश परिषद् पर स्वशासित संस्था होने के नाते लागू नहीं होते।

खाद्य तथा रसद विभाग के मार्केटिंग इन्सपेक्टर तथा सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर का स्थायीकरण

*26--श्री राम सागर (जिला जौनपुर)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य तथा रसद विभाग के मार्केटिंग इन्सपेक्टर तथा सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर का स्थायीकरण वर्ष 1967 तक के लोगों का कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा उसे कब तक करने का विचार सरकार का है ?

श्री बेनी सिंह--

जी नहीं। इस समय मार्केटिंग इन्सपेक्टर के 366 तथा सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर के 225 स्थायी पद उपलब्ध हैं। इन पदों के विरुद्ध जिन कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया गया है सभी 1967 के पहले ही सेवा में आ चुके थे। अन्तिम कर्मचारी जिसे मार्केटिंग इन्सपेक्टर के पद पर स्थायी किया गया है, वर्ष 1959 में नियुक्ति मिली थी तथा अन्तिम कर्मचारी जिसे सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर के पद पर स्थायी किया गया है, को वर्ष 1943 में सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर के पद पर नियुक्ति मिली थी। खाद्य तथा रसद संगठन लगभग 17 वर्ष

तक अस्थायी था। 1959 में इस संगठन को स्थायी घोषित किया गया उसके बाद ही स्थायीकरण से संबंधित प्रारम्भिक कार्यवाहियां जैसे ज्येष्ठता निर्धारण, चरित्र पंजिकाओं की जांच आदि का कार्य हाथ में लिया गया जिसमें काफी समय लगा क्योंकि शासन के सम्मुख न केवल मार्केटिंग इन्सपेक्टर तथा सीनियर इन्सपेक्टर के पदों पर स्थायीकरण का मामला विचाराधीन था बल्कि इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले समस्त संवर्गों का मामला विचाराधीन था। चूंकि स्थायीकरण संबंधी कार्यवाही को विलम्ब से हाथ में लिया गया इसी कारण अभी 1967 तक के मार्केटिंग इन्सपेक्टरों तथा सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टरों को स्थायी घोषित करना सम्भव नहीं हो सका है। शासन का सर्वदा यह प्रयास रहा है कि स्थायीकरण का कार्य शीघ्र सम्पन्न हो परन्तु स्थायीकरण के कार्य की विशालता के कारण 1967 तक के लोगों को स्थायी घोषित करने में अभी काफी समय लग जायेगा।

मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी सहकारी समितियों के सीनियर आडीटरों के स्थानान्तरण की मांग

*27—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी सहकारी समितियों के अन्तर्गत जितने ज्यष्ठ सम्प्रेक्ष (सीनियर आडीटर) गत पांच वर्षों से लखनऊ जनपद में कार्य कर रहे हैं तथा उनका स्थानान्तरण किस कारण नहीं किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

केवल ज्येष्ठ लेखा परीक्षक (ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक)। उक्त ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, लखनऊ में दिनांक 3-11-1966 से तैनात हैं। इस बीच वे 18-5-70 से 7-10-71 तक दुर्घटना के कारण अवकाश पर रहे। अवकाश से लौटने पर उनको तुरन्त स्थानान्तरित करना मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं समझा गया।

एस० ई० तथा एम० ई० एस० की विभागीय परीक्षा फल में अनियमितताओं की शिकायत

*28—श्री भानी यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे विगत मास अगस्त, 1972 एस0ई0 तथा एम0 ई0 एस0 की विभागीय परीक्षाओं के घोषित-परीक्षाफल के संबंध में बरती गई अनियमितताओं से संबंधित कोई प्रतिवेदन विभागीय कर्मचारियों द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, सभी प्रत्यावेदनों की जांच उप मुख्य अभियन्ता, ओबरा ने की थी, और सभी शिकायतों को निराधार पाया गया।

*29—श्री मनोहर लाल—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि० सहारनपुर के कर्मचारियों का केडर

*30—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या विद्युत मत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत परिषद् द्वारा 14/15 दिसम्बर, 1972 को सहारनपुर इलेक्ट्रिक कं0 लि0 का अपने अधीन कर (टेक ओवर) लेने के बाद क्या सभी

उक्त कम्पनी में कार्यरत कर्मचरियों व इंजीनियरों आदि को जो स्थायी थे व नियमित केडर में थे उसी प्रकार स्थायी व नियमित केडर में नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा सहारनपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के लिये जाने पर कम्पनी के कर्मचारियों को परिषद् की सेवा में फिलहाल निःसंवर्ग पदों पर लिया गया है।

आबकारी विभाग गोरखपुर के सिपाहियों का स्थानान्तरण

*31--श्री राम लाल चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर कमिश्नरी में आबकारी विभाग में कितने सिपाही ऐसे हैं जो एक ही जगह पर 5 वर्ष से अधिक दिनों से पड़े हैं और उनका स्थानान्तरण नहीं किया जाता ? यदि हां, तो क्यों ? और क्या यह भी सही है कि 30 सितम्बर, 1972 को कुछ सिपाहियों के तबादले का आदेश सहायक आबकारी आयुक्त गोरखपुर द्वारा किया गया और फिर 9 अक्तूबर, 1972 को स्थगित घोषित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

गोरखपुर चार्ज में केवल 130 सिपाही हैं। 12 सिपाही ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण जनहित में नहीं किया गया है।130 सितम्बर, 1972 को 14 सिपाहियों के स्थानान्तरण के आदेश हुए। राजकीय कार्य के हित में इनमें से केवल 3 का आदेश स्थगित एवं एक का निरस्त किया गया।

बेहटा (सीतापुर) के विद्युतीकरण की मांग

*32--श्री कृष्ण कांत अवस्थी (जिला सीतापुर)--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद के सबसे पिछड़े हुए निर्वाचन क्षेत्र बेहटा की विद्युत् संबंधी जो योजना बनाई गई है उसे कार्यान्वित करने में विलम्ब के कारण क्या है और इस निर्वाचन क्षेत्र बेहटा के अन्तर्गत इस रजत जयंती वर्ष में किन-किन गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

सीतापुर जनपद के अन्तर्गत बेहटा निर्वाचन क्षेत्र के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना प्रस्तावित है उसकी स्वीकृति ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। रजत जयंती वर्ष के लिये अलग से इस निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामों के विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं है।

कारागारों में नियुक्त अध्यापकों की सीनियारिटी की बाबत शिकायत

*33--कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न कारागारों में नियुक्त शिक्षा विभाग द्वारा जे0 टी0 सी0 प्रशिक्षित शिक्षा अध्यापकों को अशिक्षित अध्यापकों से जूनियर घोषित किया गया है और दिनांक 28 मई, 1968 तथा उसके बाद जे0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों को प्रधानाचार्य अध्यापक के पद पर पदोन्नति न देकर अप्रशिक्षित अध्यापकों को पदोन्नति दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी नहीं ।

गोविन्द बल्लभ पंत पालीटेक्निक, मोहान, लखनऊ के अध्यापक

*34--श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार बतायेगी कि गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक, सेटिलमेंट आर्यनगर मोहान रोड, लखनऊ में इस समय कितने ऐसे अध्यापक हैं जो स्थायी हैं और कितने ऐसे अध्यापक सेवामुक्त हो चुके हैं जो अन्त तक स्थायी नहीं हो सके ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रश्नगत पोलीटेकनिक में 34 अध्यापक (7 राजपत्रित एवं 27 अराजपत्रित) कार्य कर रहे हैं और ये अध्यापक अस्थायी हैं ।

केवल एक अस्थायी अध्यापक गत वर्ष सेवा निवृत्त हुआ है।

आयुर्वेद महाविद्यालय भारती विद्यापीठ, खेतासराय (जौनपुर) में हरिजन छात्रवृति

*35--श्री बनारसी राम (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि आयुर्वेद महाविद्यालय भारती विद्यापीठ, खेतासराय, जौनपुर के हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति 27 रु0 दी जाती है जब कि होमियोपैथिक जौनपुर के विद्यार्थियों को 60 रु0 दी जाती है । यदि हां, तो उपरोक्त विद्यार्थियों को 27 रु0 छात्रवृत्ति देने का क्या कारण है ? क्या होमियोपैथिक या आयुर्वेदिक विद्यार्थियों को बराबर छात्रवृत्ति देने का विचार है ? यदि हा, तो कब तक ? यदि नहीं तो न देने का क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां ।

प्रश्नगत छात्रवृत्तियों की दरें भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की गई है ।

उपरोक्त नियमों में भारत सरकार द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है । अतः जब तक उक्त दरें संशोधित न हों तब तक आयुर्वेदिक विद्यालयों के छात्रों को होमियोपैथिक कालेजों के छात्रों के बराबर छात्रवृत्ति देना सम्भव नहीं है ।

जलविद्युत् सबडिवीजन कुन्डा (प्रतापगढ़) में ट्यूबवेल कनेक्शन

*36--श्री हीरासिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जल विद्युत् सब-डिवीजन, कुंडा, प्रतापगढ़ में किन-किन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र ट्यूबवेल कनेक्शन प्राप्त करने हेतु जमानत एवं अनुमानित व्यय जमा कर देने के बावजूद, जनवरी, 1972 से अब तक पड़े हुये हैं और उनको अब तक कनक्शन न देने के क्या कारण है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री पद्म सिंह, राजपुरा (नैनीताल) की टिंचर जिंजर से मृत्यु

*37—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल जिले में श्री पद्म सिंह, निवासी राजपुरा की मृत्यु दिनांक 22 दिसम्बर, 1972 को टिंचर जिंजर पीने से हो गई ? यदि हां, तो श्री सिंह ने उक्त टिंचर जिंजर किस दुकानदार से लेकर पिया था और उक्त लाइसेंसी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। श्री पद्मसिंह पुत्र श्री देव सिंह निवासी राजपुरा हल्द्वानी, जिला नैनीताल की मृत्यु दिनांक 23-12-1972 को टिंचर जिंजर पीने से हुई, जो उन्होंने किसी दुकान से खरीद कर नहीं पी थी, बल्कि गोला नदी के किनारे पाई गई टिंचर जिंजर की बोतलों में से पी थी। अतः किसी दुकानदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एक पदीय विक्रीकर करने की मांग

*38—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में एक पदीय बिक्री-कर करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

सर्वथा एक सूत्री बिक्रीकर प्रणाली अपनाना न तो राजस्व के हित में है और न उद्योग एवं व्यापार के ही हित में।

मुसलिम माली जाति का स्तर ऊंचा करने की मांग

*39—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या हरिजन सहायक मंत्री की जानकारी में है कि इलाहाबाद, वाराणसी, कड़े मानिकपुर (प्रतापगढ़) तथा प्रदेश के अन्य तीर्थ स्थानों पर रहने वाली मुस्लिम माली जाति राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ी है ? यदि हां, तो उनके स्तर को उठाने के लिये राज्य सरकार ने उनको कौन-कौन विशेष सुविधायें प्रदान की हैं ? क्या सरकार मुस्लिम माली जाति को पिछड़े मुसलमानों की सूची में शामिल करने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्न में उल्लिखित मुस्लिम माली जाति के विषय में समस्त जिला अधिकारियों से सूचना मंगाई गई है। अब तक 46 जिलों से सूचना प्राप्त हुई है जिसके अनुसार 38 जिलों में उक्त जाति की जनसंख्या शून्य है। केवल गोंडा एवं बहराइच में उक्त जाति की जनसंख्या काफी बताई गई है, तथा शेष जिलों में नाम मात्र हैं। मुस्लिम माली जाति को शासन द्वारा कोई विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं की गई है। इस जाति को अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित करने के विषय में निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण द्वारा परीक्षण किया जा रहा है और उनकी संस्तुति प्राप्त होने पर यथावश्यक निर्णय लिया जायेगा।

इलाहाबाद में आटे की कमी व उसका एलाटमेन्ट

*40—श्री धर्मवीर (इलाहाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में आटे की कमी को पूरा करने के लिये अग्र० एफ० सी०, कानपुर ने पांच हजार (5,000) बोरा इलाहाबाद को एलाट किया था

जिसको वितरण करने के लिये कोआपरेटिव को आदेश दिया कि पूरा कोटा उठाये परन्तु कोआपरेटिव ने सिर्फ (350) साढ़े तीन सौ बोरा उठाया ? यदि हां, तो इसका कौन जिम्मेदार है ?

श्री बेनी सिंह—

यह सही है कि क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक कानपुर ने दिसम्बर, 1972 में इलाहाबाद को 5,000 बोरा आटा एलाट किया था। जिसको वितरण करने के लिये इलाहाबाद होलसेल सेन्ट्रल कोआपरेटिव स्टोर्स को जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा परमिट दिया गया। इसके विरुद्ध इलाहाबाद होलसेल सेन्ट्रल कोआपरेटिव स्टोर्स ने केवल 1,332 बोरा आटा उठाया।

बरेली मण्डल में एफ० सी० आई० द्वारा अनाज की खरीद व भाव

*41—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 तक बरेली मंडल में एफ0 सी0 आई0 द्वारा प्रत्येक जिले में कितनी गेहूं की खरीदारी की गई ? इस खरीदारी में कृषक को अधिकतम मूल्य कितना दिया गया एवं न्यूनतम मूल्य कितना दिया गया ?

श्री बेनी सिंह—

मई 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 तक बरेली मंडल में एफ0 सी0 आई0 द्वारा जिलेवार खरीदे गये गेहूं की मात्रा निम्न प्रकार है :

		टन
(1)	बरेली	2,484
(2)	बदायूं	3,220
(3)	मुरादाबाद	12,391
(4)	बिजनौर	557
(5)	रामपुर	10,360
(6)	पीलीभीत	4,522
(7)	शाहजहांपुर	4,671
	योग ..	38,205

उचित औसत किस्म के लाल देशी गेहूं का मूल्य अधिकतम 74.00 रु0 प्रति क्विंटल तथा उचित औसत किस्म के सफेद मैक्सिकन और इनके समकक्ष के श्रेणी के गेहूं का मूल्य अधिकतम रु0 76.00 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया। जहां गेहूं की क्वालिटी उचित औसत किस्म के नीचे रही, वहां गुण निर्दिष्टियों के अनुसार मूल्यों में कटौती की गई।

*42—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या खाद्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971–72 में एफ0 सी0 आई0 द्वारा बरेली मंडल में प्रत्येक जिले में खरीफ के कौन-कौन से अनाज की किस-किस मात्रा एवं भाव में खरीदारी की गई तथा खरीदी हुई किस्म जिन्स का उस समय बाजार मूल्य क्या था ?

श्री बेनी सिंह—

वर्ष 1971–72 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा बरेली मंडल अर्थात् रूहेलखंड कमिश्नरी के बरेली, पीलीभीत, रामपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बिजनौर तथा बदायूं में वाणिज्य की

(कार्मशियल) आधार पर कुल 3,200 टन धान की खरीद रुपया 60.98 प्रति कुन्तल की दर से की गई ।

खरीदारी के समय धान का बाजार मूल्य रु0 51.00 से रुपया 62.00 प्रति कुन्तल था ।

रेलवे माल गोदाम बाराबंकी से गेहूं लदा ट्रक गायब होना

*43--श्री मुस्तफा कामिल किदवई--

क्या सरकार को विदित है कि दिनांक 7 सितम्बर, 1972 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर फूड ग्रेन कारपोरेशन के 36 ट्रक लोड गेहूं उतारे गये जिसमें से 35 ट्रक लोड गेहूं सरकारी गोदाम पहुंचे और 36वां ट्रक जिसमें 100 बोरे गेहूं था रास्ते से लापता हो गया ? यदि यह सही है तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री बेनी सिंह--

भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार 7 सितम्बर, 1972 को रेलवे माल गोदाम, बाराबंकी से उनके द्वारा 36 ट्रकों में 3,480 बोरे गेहूं का लदान किया गया। लेकिन इनमें से केवल 35 ट्रकें जिनमें 3,379 बोरे लदे थे, भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर आयीं छत्तीसवां ट्रक डिपो पर नहीं आया जिसके सम्बन्ध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है तथा मामला पुलिस की तफतीस में है।

*44-45--श्री हरिवंश सहाय--

[मा0 सदस्य ने वापस लिया।]

प्राइवेट कम्पनियों की बिजली महंगी पड़ने की शिकायत

*46--श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्राइवेट बिजली क सप्लाईज जैसे मारटिन बर्न कम्पनी स्थित फैजाबाद, मेरठ नगरपालिका आदि जनता को राज्य विद्युत् परिषद् से लगभग 20 प्रतिशत अधिक मूल्य पर बिजली सप्लाई कर रहे हैं ? यदि हां, तो शासन क्या जनता पर पड़ने वाले ऐसे अधिक भार को रोकने हेतु तुरन्त आदेश प्रसारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

फैजाबाद बिजली सप्लाई कम्पनी को किसी भी श्रेणी की विद्युत विक्रय दरें राज्य विद्युत परिषद् की दरों से 20 प्रतिशत अधिक नहीं है । नगरपालिका विद्युत् पूर्ति प्रतिष्ठान मेरठ की दरें घरेलू शक्ति की श्रेणी के अतिरिक्त किसी भी अन्य श्रेणी में राज्य विद्युत् परिषद् की दरों से 20 प्रतिशत अधिक नहीं है । नगरपालिकाओं और निजी बिजली कम्पनियों को विद्युत् परिषद् की दरों में अपना-अपना खर्च देखते हुये वृद्धि करनी होती है । इस कारण उनसे यह आशा नहीं की जा सकती है कि वे राज्य विद्युत् परिषद् के ही दरों पर बिजली दें ।

तहसील मोहनलालगंज (लखनऊ) के ग्रामों का विद्युतीकरण

*47--श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)--

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज में जुलाई, 1972 से नवम्बर, 1972 तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों में बिजली दी गई ? क्या यह सच है कि उपरोक्त तहसील में ग्राम मुंशीगंज में बिजली नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

तहसील मोहनलालगंज में जुलाई 1972 से नवम्बर 1972 तक 2 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया।

ग्राम मुंशीगंज टाउन एरिया अमेठी के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। टाउन एरिया कमेटी विद्युतीकृतों है किन्तु ग्राम मुंशीगंज से बिजली के कनेक्शन के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त न होने के कारण टाउन एरिया अमेठी के इस भाग का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका।

पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न का कोटा

*48---श्री गोपालदत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़) तथा श्री हीरा सिंह बोरा---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी होने पर भी सस्ते गल्ले की दुकानों से प्रति यूनिट कोटा कम किया गया है ? यदि हां, तो पर्वतीयजन के जीवन-यापन के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री बेनी सिंह---

पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी होने पर भी सस्ते गल्ले की दुकानों से प्रति यूनिट प्रति माह देय खाद्यान्न की सीमा में कोई कटौती नहीं की गयी है जबकि शहरी क्षेत्र में प्रति यूनिट प्रति माह 6 किलो खाद्यान्न देय है। पहाड़ी क्षेत्र में राशन की सीमा 7 किलो प्रति यूनिट प्रति माह निश्चित की गई है जिसके अन्तर्गत 3 किलो चावल, 3 किलो गेहूं/आटा और 1 किलो मोटा अनाज देय है। क्योंकि राशन सीमा में कोई कटौती नहीं की गई है। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है।

पी० एस० सी० द्वारा चुने गये आबकारी अधिकारियों की ऐडहाक नियुक्ति

*49---श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसे पता है कि वर्ष 1967-68 के आबकारी अधीक्षकों के रिक्त स्थानों को पी० एस० सी० द्वारा चुने गये व्यक्तियों से भरन के बाद से ऐसे रिक्त पदों के लिये सालवार पी० एस० सी० द्वारा चयन कराने के नियम का उल्लंघन कर 1967-68 में ही पी० एस० सी० द्वारा तैयार की गई सूची से उन पर ऐडहाक नियुक्तियां की जाती रहीं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

यह सही है कि वर्ष 1967-68 में आबकारी अधीक्षकों के रिक्त स्थानों को लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये व्यक्तियों से भरने के बाद से आबकारी अधीक्षकों के उपलब्ध पदों पर भी वर्ष 1967-68 में आयोग द्वारा तैयार की गई सूची से ही पदोन्नतियां की गईं। चूंकि वर्ष 1967-68 में लोक सेवा आयोग द्वारा बनाई गई चयन सूची में कुछ अभ्यर्थी शेष थे अतः उन्हीं में से आबकारी अधीक्षकों के पदों पर प्रोन्नतियां की गईं जो नियमानुकूल हैं।

बेलसर-बहादुरगंज (गोंड़ा) बिजली की लाइन पर व्यय

*50---श्री त्रिवेणी सहाय---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विकास क्षेत्र बेलसर तरबगंज जिला गोंडा में बेलसर से बहादुरपुर तक कोई बिजली की लाइन बिछाई गई है ? यदि हां, तो यह बिजली की लाइन कितनी लम्बी है और इस लाइन को बिछाने में सरकार ने कितना व्यय किया है ? क्या यह सही है कि इस लाइन से अभी तक कोई कनेक्शन बीच में जनता को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जी हां, बेलसर से बहादुरपुर तक एक 11,000 वोल्ट्स की 16-783 कि0 मी0 लम्बी लाइन बनाई गई है जिस पर लगभग रु0 1,32,483 व्यय हुये हैं। इस लाइन से विद्युत कनेक्शन भी दिये गये हैं।

जिला बाराबंकी में हरिजनों के लिये बिजली एवं हैन्डपम्प की व्यवस्था की मांग

*51---श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी के ग्राम तीरगांव तथा उसके आसपास के हैमलेट्स जैसे चिश्तीपुर, बासूखेड़ा, टरी, सायपुर, शेखपुर आदि में रहने वाले हरिजनों को बिजली तथा हैण्डपाइप की व्यवस्था प्रदान की गई अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

प्रश्नगत हरिजन बस्तियों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है क्योंकि इनके विद्युतीकरण पर निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय होने की संभावना है।

जहां तक हैण्डपाइप की व्यवस्था का प्रश्न है गांव तीरगांव में पहले से ही पीने के पानी की व्यवस्था हेतु कुआं बनाया गया है। अतएव हैंडपाइप की व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

जिला देहरादून में जौनसारी जाति को सुविधायें

*52---श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर), श्री उदय नाथ (जिला वाराणसी) तथा श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद देहरादून में कौन-कौन सी जन-जातियां हैं और क्या यह सही है कि जौनसारी जाति के नाम पर आर्थिक, शैक्षिक तथा अन्य सुविधायें सभी जातियां प्राप्त कर रही हैं ? यदि हां, तो सरकार इस पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

देहरादून जनपद में निवास करने वाली जौनसारी तथा भोक्सा जन-जातियों को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जन-जाति घोषित किया गया है और "जौनसारी" की परिभाषा के अन्तर्गत जौनसार-बाबर क्षेत्र में निवास करने वाले सभी लोग जिनका रहन-सहन एवं रीति-रिवाज अन्य वर्गों से भिन्न है, सम्मिलित हैं। उन्हीं लोगों को अनुसूचित जन-जातियां होने के आधार पर आर्थिक शैक्षिक, तथा अन्य सुविधायें दी जाती हैं। उक्त परिस्थिति में कोई रोक लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

न्याय पंचायत मघईपुर (गोंड़ा) में चीनी ब्लैक में बेचने की शिकायत

53---श्री देवेन्द्र नाथ मिश्र (जिला गोंडा)---

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोंडा के न्याय पंचायत मघईपुर में किसी व्यक्ति ने तहसीलदार उतरौला को धोखा देकर उनकी संस्तुति के आधार पर सरकारी फुटकर चीनी का लाइसेन्स दिनांक 15-10-72 से दिनांक 20-10-72 की अवधि में प्राप्त कर कोटे की सारी चीनी ब्लैक में बेंच दिया ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री बेनी सिंह---

जी नहीं।

कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*54---श्री गोपाल दत्त ओझा---

[11वें गुरुवार के लिए प्र0 सं0 79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गोविन्द बल्लभ पंत पालीटेक्निक (लखनऊ) में हरिजन व पिछड़ी जाति छात्रवृतियां

*55—श्री बदन सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोविन्द वल्लभ पन्त, पालीटेक्निक लखनऊ में क्रमशः कितने हरिजन तथा पिछड़ी जाति के छात्र हैं? और सत्र 1972–73 में किस वर्ग के छात्रों को कितनी-कितनी छात्रवृत्तियां मिली हैं? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सत्र 1971–72 में पिछड़ी जाति के प्रथम वर्ष के छात्रों को अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं? यदि हां, तो सत्र 1972–73 में उतनी क्यों नहीं दी गई?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्नगत पोलिटेक्निक में वर्ष 1972–73 में अनुसूचित जाति के छात्रों एवं अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों की संख्या क्रमशः 202 तथा 86 है, जिनमें से क्रमशः 193 तथा 42 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है।

जी हां।

सम्बन्धित नियम के अनुसार तथा सीमित प्राविधान के प्रकाश में जितने छात्र उपयुक्त पाये गये उनको छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई।

सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में कुटीर उद्योग हेतु विद्युत् कनेक्शन एवं ग्रामों का विद्युतीकरण

*56—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले पांच वर्षों में अलीगढ़ जिले की तहसील सिकन्दराराऊ में सरकार ने कौन-कौन से कुटीर एवं ग्राम उद्योग धंधों के लिये विद्युत् कनेक्शन प्रदान किए हैं कितनों को कनेक्शन देना बाकी है और क्यों?

*57—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले पांच वर्षों में अलीगढ़ जिले की तहसील सिकन्दराराऊ में सरकार ने कितने ग्रामों में विद्युतीकरण किये हैं, कितने ग्रामों में होना बाकी है, और क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सब-डिवीजन कासगंज (एटा) में ट्रांसफार्मर का जलना एवं ग्रामों का विद्युतीकरण

*58—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा डिवीजन के सब डिवीजन कासगंज में 1 दिसम्बर, 1972 से 15 जनवरी, 1973 तक कितने और कहां-कहां के ट्रांसफार्मर जले, इनके अलग-अलग जलने के कौन-कौन से कारण थे और सरकार का कितने रुपये का नुकसान इन ट्रांसफार्मरों के जलने से हुआ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

एटा डिवीजन के सब-डिवीजन कासगंज में 1–12–72 से 15–1–73 तक 7 ट्रांसफार्मर जले जिनके बारे में विस्तृत विवरण संलग्न है। इनके जलने से लगभग दो हजार रुपये का नुकसान हुआ?

(देखिये नत्थी 'इ' आगे पृष्ठ 353 पर)

*59--श्री नेतराम सिंह---

क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि एटा डिवीजन के सब डिवीजन कासगंज में वर्ष 1971-72 व 72-73 के किस-किस ग्राम का विद्युतीकरण किया गया ? क्या यह सच है कि विद्युतीकरण करते समय हरिजन गलियों, बस्तियों में विद्युत् नहीं दी गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

एटा डिवीजन के कासगंज सब डिवीजन में वर्ष 1971-72 में किसी भी ग्राम का (एल0 टी0 मेन्स बिछाकर) विद्युतीकरण नहीं किया गया। वर्ष 1972-73 में केवल दो ग्रामों मोहनपुरा एवं किसरौली का विद्युतीकरण किया गया है, जिनकी हरिजन बस्तियों में भी बिजली लगाई गई है।

पर्वतीय क्षेत्रों में झरनों से विद्युत् शक्ति प्राप्त करने की मांग

*60--श्री हरी सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा) तथा श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् शक्ति की कमी को देखते हुये विद्युत् मंत्री की पर्वतीय क्षेत्रों के झरनों से विद्युत् शक्ति प्राप्त करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जी नहीं।

गेंहूं क गोदाम तथा उनकी संग्रह क्षमता

*61--श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1972-73 में कितने टन क्षमता के गोदाम सरकार को उपलब्ध थे। 1973-74 में रबी फसल के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप कितना अनाज क्रय करने की योजना है और उसके लिये सरकारी-एवं गैर-सरकारी कितनी क्षमता (टन के) गोदाम की व्यवस्था सरकार कर चुकी है या 31 मार्च, 1973 तक करने में सफल हो सकेगी ?

श्री बेनी सिंह---

गत वर्ष (1972-73) में प्रदेश में गेहूं के संग्रह हेतु विभिन्न एजेंसियों के पास लगभग 20 लाख टन की संग्रह क्षमता उपलब्ध थी। आगामी रबी फसल (1973-74) में सरकार द्वारा गेहूं के थोक व्यापार अपने हाथ में लेने की योजना के फलस्वरूप जितना भी गेहूं खरीदारी हेतु उपलब्ध होगा उसे केन्द्रीय पूल के लिये क्रय कर लिया जायेगा। फिलहाल 18 लाख टन गेहूं क्रय करने का प्रस्ताव है जिसे उपलब्धता के अनुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है। इसके विरुद्ध इस समय 23,50,000 टन की संग्रह क्षमता प्रदेश में उपलब्ध है। अतएव 31 मार्च, 1973 तक और गोदामों के प्रबन्ध का प्रश्न नहीं है। फिर भी यदि आवश्यकता हुई तो उक्त संग्रह क्षमता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

राज्य विद्युत् परिषद् के आर्बिट्रेशन की सूचना

*62--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

क्या विद्युत् मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में मेसर्स अशोक आयरन एण्ड स्टील रोलिंग मिल, चौरी-चौरा, गोरखपुर ने दिनांक 16-9-72 में अपन

एडवोकेट श्री के0 एस0 गुप्ता के माध्यम से सिविल कोर्ट गोरखपुर के जरिये राज्य विद्युत् परिषद्, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध कोई आर्बिट्रेशन की सूचना अपने बिजली एग्रीमेंट के सम्बन्ध में दी थी ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

राज्य विद्युत् परिषद् से सूचना एकत्रित की जा रही है।

सूती धागे पर बिक्री-कर की दर

*63--श्री त्रिलोक चन्द--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूती धागे (हैंक) पर प्रदेश में बिक्री-कर 2 1/2 प्रतिशत लिया जाता है जबकि देहली में हैंक पर केवल 1 प्रतिशत बिक्री-कर लिया जाता है ? क्या यह सही है कि इसी अन्तर के कारण प्रदेश की सभी सूती मिलों ने अपने आफिस दिल्ली में कायम कर रख हैं जिससे प्रदेश को लाखों रुपये की हानि हो रही है ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार इस असमानता को दूर करने पर विचार करेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम की धारा 3-कक के अधीन रूई का सूत (काटन यार्न) पर कर की दर 2 प्रतिशत ही है किन्तु 2 लाख वार्षिक से अधिक वाले व्यापारी को अधिनियम की धारा 3-च के अनुसार 1/2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर को देना होता है।

उपलब्ध सूचनानुसार प्रदेश के कुछ सूत निर्माता अपना माल देहली भेजते है जिससे राजस्व की हानि होना स्वाभाविक है। परिषण के आधार पर माल भज कर करापवंचन की रोक थाम के लिये आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में काटन यार्न जपर बिक्री-कर की दर से एक रुपया लाने का प्रयास किया जा रहा है और दिल्ली प्रशासन पर दबाव डाला जा रहा है कि वह अपने कर की दर बढ़ावें।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा हिण्डालको को सस्ती बिजली देने से हानि की शिकायत

*64--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या विद्युत् मंत्री का ध्यान पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति के उन्तीसवें प्रतिवेदन में वर्णित एक अरब पये की हानि की ओर गया है जो राज्य विद्युत् परिषद् को हिण्डालको तथा कनौरिया केमिकल्स को सस्ती दरों पर बिजली देने से हो रही ह तथा होने की सम्भावना है ? उपर्युक्त हानि से विद्युत् परिषद् को बचाने हेतु प्रतिनिहित विधायन समिति ने अपने उपर्युक्त प्रतिवेदन में जो सुझाव दिये हैं उनके सम्बन्ध में क्या कायवाही कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का उन्तीसवां प्रतिबेदन शासन के सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

चतुर्थ प्लान में बिजली का उत्पादन तथा उस पर व्यय

*65--श्री शिबानन्द नौटियाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चतुर्थ प्लान में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य था और उसमें से कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ और कितने रुपयों का व्यय हुआ ?

क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि उसने कोई ऐसा सर्वे किया है जिससे यह पता चल सके कि इस प्रदेश को कितनी बिजली की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिये क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

चतुर्थ योजना काल में प्रदेश में विद्युत् की 1230 मेगावाट की कुल अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने का लक्ष्य था। इस लक्ष्य में से अभी तक 312 मेगावट की उपलब्धि हुई एवं चतुर्थ योजना काल के अन्त तक 792 मेगावाट की वृद्धि होने का अनुमान है। इसके फलस्वरूप इस समय प्रदेश की कुल अधिष्ठापित क्षमता 1622 मेगावाट है जो चतुर्थ योजना के अन्त तक बढ़ कर लगभग 2100 मेगावाट होने की सम्भावना है। चतुर्थ योजना के प्रथम तीन वर्षों में उत्पादन प्रायोजनाओं पर 126.80 करोड़ रुपया व्यय हुआ तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के लिए क्रमशः 38.20 एवं 41.00 करोड़ रुपये का प्राविधान है।

केन्द्रीय विद्युत् अधिकरण एवं विद्युत् परिषद् द्वारा सम्पन्न सप्तम वार्षिक विद्युत् सर्वेक्षण के आधार पर तथा मौजूदा मांग के सर्वेक्षण के आधार पर प्रदेश में चतुर्थ योजना के अन्त तक लगभग 1841 मेगावाट विद्युत् की आवश्यकता होगी जिसके समक्ष अधिष्ठापित क्षमता 2600 मेगावाट होनी चाहिये, इस प्रकार 500 मेगावाट की कमी संभावित है।

इस कमी की पूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों से लगभग 150 मेगावट विद्युत् का आयात की संभावना है तथा 100 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता की गैस टरबाइन स्थापित करने के लिये भारत सरकार को प्रायोजना प्रारूप प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 200 मेगावाट (प्रत्येक) की दो मशीनों के विदेश से आयात करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिसको ओबरा (जिला मिर्जापुर) में स्थापित करने के पश्चात् विद्युत् की कमी कुछ हद तक दूर की जा सकेगी।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा विभिन्न उद्योगों को बिजली एवं उसका मूल्य

*66—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या विद्युत मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा मेसर्स हिन्डालकों, रेनुकोट, मेसर्स कनौरिया केमिकल्स, रेनुकोट, मेसर्स फर्टीलाइजर कारपोरेशन गोरखपुर तथा इंडियन एक्सप्लोसिव, कानपुर में से प्रत्येक को कितनी-कितनी बिजली दी गई तथा प्रत्येक से औसत मूल्य कितने पैसे प्रति यूनिट का प्राप्त हुआ ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

हिन्डालको तथा कनौरिया केमिकल्स को इकरारनामा के अनुसार विद्युत् दी जाती है। अन्य उपभोक्ताओं को परिषद् द्वारा निर्धारित रेट शेड्यूल पर विद्युत् दी जाती है।

1970-71 में सर्वश्री हिन्डालको तथा कनौरिया केमीकल्स को क्रमशः 414.7 तथा 51.2 मिल्यन यनिट बिजली दी गई। दूसरी इकाइयों की तथा वर्ष 1971-72 में प्रत्येक उपभोक्ता को दी गयी विद्युत् की मात्रा की सूचना उपलब्ध नहीं है।

राजपत्रित अधिकारियों का विद्युत् परिषद् की सेवा में संविलियन

*67—श्री राम प्यारे—

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य के किन-किन विभागों के कितने-कितने राजपत्रित कर्मचारी दिनांक 1 जुलाई, 1971 को राज्य विद्युत् परिषद् में प्रति नियुक्ति पर थे उनमें से कितने को विद्युत् परिषद् ने अपनी सेवा में संविलियन कर लेने के लिये शास-

कोष आदेश दिनांक 1 जुलाई, 1971 के अनुसार आमंत्रित किया तथा उनमें से कितनों ने परिषद् के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और सरकारी पदों से त्याग-पत्र दे दिया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त सभी राजपत्रित अधिकारियों के परिषद् की सेवा में संविलयन के मामले अभी अन्तिम रूप से तय नहीं हो पाये हैं।

जिला उन्नाव में विद्युत् सामग्री की कमी तथा कठिनाइयां

*68--श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 8--1--73 या 9--1--73 को होने वाली जिला अधिकारियों की बैठक अथवा जिला परिषद् समन्वय समिति, उन्नाव की बैठक में विद्युत अधिकारियों ने जिले में होने वाले विद्युतीकरण के संबंध में किन-किन कठिनाइयों तथा विद्युत सामग्री की कमी को प्रस्तुत किया था और उन कठिनाइयों तथा विद्युत् सामग्री की कमी को दूर करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जिला जौनपुर में बिना लाइसेंस के ईंट के भट्ठे

*69--श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)---

क्या सरकार बतलायेगी कि सन् 1967 से 28--2--73 तक जौनपुर जनपद में बिना लाइसेन्स के ईंटे का भट्ठा चलाने वाले किन-किन लोगों को कब-कब पकड़ा गया और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बेनी सिंह--

सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 354 पर)

होमगार्ड्स के अवैतनिक बटालियन स्तरीय अधिकारियों के चयन में अनियमितायें

*70--श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर के विधायकों तथा एम0पी0 के हस्ताक्षर से अक्तूबर, 1972 में होमगार्ड्स के अवैतनिक बटालियन स्तरीय अधिकारियों के चयन में अनियमितताओं के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। कथित अनियमितताओं पर विचार किया जा रहा है।

सचिवालय के साचविक वर्ग की नियुक्ति एवं सेवा-शर्तों की नियमावली

*71--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या यह सही है कि संविधान के अनुच्छेद 187(3) के अन्तर्गत आने वाले सचिवालयों के साचविक कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों के नियमों का कार्य पिछले 20 वर्ष से अधिक समय से शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया उस विलम्ब के कारणों पर प्रकाश डालेगी और बतायेगी कि नई सेवा नियमावली कब तक बनजायगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी हां। परन्तु विभिन्न कारणों से नियमावली को अन्तिम रूप देने में विलम्ब हुआ है जिनमें से मुख्य कारण समय-समय पर परिस्थितियों में परिवर्तन, उठाए गये सैद्धान्तिक एवं संवैधानिक प्रश्न तथा विभिन्न शासकीय विभागों एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श विशेषरूप से उल्लेखनीय है। नियमावली को अन्तिम रूप देने का कार्य अब अन्तिम चरण में है।

अतारांकित प्रश्न

जिला गोंडा में ट्रान्सफार्मर्स की चोरी

1--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा जिले में 1 जनवरी, 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 तक ट्रांसफार्मर तथा व्यक्तिगत नलकूपों की चोरी की कितनी घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस विभाग में दर्ज हुई ? उनमें कितनी का पता पुलिस लगा सकी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

गोंडा जिले में 1 जनवरी, 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 तक कुल पांच ट्रांसफार्मरों की चोरी हुई जिनमें से 4 सरकारी नलकूपों से तथा 1 निजी नलकूप से हुई। इनकी रिपोर्ट पुलिस विभाग में कराई जा चुकी है, परन्तु पुलिस अभी तक किसी का पता नहीं लगा सकी है।

ऊंचाहार ब्लाक, जिला रायबरेली के ग्रामों में बिजली योजना

2--श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रायबरेली के ऊंचाहार ब्लाक के ग्राम बहरेवा से फरीदपुर, बमनपुरु, बिकई पुबारा, सलेमपुर भैरों, आवाजहनिया, माधवपुर, हरीहरपुर, निगोहा, शकरुल्लापुर गनसरी, बेहरामऊ, असकरनपुर व इटौली असिंचित क्षेत्र की तरफ भी बिजली पहुंचाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक इन गांवों में बिजली पहुंच जायेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 356 पर)

बरेली डिवीजन में राजकीय लाटरी से प्राप्त धन का आवंटन

3--श्री नौनिहाल सिंह--

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1970-71 व 1971-72 में बरेली डिवीजन के प्रत्येक जिले में कुल कितना-कितना धन राजकीय लाटरी से प्राप्त हुआ और आवंटन में प्रत्येक जिले को कितना-कितना धन व किस-किस कार्य के लिये दिया गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

वित्तीय वर्ष 1970-71 व 1971-72 में बरेली डिवीजन के विभिन्न जिलों से लाटरी को प्राप्त लाभ व हानि क्रमशः रु0 2,02,551 (लाभ) तथा रु0 68,361 (हानि) हुई जिलेवार विवरण †तालिका 'क' में दिखाया गया है।

---

†छापी नहीं गयी।

वित्तीय वर्ष 1970–71 में लाटरी से प्राप्त शुद्ध आय में से प्रोरेटा बेसिस पर 50 प्रतिशत की दर से कुल 1,83,211 रु0 की धनराशि आवंटित की गयी। वित्तीय वर्ष 1971–72 में होने वाले ड्राज में हानि होने के कारण कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की जा सकी (विस्तृत विवरण तालिका† 'ख' में दिया गया है)।

हास्पिटल फन्ड कमेटी द्वारा बरेली डिवीजन के विभिन्न जिलों को वर्ष 1970–71 व 71–72 में आवंटित की गयी धनराशि के विवरण तालिका† 'ग' में दिखाये गये हैं। इसमें लाटरी की आय से आवंटित की गयी धनराशि भी सम्मिलित है।

जिला मुरादाबाद के औद्योगिक कारखानों पर बिजली की बकाया धनराशि

4—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में औद्योगिक उपयोग में आने वाली बिजली के बिलों की कितनी-कितनी धनराशि 31 दिसम्बर, 1972 तक किस-किस औद्योगिक कारखाने पर बकाया है और अब तक उपरोक्त धनराशि को वसूल करने हेतु विद्युत् विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा किन-किन के कनेक्शन काटे गये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मुरादाबाद जिले में लाइसेंस्ड भट्ठे तथा बकाया सेल्सटैक्स

5—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में कितने लाईसस शुदा ईंटों के भटठे चल रहे हैं और 31 दिसम्बर, 1972 तक प्रत्येक पर सेल्स टैक्स की कितनी-कितनी धनराशि बकाया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद मुरादाबाद में लाइसेन्स शुदा 79 ईटों के भट्ठे चल रहे हैं और उनमें से 31 दिसम्बर, 1972 तक 64 भट्ठे वालों पर सेल्स-टक्स का बकाया था। प्रत्येक बकाया-दार के ऊपर बकाया की धनराशि संलग्न सूची के अनुसार है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 357 पर)

बरेली मंडल में बकाया सेल्स टैक्स

6—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली मंडल में विगत 3 वर्षों से सेल्स टैक्स का कुल कितना रुपया किन-किन व्यक्तियों से पच्चीस हजार से अधिक वसूलना शेष है ? और इसका क्या कारण है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बरेली मंडल में विगत तीन वर्षों से 25 हजार रुपये से अधिक 40 व्यक्तियों पर कुल 27.78 लाख रुपये सेल्स टैक्स का वसूलना शेष है। सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम, बकाया की धनराशि एवं वसूलयाबी न होने के कारण संलग्न सूची में वर्णित हैं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 359 पर)

जिला सम्प्रेक्षाधिकारी सहकारी समितियों में हरिजन या अनुसूचित जाति के कर्मचारी न होने की शिकायत

7—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 565–एस/सी0 दो–बी0–443–1964, दिनांक 30 सितम्बर, 1965 तथा शासनादेश संख्या 65/3/69–रा0 ए0 की (एम0 आर0 13) दिनांक लखनऊ 9 जून, 1959 के द्वारा जिला सम्प्रेक्षाधिकारी सहकारी समितियां की कुल 51 जगहों में किसी हरिजन या अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो कहां और किसकी ओर नहीं, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते क्योंकि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के 51 पदों पर नियुक्तियां शत प्रतिशत विभागीय प्रोन्नति द्वारा की गई हैं। अतः किसी वर्ग विशेष के लिये आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता। वैसे एक अधिकारी, जो अनुसूचित जाति के हैं, ज्येष्ठता के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं। उनका नाम श्री सुखराम है तथा वे मथुरा जनपद में तैनात हैं।

सरकार द्वारा अनाज के थोक व्यापार का अधिग्रहण

8—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार अनाज के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उपरोक्त व्यापार किस माध्यम से होगा और अनाज भंडारों की कमी की वर्तमान स्थिति में अनाज कहां संग्रहीत किया जायगा ? क्या सरकार ऐसी नीति निर्धारित करेगी कि जब तक प्रत्येक शहर में अनाज भंडार न बन जायें थोक व्यापार सरकार द्वारा करना, स्थगित किया जाय ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां, राज्य सरकार ने रबी 1973-74 से गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है। थोक व्यापार राजकीय एजेन्सियों के माध्यम से किया जायेगा। अनाजों के संग्रह के लिए भंडारों की कमी नहीं है अतः सरकार द्वारा अनाजों के थोक व्यापार को अपने हाथ में लिए जाने को स्थगित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला आजमगढ़ में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

9—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शासन की ओर से ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जिला आजमगढ़ के विकास खंड फतेहपुर, मंडाव, घोसी तथा दोहरीघाट के किन-किन गांवों में तथा हरिजन बस्तियों में माह दिसम्बर, 1972 तक विद्युतीकरण का कार्य सम्पन्न हुआ और अभी तक किन-किन हरिजन बस्तियों में शासन के आदेशानुसार विद्युतीकरण स्वीकृत होने के बावजूद भी कार्य सम्पन्न नहीं हुआ ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

10—श्री लालसा—

क्या यह भी सही है कि विकास खंड घोसी के अन्तर्गत ग्राम सेमरी जमालपुर हरिजन बस्ती में जहां पर सैकड़ों घर हरिजन आबाद हैं शासन की ओर से विद्युतीकरण स्वीकृत होने के बावजूद भी अभी तक कार्य सम्पन्न नहीं हुआ और गत कई माह से लकड़ी का खम्भा इत्यादि रखने के बाद बिजली कर्मचारियों ने उसी गांव के कुछ सामन्ती लोगों के मना करने पर काम रोक दिया ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

11-12—श्री जगदीश गांधी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

अधिशासी इंजीनियर रिहंद विद्युत खंड, मिर्जापुर द्वारा सर्विस पाइप की खरीद

13—श्री त्रिवणी सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अधिशासी इंजीनियर रिहन्द विद्युत खंड, मिर्जापुर ने जनवरी, 1970 से मार्च, 1970 के भीतर लगभग 4,500 सर्विस पाइप ब्रेकेट 1 1/2"–1 1/4" खरीदें ? यदि हां, तो ये ब्रेकेट किस-किस फर्म से लिये गये और किस-किस रेट पर ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अधिशाशी अभियन्ता, जल विद्युत् खण्ड, मिर्जापुर ने जनवरी, 1970 से मार्च, 1970 की अवधि में 4,500 नहीं बल्कि 3.385 नम्बर सर्विस पाइप ब्रैकेट 1 1/2" 1 1/4" विभिन्न फर्मों से खरीदे । क्रय किये गये सर्विस पाइप ब्रेकेट्स का भाव, फर्म का नाम आदि का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 361 पर)

माता टीला जिला झांसी में वाष्प विद्युत् गृह का निर्माण

14—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1972 में उन्होंने यह घोषणा की थी कि माता टीला, जिला झांसी में 440 मेगावाट का वाष्प विद्युत् गृह सरकार ने बनाने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो उक्त विद्युत-गृह निर्माण का कार्य कब आरम्भ होगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दिनांक 8 जून, 1972 को बुन्देलखंड क्षेत्र में लगभग 440 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता का एक वाष्प विद्युत गृह लगाने की घोषणा की गई थी । प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार परीक्षा जलाशय के निकट एक स्थान उपयुक्त पाया गया है । विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

कोयले की उपलब्धि के लिए नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन से तथा उसके यातायात के लिए रेल मंत्रालय से पत्र-व्यवहार चल रहा है । इन बातों का निर्णय हो जाने पर भारत सरकार के पास प्रायोजना रिपोर्ट तथा प्राक्कलन स्वीकृति के लिए भेजा जायगा । परियोजना की स्वीकृति एवं आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो जाने पर कार्य को हाथ में लिया जायगा ।

श्री कर्णसिंह सिरोही, जिला पूर्ति अधिकारी, पीलीभीत के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

15—श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)—

क्या खाद्य मंत्री को विदित है कि श्री कर्णसिंह सिरोही, जिला पूर्ति अधिकारी, पीलीभीत के विरुद्ध भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें प्रश्नकर्त्ता ने दी उस पर माह सितम्बर, 1972 नवम्बर, 1972 तथा दिसम्बर, 1972 से उन्होंने उनको हटाने तथा जांच के लिये आदेश दिए थे ? यदि हां, तो उसका पालन अब तक क्यों नहीं हुआ ?

श्री बेनी सिंह—

माननीय सदस्य के दो पत्र खाद्य मंत्री तथा एक पत्र मुख्य मंत्री जी के सचिवालय में क्रमशः 21 सितम्बर, 1972, 21 दिसम्बर, 1972 तथा 27 जनवरी, 1973 को प्राप्त हुए थे । इन पत्रों में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे उनकी जांच करवायी गयी । परन्तु आरोप सिद्ध नहीं हुये ।

जिला अल्मोड़ा के ग्रामों में विद्युतीकरण

16—श्री हरीसिंह विष्ट—

क्या सरकार अल्मोड़ा शहर से मिले ग्राम दुगवालखोला, ग्राम माल, ग्राम सरसों, खत्याड़ी, ग्राम गर, ग्राम भनार, फलसीमा, ग्राम बख आदि ग्रामों के निकट भविष्य में विद्युतीकरण पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ग्राम फलसीमा का सितम्बर, 1972 में विद्युतीकरण किया जा चुका है । शेष ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 1973–74 में प्रस्तावित है ।

अल्मोड़ा जनपद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण की योजना

17—श्री हरीसिंह विष्ट—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितने ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना का लक्ष्य था और उसमें कितने ग्रामों का अभी तक विद्युतीकरण हुआ और कितने शेष हैं ? साथ ही सरकार यह भी बतायेगी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में कितने ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अल्मोड़ा जनपद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 76 ग्रामों का विद्युतीकरण का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध 31 जनवरी, 1973 तक 126 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है । इस प्रकार लक्ष्य से अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है । पांचवी योजना काल में कुल 1,600 ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है ।

राज्य विद्युत् परिषद् के सहायक अभियन्ताओं की हड़ताल

18—श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य विद्युत् परिषद् के सहायक अभियन्ताओं द्वारा किये गये हड़ताल में उनकी मांगे क्या-क्या थीं और शासन ने किन-किन मांगों को स्वीकार कर लिया तथा इस हड़ताल में कितने अभियन्ताओं ने भाग लिया एवं कितने अभियन्ताओं को सजायें दी गईं और कितने अभियन्ताओं को दी गई सजायें वापस ले ली गईं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् अभियन्ता संघ की न्यायोचित मांगे स्वीकार कर ली गई हैं । 98 अभियन्ताओं की सेवायें समाप्त की गईं और 15 निलम्बित किये गये और बिना शर्त हड़ताल की समाप्ति पर सबको पुनः सेवा में ले लिया गया ।

हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय, आजमगढ़ के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

19—श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़) तथा श्री बनारसी राम—

क्या हरिजन सहायक मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय में कौन-कौन से कर्मचारी 5 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं और उनका स्थानान्तरण अब तक न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

प्रश्नगत कार्यालय में एक हरिजन कल्याण सुपरवाइजर (द्वितीय श्रेणी) तथा एक चपरासी पांच वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है। सामान्यतया अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों स्थानान्तरण कम ही किया जाता है ।

एक्साइज इंस्पेक्टर (फैजाबाद) के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

20—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें सर्वश्री कमरुल इस्माइल, बेद प्रकाश श्रीवास्तवा तथा भवानी भीख द्वारा हस्ताक्षरित एक शिकायती-पत्र अगस्त या सितम्बर, 1972 में फैजाबाद जिले के तत्कालीन एक एक्साइज इंसपेक्टर के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचारों की सूचना देते हुये मिला ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां । इसकी जांच आबकारी आयुक्त द्वारा की जा रही है । चूंकि शिकायत-कर्ताओं ने शिकायती-पत्र पर कोई पता इत्यादि नहीं दिया है अतः इसके कारण अभी जांच पूरी नहीं हो पाई ।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मैंने नत्थी "ग" पर प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । उस वक्त तो आपने इजाजत दी नहीं । यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इस सदन के विधायकों के सम्बन्ध में है । मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रश्न पर चर्चा का समय निर्धारित कर दें । इसे मैंने 49 में लिखकर दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है । उसे मैं स्वीकार कर लूंगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह सही है कि इस प्रश्न पर विचार होना चाहिये क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

49 में आ जायगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के वार्षिक विवरण पत्र, 1973–74 *

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

मैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र, 1973–74 को इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन 1970–71 *

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

मैं उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन 1970–71 की कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

*छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उधार विधेयक, 1973

सचिव, विधान सभा—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि उधार विधेयक, 1973, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 362 पर)

उत्तर प्रदेश में बंगला देश टैक्स के लागू रहने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मेरा निवेदन आपकी मार्फत सरकार से यह है कि भारत सरकार ने बंगला देश का जो टैक्स लगा था वह 1 तारीख से खत्म कर दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर होटलों तथा सरकारी बसों में वह वसूल हो रहा है और जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई सरकारी आदेश नहीं आये । सरकार इस पर अपनी राय जाहिर करे ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

कार्यवाही क्या करनी है ? अभी वह टैक्स लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में । भारत सरकार ने खत्म कर दिया होगा ।

श्री अध्यक्ष—

क्या लगा रहेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अभी तो लगा हुआ है जब तक वापस नहीं किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

सब प्रान्तों ने उसे खत्म नहीं किया ?

श्री कमलापति त्रिपाटी—

जब तक हम खत्म नहीं करते तब तक वह लगा रहेगा । हम वसूल कर ही रहे हैं ।

नगरपालिका के टीचर्स द्वारा अनशन तथा आत्मदाह की धमकी के संबन्ध में जानकारी

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

जो टीचर्स अनशन किये हुए हैं बाहर वह भूख हड़ताल, आत्मदाह तथा अनशन करने जा रहे हैं । उनकी सुनवाई कब की जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह आप लिख कर दे दें ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

लिख कर सूचना दे दी गयी है ।

उत्तर प्रदेश में बंगला देश टैक्स के लागू रहने के सम्बन्ध में जानकारी (क्रमागत)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर मेरी एक बात सुन लीजिये । बंगला देश के टैक्स के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह टैक्स लगा था उस समय स्टेट आफ इमरजेन्सी घोषित कर दी गई

[श्री बंशीधर पांडेय]

थी। यह भारत सरकार का टैक्स था क्योंकि यह फारेन पालिसीज से सम्बन्ध रखता था। भारत सरकार ने तो इस टैक्स को वापस ले लिया। मुझे याद है वित्त मंत्री ने इस बात की घोषणा की है कि वह टैक्स यहां पर लगा रहेगा किन्तु वह बंगला देश के टैक्स के रूप में नहीं वसूल किया जा सकता है। भारत सरकार ने यह भी कहा था कि यदि स्टेट की सरकारें चाहेंगी तो इस टैक्स को दूसरे रूप में लगा सकती हैं। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से तथा माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे इस पर विचार करें और यदि टैक्स लगाना ही हो तो इसे दूसरे रूप में कन्वर्ट कराकर लगा सकते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में कानूनी पोजीशन क्या है, इसको मैं बिखवा लूंगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

इसकी सूचना सदन को जरूर मिलनी चाहिए।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, जैसा कि माननीय पांडेय जी ने कहा कि बंगला देश का जो टैक्स है वह दूसरे रूप में लगाया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार केन्द्र की सरकार ने पहली अप्रैल से रेल, मोटर आदि में इस टैक्स को नहीं लगाया है, उसी प्रकार स्टेट की सरकार भी इसे समाप्त करने की घोषणा करे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, वित्त मंत्री का बजट पेश करते हुये जो भाषण हुआ था उसमें यह बात कही गई है कि इतनी आमदनी यहां से होगी, इतनी आमदनी यहां से होगी, जिसमें कि बंगला देश का भी जिक्र है। आपके ध्यान में अब यह बात आई जब इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया। इसके बाद जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिये हैं कि इसे कानूनन नहीं रख सकते हैं, इनको मैं बिखवा लूंगा और जैसा होगा वैसे करेंगे।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुन लीजिये। मैंने आपसे नियम 301 में अनुमति चाही थी। एक गया प्रसाद नामक व्यक्ति झांसी जिले में मुख्य मंत्री द्वारा ताम्रपत्र प्राप्त करने के लिये गया था। उस आदमी को वहां के मुन्सिफों ने बुलाया और कहा कि गांधी टोपी उतार दो और उससे गांधी टोपी उतरवा दी। उससे कहा गया कि तुम्हें इसीलिये बुलाया गया है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

बहुत धन्यवाद। बड़ी भारी कठिनाई आज हो रही है।

विद्युत् मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक नया विशेषाधिकार का प्रश्न आज आया है। बिजली न होने की वजह से हरिद्वार के किसी अस्पताल में एक छात्र की मृत्यु हो गई तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

माननीय, यह सरकार और इसके विद्युत मंत्री सदन में बार-बार घोषणा किये हैं कि इसेन्शियल सर्विसेज जो हैं जैसे अस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं, औषधालय आदि हैं वहां पर चौबीसों घन्टे बिजली दी जायेगी। इस बात के लिये इन्होंने आश्वासन भी दिया है लेकिन इसके बावजूद भी हरिद्वार के कनखल में एक लड़का पेड़ से गिर गया जब वे डाक्टर के पास ले गये तो वहां के लोगों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों से अनुरोध किया कि 15 मिनट के लिये ही उस अस्पताल को बिजली दे दी जाय ताकि उस लड़के के फेफड़े में जो खून भर गया था वह ट्रांसफ्यूजन के जरिये से निकाल दिया जाय। लेकिन बिजली विभाग के लोगों ने पता नहीं कितना कठोर उनका दिल है, कैसे निष्ठुर हैं कि उन्होंने वहां बिजली देने की आज्ञा नहीं दी। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो वित्त मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया, या तो वही विशेषाधिकार के रूप में बनता है या इनकी बात को अधिकारी नहीं मानते हैं तो माननीय, इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि इस तरह की घटनायें घट रही हैं और इस प्रदेश में सैकड़ों ऐसे आदमी हैं जो उचित चिकित्सा से महरूम रह जाते हैं और एक्सरे वगैरह जो दूसरे प्लांट हैं जिनके जरिये लोगों को जीवन प्रदान किया जा सकता है वह नहीं प्रदान किया जाता। ऐसी परिस्थिति में पहले जो माननीय मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया है उस आश्वासन के विपरीत उन्होंने सदन को गुमराह किया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

माननीय, मेरी सूचना है कि 22 तारीख को एक लाश पोस्टमार्टम के लिये गयी जो बिजली के अभाव में 25 तारीख तक पड़ी रही क्योंकि समय पर बिजली विभाग से बिजली नहीं मिली। इस तरह की कई दुर्घटनायें सारे प्रदेश में हो रही हैं। यह बड़ी ही भयंकर बात है। असेंशियल सर्विसेज के लिये कहा गया है कि बराबर बिजली मिलेगी, जैसे हास्पिटल, मिलिटरी आदि को, तो यह मन्त्री जी की गलत बयानी है। जो बात वे यहां कहते हैं उसका बिलकुल पालन नहीं होता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

यह प्रश्न मैंने नियम 51 में दिया है। कल वाटर वर्क्स को बिजली न मिलने से ही लखनऊ में लोगों को पानी नहीं मिला। जो असेंशियल सर्विसेज हैं, अस्पताल, वाटर वर्क्स आदि, इन सब को तो बराबर बिजली मिलनी ही चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

इस पर विद्युत मंत्री ही कुछ कह सकते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय---

विद्युत् मन्त्री कहां हैं? वे तो हैं ही नहीं यहां।

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)---

इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

आदेश यहां से हु कि असेंशियल सर्विसेज को---जैसे वाटर वर्क्स, हास्पिटल आदि को बिजली बराबर मिलती रहनी चाहिये, इसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिये। इसकी तरफ आपने ध्यान आकृष्ट कराया है तो इसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

मान्यवर, हम लोगों के कमरे में 1 बजे के बाद बिजली नहीं आती है और यह सत्र 10 मई तक चलने वाला है, तो क्या हम लोग अपने कमरे में घुट घुट कर मरें, मंत्रियों के घरों म तो बराबर बिजली मिलती है और उनके लिये हर चीज की सुविधा है लेकिन विधायकों के लिये ऐसा कुछ भी नहीं है। दारुलशफा, रायल होटल कहीं भी बिजली 1 बजे के बाद नहीं मिलती है। (व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)---

मान्यवर, यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है। इसलिये कि सदन में माननीय विद्युत मत्री जी ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि हास्पिटल वगैरह सब जगह बिजली दी जायेगी और इस तरह की जो घटनायें घटी हैं उनसे यह साबित हो गया है यह सब झूठ है, और केवल सदन को गुमराह किया गया है। इस तरह का बयान देकर केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया है कि यह सरकार बहुत अच्छी तरह से चल रही है और बिजली की सप्लाई अस्पताल वगैरह सब जगह बराबर मिल रही है। यह बिलकुल झूठ और गलतबयानी है। तो इससे ज्यादा विशेषाधिकार का प्रश्न और क्या हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---

यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है। बात यह है कि मंत्री जी ने यहां कह दिया कि अस्पताल वगैरह को 24 घन्टे बिजली मिलती रहेगी और फर्ज कीजिये किसी दिन बिजली नहीं मिल पायी तो मत्री जी उसकी इनक्वायरी करायेंगे और उस पर ऐक्शन लिया जा सकता है लेकिन यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री बलबीर सिंह---

प्रश्न यह है कि उनका कहना है कि ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है और हमारे पास कोई आदेश ही सरकार का नहीं है कि बराबर बिजली उनको दी जाय। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

हमारे कमरों में तो रोशनी ही नहीं मिलती है। हम रोटी कैसे खायेंगे? यहां एयर कन्डीशन में मत्री जी बैठेंगे, घर से खाने मंगाकर खायेंगे और हम लू में कमरों की भट्ठी में मरेंगे। मुख्य मंत्री जी हमारी भी कोई व्यवस्था करेंगे या नहीं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

1 बज के बाद बिजली कहीं नहीं जाती, उन्होंने कह दिया कि मंत्रियों के घर जाती है बिजली 1 बज के बाद किसी के घर में नहीं जाती। बिजली की कमी है थोड़ी बहुत तकलीफ सब को ही उठाना है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

आप तो यह सारे दिन एयर कन्डीशन्ड रूम्स में और एयर कन्डीशन्ड रूम्स में आराम से रहते हैं उनका खाना भी यहां आ जायगा। तो क्या हम भी मंत्रियों के कमरों में खाना खायें, आप यही तय करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

आप भी एयरकन्डीशन्ड में जाकर खाना खा सकते हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

ठीक है, हम मुख्य मंत्री जी के यहां खायेंगे।

श्री शिवानन्द नौटियाल द्वारा उनके विरुद्ध सदन में कही गयी बातों पर न्यायालय में मुकदमा दायर करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष---

मैंने यह कहा था कि श्री शिवानन्द नौटियाल से संबंधित जो प्रश्न है विशेषाधिकार का उस पर 2 दिन चर्चा चलेगी। मैंने यह फैसला दे दिया था लेकिन उसके बाद एक प्रश्न रह जाता है कि.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मेरा नम्र निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष---

पहले मुझे पूरा करने दें। उनके ऊपर जो मुकदमे दायर हुये हैं वह गाजियाबाद, पेशी 4 तारीख को है, समन 21 को सर्व करने की कोशिश की गई, ए0 डी0 एम0 के यहां भी केरोल बाग दिल्ली में, लखनऊ में, काशीपुर में, मिर्जापुर में, देवरिया में, केथल में, बारमेर राजस्थान में, शाहबाद बिहार में, कोचीन में, बम्बई में और आसाम में। चूंकि अपने प्रदेश में एक केस पहले ऐसा हो चुका है और हम विचार करके फैसला ले चके हैं, कोर्ट ने एन्टरटेन किया सजा की भी कोशिश की, वारन्ट निकाले गये लेकिन बाद में जो कुछ हुआ वह आपको मालूम है कि हमें जजों की इज्जत करना चाहिये और जज भी हमारे विशेषाधिकार की इज्जत करें। यहां मैंने कह दिया कि मैं उनसे इस बात की चर्चा कर लूंगा क्योंकि पहले बात हो चुकी है। लेकिन अब यह प्रश्न बारमेर राजस्थान, कोचीन, बम्बई, बिहार और आसाम सब जगह उठाया गया है और इन सब जगहों के समन आयें और वे सर्व न हों तब शायद वह वारन्ट भी निकालें, उसके बाद प्रश्न यह आता है क्या मुख्य मंत्री जी वह सब सर्व होने देंगे। ऐसी हालत में थोड़ी सी चर्चा आप कर लें क्योंकि मैं कह चका हूं कि विशेषाधिकार की अवहेलना इसमें होती है, यह सदन का अवमान है कि जो भाषण उन्होंने यहां दिये उस पर इस तरह की कार्यवाही की जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

आप के आब्जर्वेशन्स पर अब मुख्य मत्री जी की क्या प्रक्रिया है यह पहले माननीय सदस्य जान लें तो अच्छा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

इस मामले में निर्णय में शीघ्रता होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

वह निर्णय तो होना ही चाहिये वर्ना सारे देश में मुकदमे दायर होते जायंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

हमारे प्रदेश अलग अलग हैं, कोर्ट अलग अलग हैं वहां से कोई चीज आती है तो हम क्या करेंगे यह बात थोड़ी सी साफ हो जाय वह तो ठीक है लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय कुछ इम्मीडिएट स्टेप्स ले लिए जायं हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से कि अगर कोई समन्स या वारन्ट आयें तो हमारी पुलिस उसकी तामील न करे जब तक हम यह निर्णय न कर लें कि बाल योगेश्वर को पहले कटघरे में लाकर खड़ा कर लें।

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार की अवहेलना का निर्णय तो स्पष्ट दे दिया। ऐसा दिखायी देता है कि उनको हैरेसमेंट करने का इरादा है। कानूनन आप क्या कर सकते हैं, क्या रोकथाम कर सकते हैं, इसको देखना है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

श्रीमन्, एक सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

जिस समय मैं कुछ बोल रहा हूं उस बीच में आपको नहीं टोकना चाहिये। आप कृपया बैठें?

[श्री अध्यक्ष]

इस समय जो परिस्थिति है वह केवल एक प्रान्त की नहीं है क्योंकि हैरेसमेंट करने की नीयत से ही हर प्रान्त में अलग-अलग आदमी से मुकदमे दायर कराये गये हैं, हमारे मौटियाल साहब को फंसाने के लिए, जिसको मोलेस्टेशन मैंने कहा था। इसको आप हैरेसमेंट भी कह सकते हैं। सदन में जो माननीय सदस्य भाषण देते हैं या पत्र लिखते हैं और उनको सदन में पढ़ा जाता है तो वह सदन की कार्यवाही हो जाता है। उस कार्यवाही के ऊपर अगर इस तरह की चीजें होंगी तो विशेषाधिकार का प्रश्न आ जायगा ही, यह फैसला मैंने दिया था। मैंने कहा था कि हमारे यहां (प्रान्त के) के जो मुख्य जज हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। मैंने उसके लिए कुछ इन्तजाम किया, लेकिन दूसरे प्रान्तों के बारे में भी प्रश्न आता है। दूसरे प्रान्तों से अगर समन या वारन्ट आते हैं तो क्या स्थिति होगी। इसलिए यहां पर थोड़ी सी चर्चा हो जायगी और यदि हमारे मुख्य मंत्री जी को कोई कार्यवाही करनी होगी तो वे क्या कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं, उसकी जांच करलें और अपने विधि परामर्शी और महाधिवक्ता से राय ले लें कि वे उस पर क्या कार्यवाही करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अगर दूसरे प्रान्तों से वारन्ट आते हैं तो वे एक्जीक्यूट न हों। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला बेदरिया)--

माननीय सदस्य चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी कोई आश्वासन दें। व्यवस्था यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी कैसे आश्वासन दे सकते हैं। आप (अध्यक्ष जी) हमारे गार्जियन हैं . . . . .

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे आपत्ति है। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं और माननीय पांडेय जी ब्रीफ होल्ड करते हैं। यहां की स्थानीय पुलिस को माननीय मुख्य मंत्री जी आदेश देने की एक न्याय संगत बात मैंने कही। जब तक इन सब मामलों का फैसला नहीं होता है तो वारन्ट या समन रोक दें, तो क्या इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं कह चुका हूं कि वे अपने एडवोकेट जनरल और एल० आर० से सलाह करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वे क्या कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, इसमें ऐसी जरूरत नहीं है (व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं यह नहीं समझ सका कि इसमें दो मत कहां हुए। यह प्रश्न जब उठ रहा था माननीय राज मंगल पांडेय जी जो कह रहे थे उसमें मैं यह समझा कि उनका यह कहना था कि माननीय मुख्य मंत्री आश्वासन दें या न दें, हमारे गार्जियन तो आप (अध्यक्ष) हैं। आप इस सम्बन्ध में आदेश दें। वे यह बात कहने ही जा रहे थे कि माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने कहा कि ये ब्रीफ होल्ड करते हैं। ये कह रहे थे कि आप इस सदन के सदस्यों के गार्जियन हैं और आप उनके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और उस सम्बन्ध में आपके ही आदेश हो जाने चाहिए। यह बात कहने जा रहा था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर दूं, जैसा कि आप लोगों ने कहा और अध्यक्ष को स्वयं अधिकार है, मैं समझता हूं यह काम ऐसा है कि इसमें हर कानूनी राय लेकर तत्काल कार्यवाही कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष---

आप लीगल ऐडवाइस लेकर कार्यवाही कर दें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

लीगल ऐडवाइस लेकर तत्काल कार्यवाही उचित होगी ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)---

मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में जहां तक सूबे का प्रश्न है, वहां पर मुख्य मंत्री जी कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं । यह जो गोवा, राजस्थान आदि की बात है, उसमें मुख्य मंत्री जी अखिल भारतीय गृह मंत्री से विचार कर लें और आल इण्डिया पैटर्न पर कोई कार्यवाही करेंगे और उस पर प्रकाश डालेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

वे दोनों करेंगे । अपने प्रान्त में तो कोई दिक्कत उनको नहीं पड़ेगी । लेकिन दूसरे प्रान्त में दिक्कत पड़ेगी । अनेकों प्रान्तों में मुकदमे दायर किये हैं । उसके लिये जो सेन्ट्रल गृह मंत्री हैं, उनसे चर्चा करनी पड़ेगी । वह पूछ लेंगे और बाद में फैसला कर देंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

वह जो राय है, लेते रहें लेकिन जो सम्मन और वारन्ट तामील करने का काम है, उसको रोका जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष---

वह कन्टेम्ट आफ कोर्ट नहीं करेंगे । कानूनी राय लेकर ही करेंगे ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

कन्टेम्ट का कहां सवाल है, जब आपने, मान्यवर, निर्णय ले लिया कि उनका कार्य गलत है । सदन का अपमान हुआ है । मान्यवर, आप यहां तीन रूपों में बैठे हैं--न्याय, ऐड-मिनिस्ट्रेशन और जुडीशियल । इसमें आपका हक है । आपने निर्णय दे दिया, तो यह काफी है कि उनके सम्मन इस प्रान्त में जब आयें तो तामील न किये जायें । इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है । यह जरूरी नहीं कि एडवोकेट जनरल से पूछा जाय । हम भी अपनी राय दे सकते हैं ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे---

मान्यवर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहां जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहते हैं । जिम्मेदारी के साथ हम कोई मुख्य मंत्री जी को या किसी मंत्री को लिखते हैं । वह पत्र सदन में पढ़ा जाय और उस पर किसी प्रकार का मुकदमा चलाया जाय, तो यह हमारे अधिकारों के विपरीत है । यह एक पैटर्न बन गया है । यह हैरासमेंट है । मैं अर्ज कर दूं कि आज मुकदमा दायर किया, कल अगर फिजिकल ट्रेरेराइजेशन होने लगे, तो क्या होगा । मान्यवर, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि नव भारत टाइम्स के हिन्दी विभाग के एडीटर के साथ क्या तमाशा हुआ । आज ही सुबह बताया गया कि (अगर मैं अनुचित न कहता हूं, आपके सचिव भी वहां थे) उन एडीटर महोदय के यहां 4 आदमी घुस गये और किसी ने कहा कि मैं रामचन्द्र हूं और किसी ने कहा कि मैं हनुमान हूं---और उनके ऊपर चढ़ बैठे और खूब मरम्मत हुई । तो इस तरह से यदि घर पर, रास्ते में, आते-जाते फिजिकल ट्रेरोराइजेशन होने लगे, तो क्या स्थिति होगी ? मान्यवर, हमको इस बाड़मर स्थान की जानकारी है ।

[श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे]

बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर आप उतरें तो रेलवे स्टेशन का आधा प्लेटफार्म तो हिन्दुस्तान में है और आधा पाकिस्तान में आप यह विचार कर लें मान्यवर, कि मान लीजिये कि अगर कोई टरेराइज करे और उस स्टेशन पर उतरा है और उसे मारकर उसकी लाश पाकिस्तान में फेंक दे, आप क्या करेंगे। अब तक मान्यवर, लीगल टेरेराइजेशन और फिजीकल टेरेराइजेशन दोनों हैं और जनतन्त्र में ऐसा होने देने की आप इजाजत देंगे। आज एक माननीय सदस्य की बात हो सकती है तो कल दूसरे के साथ भी हो सकते हैं। इस दृष्टि से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज इसको अहमियत देने की बात है। अहमियत इस बात की नहीं कि आज इस पर मुकदमा चल गया, अहमियत इस बात की है कि हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो रही है। मेरा आग्रह है कि इस पर जल्दी से कदम उठाना चाहिये इसमें विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको कमेटी के सुपुर्द कर दें और जैसा यह कमेटी कहे उनको बुलाया जावे क्योंकि बाल योगेश्वर के इशारे पर यह सब हो रहा है। यदि वह हिन्दुस्तान के बाहर चले गये तो आप क्या करेंगे।

मान्यवर एक प्रकार कि फासिस्ट मनोवृत्ति आ रही है और यह कानून का लंकूना लेकर लाभ उठा रहे हैं। इस पर भारत सरकार को भी लिखने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वह भारत सरकार से जल्द बातचीत करें जिससे वह प्रदेश की व्यवस्था कर सकें। यही नहीं सारे देश में यह व्यवस्था हो सके और साथ ही साथ इस सदन के ही नहीं भारत में अनेक राज्यों के सदन के सदस्यों की जो वाह्य स्वतन्त्रता है उसकी रक्षा हो सके। इसके साथ ही साथ चाहे वह प्रेस का मालिक हो या सदन का सदस्य, सबकी स्वतन्त्रता आवश्यक है। अतः मैं आग्रह करूंगा कि आप सदन के सुपुर्द करें और माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर जल्दी से जल्दी और स्ट्रांग से स्ट्रांग कदम उठाने की कोशिश करें और अपने उठाये हुये कदमों से सदन को भी अवगत करायें।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, इधर भी आप देखें और अवसर बोलने का दें।

श्री अध्यक्ष--

हम देंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि कदाचित् यह सदन और हमारे माननीय मित्र दुबे जी व्यर्थ में कुछ आशंकित हो गये हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के आरोप बहुत मर्तबा न्यायालय में आते हैं और ऐसा ख्याल है कि माननीय दुबे जी और यह सदन समझते हैं कि इस प्रकार के आरोपों का कोई उपचार नहीं है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में इन्डियन पेनेल कोड की धारा 120 (ए) में पढ़े देता हूं जिससे सारा मामला स्वतः स्पष्ट हो जाता है। यह धारा इस प्रकार है:--

When two or more persons agree to do, or cause to be done—
(1) an illegal act, or
(2) an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy.

इस तरह से निश्चित रूप से यह मामला कान्सपिरेसी में आता है चाहें वह बाल योगेश्वर हों या उनके सब साथी। उन्होंने या उनके साथियों ने चाहे हिन्दुस्तान में किसी भी जगह--चाहे वह गोवा हो, पूना हो, पटना हो, जितने इस्तगासे दाखिल किये हैं वह सब क्रिमिनल कान्सपिरेसी के अन्तर्गत हुये हैं। और उस क्रिमिनल कांसपिरेसी में स्वयं बाल योगेश्वर जी दोषी

होंगे और जिन जिन लोगों ने इस्तगासे किये हैं वे सब उसके दोषी होंगे। मेरा एकमात्र निवेदन दुबे जी और इस सदन से यह था कि यह सदन सक्षम है कि बाल योगेश्वर जी को यहां बुलाया जा सकता है और जितने इस्तगासे उनके कहने से क्रिमिनल कांसपीरेसी के अन्तर्गत हुए हैं वही आरोप जो एक के विरुद्ध लगाया जा सकता है सब के विरुद्ध लगाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--

जैसा कि नियम है कि जब मैं प्राइमा फेस केस समझ लूं तो कमेटी को दे दूं। कमेटी के सामने सब आ सकते हैं और बुलाये जा सकते हैं। लेकिन यह सदन पूरा खुला रहे तो कौन बोलेगा और क्या बोलेगा और फिर विशेषाधिकार समिति का कोई काम नहीं रहेगा। आप क्या उचित समझते हैं कि मैं इसको विशेषाधिकार समिति को रेफर कर दूं?

कई सदस्य--

नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप यह फैसला दे चुके हैं .....

(व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

सबको पकड़ कर सदन के सामने लाया जाय।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

लखनऊ के अन्दर बाल योगेश्वर के समर्थक सैकड़ों की तादाद में घूम रहे हैं। उनके पास ताकत है और थैलियां हैं। यह प्रजातंत्र का मंदिर है.....

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको इजाजत नहीं दी। मैं इनसे पूछ रहा हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मेरी दृष्टि में यह ऐसा प्रश्न है कि जिस पर सारा सदन उद्वेलित है और सदन में आक्रोश है। यह तो मैं जानता हूं कि श्रीमन सक्षम हैं कि तय कर दें कि प्रिवलेज का प्रश्न हो गया और सब को सीधे बुला सकते हैं। दूसरा यह हो सकता है कि सदन आज्ञा दे तो प्रिवलेज कमेटी को एक सप्ताह या चार दिन का समय दे दें और वह तय कर दे कि किन-किन को बुलाना है और वह इस सदन में आ जायं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आपने एक दफा निर्णय ले लिया कि सदन के अन्दर निस्तारण होगा। यह हो सकता है कि जिन्हें बुलाया जाय उन्हें आप अपने कक्ष में बिठा लें और एक-एक करके बुलायें। सबसे पहले बाल योगेश्वर जी आयेंगे। उनका पहला नम्बर होगा।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

यह उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं सारे देश के लिए गम्भीर घटना है। सदन की बात ही सुनने के बाद कोई निर्णय आप करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। आप सबको मौका मिलेगा।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

यह बड़ा गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष--

आप सदन की मर्यादा भंग कर रहे हैं। मैं आपको मौका नहीं दूंगा। अगर आप बोलते रहे। इसको लिखा नहीं जायगा। आप अनुशासन भंग कर रहे हैं।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

इस प्रश्न के संबंध में मेरी राय यह है कि अगर यह प्रश्न सदन के सामने आता है तो यह बड़ा गम्भीर प्रश्न हो जाता है और इस प्रदेश के अन्दर ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के अन्दर भी कार्यवाही फौरन बन्द हो जायेगी, लेकिन अगर आपने विशेषाधिकार समिति को भेज दिया तो उसका महत्व उतना नहीं रह जायेगा कि वह कार्यवाही चलती रहेगी। मेरा निश्चित मत है कि यह सदन के सामने आना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मान लीजिए कि क्रिमिनल कांसप्रेसी है तो क्रिमिनल कांसप्रेसी को तो इन्डियन पीनल कोड के मुताबिक काम्पीटेंट कोर्ट ही तय कर सकती है। विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित है। उस पर आपका फैसला हो गया कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है। अब इसे आप सदन में भेजना चाहें वह आपके अधिकार में है। सदन विचार करेगा। यह भी आपके अधिकार में है कि जिस दिन आप चाहें विचार हो जाए और अगर आप समझते हैं कि यहीं सदन में आएं तो बुला लीजिए।

(व्यवधान)

श्री डी० पी० बोरा--

बाल योगेश्वर बड़े मठाधीश हैं। हिन्दुस्तान में वे बहुत जाल फैलाये हुए हैं।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, माननीय नौटियाल जी की शिकायत पर पिछली बैठक में आपने व्यवस्था दी थी और वह व्यवस्था इस प्रकार है कि विशेषाधिकार भंग का प्रश्न बनता है। दूसरी व्यवस्था जूडिशियरी और विधान सभा के बीच में विवाद के संबंध में थी। तो सुप्रिम कोर्ट के उस निर्णय का सहारा ले कर विधान सभा ही सक्षम होगी। तीसरी बात आपने यह कही थी कि 2 अप्रैल को इस सदन में यह मामला उठाया जायेगा। ए० डी० एम० (जे०) गोरखपुर के यहां इस्तगासा दायर हुआ। दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह के इस्तगासे दायर किये गये हैं। आपने सुझाव दिया कि मुख्य मंत्री जी इसको देख लें। केन्द्रीय सरकार के जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे भी बात कर लें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस मामले को इस तरह तय कर सकते हैं कि जाब्ता फौजदारी के नियम के मुताबिक कहीं कोई इस्तगासा दायर होता है तो समन के साथ इस्तगासे की नकल भी जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां इस्तगासे दायर हुए हैं वहां भी समन के साथ उसकी नकल जायेगी। तो आप खुद ही यह फैसला ले सकते हैं कि यहां आई० जी० या गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट कर दें कि अगर कोई मामला यहां पर आए जिसमें विधान सभा में माननीय नौटियाल जी द्वारा कोई भाषण दिया गया हो या प्रश्न-उत्तरों के संबंध में कार्यवाही हुयी हो--तो ऐसे इस्तगासों की सूचना तुरन्त आपकी जानकारी में लायी जावे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, उनके ऊपर सर्विस का प्रश्न नहीं उठता है। उनके ऊपर सर्विस नहीं होना चाहिये। चाहे जिस जिले में उन पर सर्विस करने की बात हो वह सबसे पहले आपके नोटिस में आना चाहिये और फिर आप कार्यवाही करें। इसमें यह प्रश्न रह गया है। बाकी सभी बातों में आपकी व्यवस्था हो चुकी है। अब इसके बारे में डिसकशन होना है। यह नियम 67 के अन्तर्गत आपने एनाउन्स किया था। इस मामले को समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है इसलिये अच्छा हो यदि पूरी जानकारी आपको उपलब्ध हो गई हो तो इसकी चर्चा आज ही करवा दें, तो अच्छा होगा। जहां तक मैं समझता हूं कानूनी पोजीशन यह होना चाहिये।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)--

सारे देश की विधान सभाओं के लिये यह एक गंभीर घटना है। केवल उत्तर प्रदेश की विधान सभा के किसी माननीय सदस्य का यह प्रश्न नहीं है, पूरे जनतंत्र का सवाल है। इस तरह से विधान सभाओं के सदस्य किसी संस्था अथवा दूसरी बातों के विषय में प्रश्न कैसे पूछ सकेंगे यदि उन पर उसके लिये मुकदमा चलाया जावेगा। इसमें श्री नौटियाल के जीवन का भी संकट है। मुझे इसकी सूचना मिली है। विधान सभा के सदस्यों को संविधान की धारा 194 (एक) के अनुसार निश्चित रूप से वाक स्वातंत्रय है और संविधान की धारा 194 (2) के अनुसार विधान सभा के किसी भी सदस्य के द्वारा निकले हुये शब्द के लिये वह किसी कोर्ट में प्रोसीक्यूट नहीं किया जा सकता है। संविधान की धारा 194 (3) के अनुसार हमारे पावर प्रीविलेजेज वही हैं जो हाउस आफ कामन्स के हैं। हाउस आफ कामन्स में यह निश्चित कंवेन्शन है कि यदि इस प्रकार का ब्रीच होता है तो उनको अधिकार है कि ब्रीच करने वाले को दंड की व्यवस्था करें।

हमारे प्रीविलेजेज भी वही हैं जो हाउस आफ कामन्स के हैं यह निर्विवाद और स्वयं सिद्ध है, ऐसी स्थिति में श्री नौटियाल या किसी अन्य सदस्य के सम्मान के विरुद्ध मुकदमा करने वालों पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जानी चाहिये। श्री बाल योगेश्वर और उनके दूसरे साथियों को जिन्होंने श्री नौटियाल के विरुद्ध मुकदमा किया है, उन्हें यहां कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिये क्योंकि इससे हमारे प्रिविलेज का हनन हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि इस मामले को प्रीविलेज समिति में न भेज कर सारे सदन को ही कोर्ट में कन्वर्ट करके और जूरी की तरह बैठकर इसका यही निर्णय लेना चाहिये और दंड दिया जाना चाहिये। तभी हमारे प्रीविलेजेज और संविधान की रक्षा हो सकती है।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

मैं तो बहुत छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। मेरी समझ में यह बात तय हो गयी है, प्राग्दर्शित हो गयी है कि इसमें सदन के अवमान का, अवहेलना का प्रश्न संनिहित है। वह आपने तय भी कर दिया। अभी आपने यह फरमाया था आप इस पर विचार कर रहे हैं कि अगर इसको विशेषाधिकार समिति में न भेजा जाय और यहीं ले लिया जाय तो विशेषाधिकार समिति की क्या आवश्यकता रह जायगी-ऐसा मैंने सुना। मैं नियम 67 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें दिया हुआ कि ऐसे प्रश्न भी आयेंगे जिनको आप विशेषाधिकार समिति में न भेज कर सीधे यहां तय कर देंगे, यह उसकी अहमियत पर निर्भर करेगा। आप इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं और प्रस्ताव हो सकता है कि बिना विशेषाधिकार समिति में भेजे हुए निर्णय कर लिया जाय। जो यहां पर भावनाएं प्रदर्शित की गयी हैं, मेरी समझ में यह प्रकट हो गया है कि ऐसा मत है कि यहीं लिया जाय। इससे सभी की भावनाओं का आदर हो जायगा, विशेषाधिकार समिति को न भेजा जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

तो मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं....

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

नियम 67 के अन्तर्गत यह निर्णय आपने ले लिया है कि इसी सदन के अन्तर्गत यह मामला देखा जायगा । आप प्रोसीडिंग्स देख लें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

नियम 67 के अन्तर्गत आपने ले लिया और हाउस की कांसेंशस भी है तो फिर कोई सवाल नहीं रह गया । यदि अध्यक्ष इस मत का हो जाय कि यहीं निस्तारण हो तो विशेषाधिकार समिति में भेजने की क्या आवश्यकता है ? आप तत्काल या किसी आगामी दिन विचार कर लें ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

आप डिसीजन कर सकते हैं कि वहां भेजे बिना ही यहीं निस्तारण हो सकता है । निस्संदेह हो सकता है और सब की भावना है तो इसका निस्तारण यहीं हो जाना चाहिए और इसमें विशेषाधिकार समिति की उपेक्षा नहीं होती है ।

श्री अध्यक्ष--

जब विचार हो रहा है तो यह भी विचार कर लें कि क्या जिन्होंने मुकदमा दायर किया है उनके ऊपर सदन की ओर से नोटिस दिया जाय या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

नोटिस का प्रश्न नहीं है, उनको सीधे यहां बुलाया जायगा ।

श्री बांकेलाल--

मान्यवर, हमको समय दीजिये, मैं अनेक बार . . .

श्री अध्यक्ष--

पहले नेताओं को दे दूं ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

आज जो प्रश्न सदन के सामने है, मान्यवर, बड़ा गम्भीर प्रश्न है और जैसा कि आपने निश्चय भी ले लिया है कि महज शिवानन्द नौटियाल को मोलेस्ट करने के लिए, केवल इस बात के लिए उन्होंने बाल-योगेश्वर के काले कारनामे इस सदन के सामने रखे थे, जनता के सामने इन पाखंडियों का भंडा फोड़ करने के लिए उन्होंने यह पत्र लिखा कि धर्म के नाम पर जो पाखंड हो रहा है वह खत्म किया जाय--यह उनका कर्त्तव्य था । यह तो माननीय सदन के हर माननीय सदस्य का कर्त्तव्य है कि अगर उनकी जानकारी में कहीं इस तरह का पाखंड रचा जाता हो तो उसका भंडाफोड़ इस माननीय सदन में होना चाहिये । जो सरकार बैठी है, सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा न हो सके ।

उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दावे हो रहे हैं । राजस्थान में चल रहा है, शायद और जगह भी हो रहे हैं और यही नहीं, आपने भी आब्जर्व किया था कि बड़ी चालाकी के साथ ये किये जा रहे हैं । पहले शिष्यों के नाम से कराया गया, कहीं डिवाइन लाइफ सोसाइटी के नाम से कराये जायंगे, लेकिन उनका केवल मकसद यही है, मोटिव यह है कि शिवानन्द नौटियाल को इस तरह से आतंकित कर दिया जाय कि निर्भीकतापूर्वक अपनी बात न कर सकें । तो उन तमाम लोगों को चाहे मैजिस्ट्रेट हों, वकील हों, गवाहान हों, वादी हों सब को इस कटघरे में खड़ा कर दिया जाय । आपको अधिकार है कि किस ढंग से ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपने मुख्य मंत्री जी से कहा है कि वह इसमें कानूनी राय ले लें। मैं समझता हूं कि कानूनी राय लेने की जरूरत नहीं है। कानून बिल्कुल साफ है। जब आप इस निर्णय पर पहुंच चुके हैं कि इस सदन के एक माननीय सदस्य को आतंकित करने के उद्देश्य से इस ढंग से दावे किये जा रहे हैं तो आपको यह अधिकार मिल जाता है कि आप इस प्रदेश के मुख्य मंत्री को डायरेक्शन दें कि इस प्रकार के जो भी समन्स आयें वह तामील न कराये जायं। आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट के अन्दर शंकराचार्य के चेलों ने सुप्रीम कोर्ट में पेटीशन दी और उसके अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष और संसद के कुछ सदस्यों को समन किया गया तो माननीय सदन ने उन माननीय सदस्यों को यह डायरेक्शन दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जायेंगे। यह अभी हाल की ही रूलिंग है और आपको भी याद होगी। तो जब इस माननीय सदन की गरिमा की रक्षा करना आपके हाथ में है तो आपको यह अधिकार स्वयं ही प्राप्त हो जाता है कि आप इस प्रदेश के मुख्य मंत्री को यह स्पष्ट निर्देश दें कि इस तरह के दावों के सम्बन्ध में जो भी प्रोसेस आयें वह तामील न हों। मैं समझता हूं यह सही कानूनी स्थिति होगी।

श्री बांके लाल—

आप तो एक बार निर्णय दे चके हैं कि वह लोग पकड़े जायंगे और सदन के सामने लाये जायेंगे। तो फिर मुस्तदी से उन लोगों को पकड़वा कर सदन के सामने लाइये और सदन कोर्ट के रूप में परिणत हो कर फैसला करेगा। आप ही एक मात्र हम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु हैं। यहां हम भाषण देने के लिये और अपने विचारों को रखने के लिये स्वतंत्र हैं। उस स्वतंत्रता पर जब कोई आक्रमण करता है तो आप और नेता सदन पर भी आक्रमण कर सकता है और हमें रिवाल्वर से परिषद् के बाहर मार भी सकता है। इसलिये जो आपने निर्णय ले लिया है आप मुस्तैदी से उन लोगों को पकड़वाकर सदन के सामने मंगाइये। केशवसिंह जी की कहानी न याद कीजिये। उस मामले को छोड़ दीजिये। यह अपील मेरी आप से है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं समझता हूं इस पर काफी बहस हो चुकी है। इसमें दो बातें स्पष्ट हो गयी हैं। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि आप इस परिणाम पर पहुंच चुके हैं कि विशेषाधिकार का यह प्रश्न बन गया।

श्री अध्यक्ष—

अब तक यह निश्चय है कि सदन में ही इस पर विचार होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आपने यह भी मुझसे कहा और मैं समझता हूं कि ठीक कहा और मैं उसे आदेश के ही रूप में मानता हूं कि आप अपनी कानूनी राय लेकर इस बात की चेष्टा कीजिये कि अगर इस प्रकार के समन्स आयें तो वह एग्जीक्यूट न हों। जरूर कानून के मुताबिक कार्यवाही करनी पड़ेगी। बहुत शीघ्र ही इस पर राय लेकर इसका पालन करूंगा।

अब प्रश्न यह रहा कि जिन लोगों ने विशेषाधिकार की अवहेलना की उनके साथ कौन सी कार्यवाही की जाय। इस विषय में आप निर्णय ले लें और मैं समझता हूं कि सदन का जो भाव है और सब की जो भावना है, बिना किसी दलगत विचार के, वह आपके सामने है। आज आप इस पर विचार कर लें, हमारे कुछ नेताओं को भी बुला लें और कल इस पर फैसला दे दें कि कौन सी कार्यवाही की जाय।

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)---

आज जब श्री नौटियाल साहब आ रहे थे तो तीन आदमियों ने गेट पर उन्हें रोक कर कहा कि तुमको हिन्दुस्तान भर में घुमाया जायेगा और मजा चखायेंगे । इस तरह की धमकी आज उनको दी गयी । कानूनी दांव पेंच द्वारा परेशान किया जा रहा है ।

(इस समय सदन में बिजली फेल हो गयी) ।

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये ।)

श्री उपाध्यक्ष---

अब माननीय शिवानन्द जी स्वयं आज की घटना को आपके सामने रखेंगे ।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया । आज जब मैं मित्तल साहब को अपने मुकदमों के कागजात की लिस्ट आदि देकर आ रहा था तो बाहर 3–4 आदमियों ने कहा कि आपके ऊपर तो अभी ऐसे ऐसे मुकदमें चलाये जायेंगे जिनका न सर है न पैर है । हमने कुछ टेप भी करवा रखा है जो आपकी आवाज से मिलता-जुलता है । मैंने उनसे कहा कि आप आवाज कैसे साबित करेंगे कि यह मेरी ही है । उन्होंने कहा कि वह बाद को देखा जायेगा । हमारा तो उद्देश्य आपको परेशान करने का है । अभी 31 तारीख को एक सम्मन मुझे 4 तारीख को गाजियाबाद में न्यायालय में उपस्थित होने के लिये मिला है । सदन चल रहा है । अगर इसी तरह से मुझे परेशान किया जाता रहा तो मैं अपने कार्य को नहीं कर सकूंगा जो एक विधायक होने के नाते मुझे करना चाहिये । आपके समक्ष इसलिये मैं इस विषय को ला रहा हूं कि मुझे जो इस तरह से हैरासमेंट दिया जा रहा है, आप इस सम्बन्ध में मुझे संरक्षण प्रदान करें ।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, अभी-अभी माननीय शिवानन्द जी नौटियाल ने उनको नोटिस दिये जाने की बात आपके सामने रखी तथा कुछ अन्य बातें बतायीं । अभी माननीय अध्यक्ष जी ने भी अपनी व्यवस्था दी थी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपनी बात कही । आज उन सब को नोटिस दिये जाने की बात भी आपके सामने रखी गयी । माननीय नौटियाल साहब को 4 तारीख को गाजियाबाद में न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस भी मिला है । मैं समझता हूं कि अगर 4 तारीख को नौटियाल साहब को वहां हाजिर होना है तो फिर उस आज्ञा के अनुसार यह इस सदन की सेवा करने से वंचित हो जाते हैं और श्रीमन्, जब परिस्थिति यहां तक आ जाये तो यह माना जा सकता है कि जिस भाव का उन्होंने जिक्र किया, जिन परिस्थितियों का जिक्र किया, एक असाधारण परिस्थिति पैदा हो जाती । अब वह सारी प्रक्रिया जो नियमावली के नियम 63 से लेकर 67 तक की है वह कार्यवाही हो चुकी है । अभी राजस्व मंत्री जी ने कहा कि किसी प्रस्ताव द्वारा इस सदन में चर्चा हो सकती है। वह नियम 67 है, जो इस प्रकार है:---'यदि अध्यक्ष इस मत के हों कि सूचना का विषय ऐसा है जो बिना विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये ही सदन में निस्तीर्ण किया जा सकता है तो यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रश्न पर तत्काल या किसी आगामी तिथि पर विचार किया जाये ।"

तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अबिलम्ब श्री शिवानन्द नौटियाल द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न तथा सदन के अवमान के प्रश्न पर अपने विचार प्रारम्भ कर दे ।

मैं मुख्य मंत्री महोदय से भी इस बात के लिये निवेदन करूंगा कि अगर सारे दलों के लोग इस बात से सहमति प्रकट कर दें, तो मैं स्वयं ही उनका आभारी ही नहीं होऊंगा, बल्कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक अच्छा उदाहरण इस सदन में प्रस्तुत हो जायेगा । मैं चाहता हूं कि यह सदन तत्काल इस प्रश्न पर विचार करना शुरू कर दे । अब उसके बाद की यह प्रक्रिया होगी कि किसको-किसको बुलाया जाये–दावा दायर करने वाले हैं, उनके वकील हैं, उनके गवाहान हैं और मजिस्ट्रेट हैं । हम इन सारे लोगों को बुला सकते हैं । हम लोगों के विचार सुनने के बाद आपको अधिकार होगा कि उनके नाम सम्मन जारी करके उनको इस सदन में आप उपस्थित करें ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)––

इस सदन में निर्णय हो यह ठीक है । मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा है विरोधी दलों के सदस्यों से राय करके एक मत यहां प्रस्ताव लाया जाये, तो यह निर्णय सदन का हो चुका है । इसमें नेता सदन, नेता विरोधीदल और आप बैठकर कोई निर्णय ले लें और कल यहां प्रस्ताव लायें कि इसमें क्या किया जाये ।

श्री बांके लाल––

कल नहीं आज ही इस पर विचार किया जाये, नहीं तो तब तक बालयोगेश्वर इनकी हत्या कर देंगे ।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

मैं समझता हूं, जो प्रस्ताव अभी प्रस्तुत किया माननीय सदस्य ने उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । मेरा मतलब तो यह था कि थोड़ी देर के लिये यह जो हमारे नेतागण हैं, उनको बुला लें–आप बुला लें या अध्यक्ष जी बुला लें और वहीं फैसला कर लें । सदन के सारे भाव हमारे सामने हैं, उनके प्रकाश में देख लें कि किस प्रकार से यह कार्यवाई की जाये । इसके बारे में आज विचार करके फैसला कल कर दें आप । आज ही इस पर विचार कर लिया जाये, इसको टालने की कोई जरूरत नहीं है । घंटे दो घंटे में या सदन के बाद इस पर फैसला कर लें और जो फैसला होगा वह मंजूर होगा ।

श्री उपाध्यक्ष––

मेरा निवेदन है कि यह जो उपस्थित विशेषाधिकार का प्रश्न है उसके दो पहलू हैं । जैसा अध्यक्ष जी ने कहा है मोलेस्ट किया गया है सम्मन के जरिये से तो उनके लिये क्या किया जाये इसे देखना है । ऐसे सम्मन हो सकते हैं कि देश के कोने कोने से किसी दल विशेष या किसी अनुयायी विशेष द्वारा परेशान करने का (molestation) कार्य किया जाये । पहला प्रश्न यह है, और मैं सदन की भावनायें माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा, ऐसे सम्मन का तिरस्कार और उपेक्षा होनी चाहिये जो किसी माननीय सदस्य के इस सदन में दिये हुये किसी भाषण पर अवलम्बित हो अथवा आरोप के सम्बन्ध में हो, ऐसा आरोप चाहे किसी भी न्यायालय में हो, चाहे वह उच्चतम न्यायालय हो या छोटा न्यायालय हो । (मेजो की थपथपाहट) ।

दूसरा प्रश्न यह है कि हमें विचार करना है, इस सदन की गरिमा के अनुरूप, प्रश्न यह है कि जिन अधिकारियों ने अविवेकपूर्ण कार्य किया है, उनको दंडित किया जाय या न किया जाय तो किस दंड प्रक्रिया पर अपनी राय निश्चित करेंगे । माननीय मुख्य मंत्री ने ठीक ही कहा है । सारे सदन की एक राय होनी चाहिये । उसके लिये माननीय सदन नेता, विरोधी पक्ष के माननीय नेता और अन्य दलों के माननीय नेताओं को बुलाकर एक कोई फैसला करना होगा । इसलिये आज शाम को एक और सिलसिले में हम बैठ रहे हैं, आपको सूचना होगी, इस पर भी उसी में हम लोग विचार कर लेंगे और अपना रास्ता तय कर लेंगे ।

एक सदस्य––

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने भारतीय सीमा तक कहा । मुझे डर लगता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक आ सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अन्तर्राष्ट्रीय सीमायें जो हैं, वह राष्ट्रीय सीमाओं की सक्रियता का परिचय दे सकती हैं। मुझे पता नहीं है कि किन अधिकारी को निर्देश जाना चाहिये, माननीय मुख्य मंत्री जानते होंगे। इस प्रदेश का जहां तक संबंध है इस प्रदेश के बाहर भी जारी किये हुये समन को तामील करने के जो हमारे अधिकारी जिम्मेदार ठहराये जाते हैं, अपने को इस कर्तव्य को करने से रोक दें चाहे किसी सूबे से आयेगा, इस माननीय सदन का कोई सदस्य वहां नहीं जायगा। (मेजों की थपथपाहट) ।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)--

नौटियाल साहब की फोरी हिफाजत के लिये जैसे ही सदन से वह बाहर निकलें इंतजाम किया जाय, इसके बारे में आदेश दें दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री, सदन के नेता की हैसियत से सदन की भावनाओं से परिचित हैं । आपका और सबका अभिमत है कि माननीय नौटियाल जी की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाय । तो अब प्रस्ताव करवाना होगा । सोच कर आगे आयेगा । अब हम आगे चलेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय--

जब तक बिजली नहीं आती तब तक नेता सदन और विरोध दल के नेताओं की बातचीत हो जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जब तक बिजली नहीं आती है तब तक सदन स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर चलें तो हमारे रिपोर्टर्स को लिखने में कठिनाई होती है, असम्भव हो जायगा लिखना । इसलिए जब तक बिजली नहीं आती है तब तक के लिए सदन को स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बज कर 14 मिनट पर सदन स्थगित हुआ और 2 बज कर 29 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

जिला एटा के ग्राम जरिई, थाना अमापुर में प्रधान द्वारा पुलिस की सहायता से हरिजनों के घरों में आग लगाने तथा महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार करने के संबन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)--

उपाध्यक्ष महोदय, तीन वक्तव्य हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

उनको ले लिया जाय ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मैं पढ़ना शुरू कर दूं ।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

तीन वक्तव्य में काफी समय लग जायगा । एक वक्तव्य में एक एक घंटा लग जायगा।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

तीनों एक-एक घंटे में समाप्त हो सकते हैं अगर माननीय सदस्य भी जरा उदारता बरतें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मंत्री जी इस संभावना के साथ वक्तव्य को पढ़ें कि माननीय सदस्य फिर प्रश्न भी कर सकें। इसलिये आप अधिक से अधिक एक वक्तव्य आज ले लें और बाकी दो कल ले लिये जायं। ढाई से ऊपर हो चुका है। शिक्षा वाले मामले में सदस्य काफी दिलचस्पी रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

वक्तव्य तो और भी स्वीकार हो चुके हैं। इसलिये ये आज ही हो जायं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ये सब वक्तव्य पढ़े हुए माने जाय।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सियाराम (जिला एटा)---

अगर वक्तव्य पढ़े नहीं जायंगे तो सदन को कैसे जानकारी होगी ?

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)---

झूठे वक्तव्य दिये जा रहे हैं। घटना के 10 घंटे के बाद तो रिपोर्ट लिखी गयी और मौके पर रिपोर्ट नहीं दी गयी।

श्री उपाध्यक्ष---

आप यही प्रश्न कर लें।

*गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)---

उपाध्यक्ष महोदय, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 29-3-73 को सायंकाल 5-45 बजे थाना अमापुर, जिला एटा पर श्री चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम जारई ने सूचना दी कि उसी दिन 3-4 बजे अपराह्न ग्राम जारई में होली की चौपाई निकालने के सम्बन्ध में वाद-विवाद हुआ। जाटवों ने अपने मुहल्ले में होली की चौपाई जाने से रोका और वाद-विवाद बढ़ने पर एक जाटव अभियुक्त ने तमंचे से फायर किया तथा अन्य अभियुक्तों ने चन्द्रपाल सिंह के साथियों पर लाठियों से हमला किया जिसमें वादी के भाई बच्चनलाल तथा तीन अन्य व्यक्तियों को चोटें आईं। इस सूचना पर धारा 147/323/307 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत एक मुकदमा दस नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध अंकित किया गया।

उसी रात्रि में 11.30 बजे मथुरी प्रसाद जाटव निवासी ग्राम जारई ने थाने पर लिखित सूचना दी कि 19-3-73 को 3.30 बजे अपराह्न में जब गांव की होली की चौपाई निकल रही थी तो वादी के लड़के धर्मजीत एवं गांव के गेंदा लाल पुत्र मेवा लाल में वाद-विवाद हो गया और उसी बात पर गेंदालाल ने धर्मजीत को चांटे मारे थे। इस पर गांव के और जाटवों ने मना किया तो गेंदा लाल प्रधान एवं 10 अन्य अभियुक्त अपने घरों से लाठियां, तमंचा व लाइसेंसी बन्दूक लेकर आ गए और मारपीट की जिससे वादी के पुत्र और पुत्र बधू को छुरें की चोटें लगीं,

---

* पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

दो व्यक्तियों को लाठियों की चोटें आई तथा अभियुक्तों में से किसी ने वादी के मकान में आग लगा दी। इस सूचना पर भा0 दं0 वि0 की धारा 147, 148, 323, 307, 436 के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया।

उक्त दोनों मुकदमों की विवेचना हो रही है। पहले मुकदमे के चार अभियुक्त इलाज के लिए अस्पताल भेजे गए तथा शेष 6 अभियुक्त हाजिर अदालत हुए और जेल में हैं। दूसरे मुकदमे के तीन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा तीन हाजिर अदालत हुए। यह सब भी जेल में हैं। दूसरे मुकदमे के शेष 5 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 87/88 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की जा रही है।

यह बात स्थानीय जांच से सत्य नहीं पाई गई कि श्री गेंदा लाल यादव ने स्थानीय पुलिस की सहायता से जाटवों को लूटा अथवा हरिजनों के मकानों को जला दिया अथवा उनकी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। केवल मथुरा प्रसाद के मकान के सामने पड़ा हुआ छप्पर व दरवाजा जला पाया गया जिससे करीब रुपये 100–150 का अनुमानित नुकसान हुआ है। हरिजनों की ओर से दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में लूटपाट का आरोप नहीं लगाया गया है। यह भी सही नहीं पाया गया कि 25 हरिजन गोली से घायल हुए। इस पक्ष के केवल 5 व्यक्तियों को चोटें आई हैं जिनमें से दो को साधारण चोटें हैं। यह भी सही नहीं है कि एक महिला अस्पताल में मर गई। यह भी सत्य नहीं है कि हरिजन गांव से निकाल दिए गए हैं और उनके बच्चे मारे-मारे-भूखे प्यासे फिरते हैं अथवा घायलों को ही पुलिस तंग कर रही है। यह मामला सबल व निर्बल अथवा सवर्णों व हरिजनों का मामला न होकर केवल आकस्मिक बलवे, का मामला होना पाया गया। ग्राम जारई के जाटव लोग अन्य सभी कौमों से सम्पन्न तथा सामान्य रूप से बलिष्ट हैं।

घटना स्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जा चुका है और कोई ऐसी बात प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नहीं पाई गई कि हरिजनों में बड़ा भय एवं असन्तोष है। ग्राम जारई में घटना के बाद पुलिस की तुरन्त कार्यवाही के कारण स्थिति सामान्य है तथा लोग अपने घरों में रह रहे हैं। फिर भी गांव में शान्ति-व्यवस्था के लिए दो कांस्टेबिल रख दिए गए हैं। उक्त दोनों मुकदमों की विवेचना शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किये जाने शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए तुरन्त धारा 107/117 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही किये जाने तथा अभियुक्त गेंदालाल की बन्दूक का लाइसेंस तुरंत निलम्बित कराये जाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

हरिजनों को बन्द किया गया और फिर अस्पताल भेजा गया। 10 हरिजन वहां हैं सबके चोटें लगी हैं। उनका डाक्टरी मुआयना नहीं किया गया, रिपोर्ट की नकल नहीं दी गयी।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने यही कहा कि आप उसी आधार पर प्रश्न कर लें।

श्री गंगा प्रसाद (एटा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह सच है कि हरिजनों के घरों में आग लगाई गयी तथा महिलाओं के साथ अमानुषिक बर्ताव किया गया उस सम्बन्ध में घटना के आध घंटा बाद जब थाने में रिपोर्ट लिखाने गये तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और उन हरिजनों को बन्द कर दिया गया और जिस प्रधान ने गोली चलाई वह थानेदार की बिरादरी का है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि आग लगाई गई, गोली चलाई गई या हरिजनों को पकड़ कर बन्द किया गया यह बात सत्यता से परे है। चौबारे में बाहर आग लगी और अन्दर किसी के घर पर कोई आग नहीं लगी।

श्री सियाराम--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस जाटव हरिजन अभियुक्त का नाम क्या है जिसने तमंचे से फायर किया। यह बिल्कुल गलत है कि जाटव अभियुक्त ने तमंचे से फायर किया तथा लाठियों से प्रहार किया यह केवल थाना इंचार्ज एन0 एस0 यादव ने जैदालाल प्रधान तथा उसके अन्य साथियों को बचाने के लिये एक पेशबन्दी की है। क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर इस बात की जुडिशियल जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जब ये होली के चौपाये वहां पहुंचे तो केहरी, मथुरी, खच्चर, बटेर, शंकर आदि उनके पास आये और तमंचा लेकर आगे बढ़े तथा फायर किये।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

चौपाया क्या होता है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

यह उस इलाके में एक होली का जुलूस होता है इसी जुलूस में यह संघर्ष हुआ।

श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)---

माननीय मंत्री जी ने बताया कि जाटव द्वारा गोली चलाई तो उसका नाम क्या है और दूसरे कौन-कौन से लोग उनकी गोली से चोट खाये हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, केहरी जो था उसके हाथ में तमंचा था और बाकी मथुरी, खच्चर, लटुरी तथा बटेर आदि लोगों के पास लाठियां थीं।

श्री सियाराम---

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ लिया जाय।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मैं तो पढ ही रहा था। आप ही लोगों ने कहा कि पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री नेतराम सिंह---

मान्यवर, यह वक्तव्य बिल्कुल झूठा दिया गया है। हम लोग सदन के मेम्बर हैं, हमको निश्चित जानकारी है। जानबूझकर हरिजनों के साथ अत्याचार किया गया है। और उस संघर्ष में 4-5 लोग घायल हुये हैं।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)---

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब वहां पर गोली चली तो इस बात को ध्यान में रखते हुये और चूंकि थानदार भी उस आरोप में शामिल हैं, अतः इसकी किसी उच्च अधिकारी से जांच करानें की कृपा करेंग ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसकी डी0 आई0 जी0 से करवा लूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, वक्तव्य में दिया गया है कि पुलिस अधीक्षक महोदय भी वहां पर मौके पर गये थे। उन्होंने जांच की। वक्तव्य में यह भी दिया हुआ है कि मकान नहीं जलाये गये एक आदमी के मकान का एक हिस्सा जलाया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट क्या दी है? हरिजनों के जो मकान जले हैं, गोली चलाई गई है वह कैसे हुआ? वह किसको गोली लगी और किस व्यक्ति ने गोली मारी, उस पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

होली के जलूस को लेकर यह एक तरह का बलवा हुआ। रिपोर्ट जो हुई उसमें केहरी वगैरह 10 मुलजिम एक तरफ हैं और दूसरी तरफ 11 मुलजिम हैं। दोनों तरफ से बलवे की रिपोर्ट है और उसी के आधार पर पुलिस दोनों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

जब मौके पर पुलिस अधीक्षक स्वयं गये थे तो पुलिस अधीक्षक ने अपनी क्या रिपोर्ट दी है, इसको माननीय मंत्री जी पढ़ कर सुनायेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, डी० वाई० एस० पी० की रिपोर्ट मेरे पास उपलब्ध है, अगर आप कहें तो मैं उसे पढ़ दूं। जितनी सूचना मेरे पास है वह सब मैं दे दूंगा। एस० पी० की तरफ से वह रिपोर्ट फारवर्ड की गयी है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

जो वक्तव्य आया है उसको जरा आप देख लें मान्यवर, पैरा 4 में लिखा हुआ है--- "घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जा चुका है"। इसी सिलसिले में मैंने पूछा कि उसकी रिपोर्ट क्या है? इस पर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, और फिर कहते हैं कि उप पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को ही सही मान कर भेज दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक अलग-अलग रिपोर्ट थोड़े ही देते हैं। उन्होंने आपस में तय किया होगा और उप पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को सरसरी तौर पर देख कर भेज दिया होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह---

जब यह रिपोर्ट का भाग बना है, तो सम्भावना का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, तो उस हालत में फिर आप यह जानते हैं कि माननीय सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया है, सब लोग कहते हैं कि सारा मामला झूठा है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इसका मतलब यही है कि उप पुलिस अधीक्षक ने जो जांच रिपोर्ट दी उसको पुलिस अधीक्षक ने सही माना। अगर पुलिस अधीक्षक उससे एग्री नहीं करते तो अपनी अलग रिपोर्ट दे सकते थे और इससे साफ है कि पुलिस अधीक्षक ने उप पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट से एग्री किया और उसे ही फारवर्ड कर दिया।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि चौपाया एक तरह का जलूस होता है जिसमें चौपाइयां पढ़ी जाती हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उसमें गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयां पढ़ी जाती हैं या उनकी गालियां पढ़ी जाती हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

बलिया में जैसी पढ़ी जाती है, वैसा ही समझ लें।

श्री गंगा प्रसाद (एटा)--

जिन हरिजनों को अस्पताल में भेजा गया, उनका डाक्टरी मुआयना कराया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

यह दो तरफा बलवा हुआ और दोनों तरह से मुकदमा कायम हुआ है और उनकी तफतीश हो रही है। एहतियातन 107 की कार्यवाही की गयी है और बन्दूक भी जब्त कर लिया गया है और सारी कार्यवाही हो रही है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि माननीय मेम्बरान इसके अलावा और क्या जानना चाहते हैं, पूछ लें।

श्री गंगा प्रसाद (एटा)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन हरिजनों को इलाज के लिये अस्पताल भेजा गया था उनका डाक्टरी मुआयना और एक्सरे कराया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जो हरिजनों की इनजुरी रिपोर्ट है उसमें केहरी, मथुरी और सुखराज, इन सब की इनजूरी लिखी हुई है। उस इनजुरी रिपोर्ट में काजेज आफ इनजुरीज भी लिखे हुये ह। ऐसी परिस्थित में जो वह चाहते हों वह हम बता द।

श्री उपाध्यक्ष--

जायसवाल जी ने कहा कि इसमें लिखा है कि यह मामला सबल और निर्बल अथवा सवर्णों और हरिजनों का न हो कर केवल आकस्मिक बलवे का मामला होता पाया गया...

श्री नेतराम सिंह--

इसमें हरिजनों को सताया गया है, उनको सताया गया है।

श्री गंगा प्रसाद (एटा)--

थानेदार ने सबको छोड़ रखा है, एक्सरे होना चाहिये यह तो पेशबन्दी के लिये कहा गया है....

श्री उपाध्यक्ष--

आप जब घटनास्थल पर गये हैं तो जो स्थिति का आंगणन आपका है उसे आप मंत्री जी के पास भेज दें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मैं उनके किसी कथन पर आपत्ति नहीं करता लेकिन केहरी की इन्जरी रिपोर्ट में यह सब साफ लिखा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

गंगा प्रसाद जी की बात से और दूसरे लोगों का यह आरोप है कि यह दो तरफा बलवा न होकर इसमें खाली चमारों को पीटा गया है। इसको ध्यान में रखकर क्या मंत्री जी एस० पी० को निदेश देंगे कि इनकी शिकायत को ध्यान में रखकर जांच की जाय ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

यह तो एस० पी० की बात कह रहे हैं, हम डी० आई० जी० को भेज कर जांच करा लेंगे, मैंने तो उन्हें आश्वासन दिया ही है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मंत्री जी डी० आई० जी० या किसी को भी इन्क्वायरी के लिये भेजें लेकिन क्या वह उससे पहले वहां से उस थानेदार को हटा देंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

यदि वह जांच के बीच में इसकी आवश्यकता समझेंगे तो जांच के बीच थानेदार को हटा भी सकते हैं लेकिन जांच के पहले हमारे लिये ऐसा करना उचित न होगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप सब बैठें, उन्होंने कहा कि डी० आई० जी० चाहेंगे तो हटा देंगे। (व्यवधान) आप लोगों के तथ्य विपरीत हों तो आप उन्हें दे दें।

श्री गंगा प्रसाद (एटा)--

मैं जानकारी लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

वह आप लिखित दे दें।

(व्यवधान)

5 सदस्य साथ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

एक माननीय सदस्य माननीय सियाराम जी कह रहे हैं कि उन्हें दरोगा ने मारने की धमकी दी है, ऐसी हालत में उनके जीवन की सुरक्षा का प्रबन्ध क्यों न किया जाय और उसके लिये क्यों न उस दरोगा को ट्रांसफर पहले से ही कर दिया जाय?

श्री उपाध्यक्ष--

जो जांच होगी वह योग्यतानुसार जो डी० आई० जी० उचित समझेंगे करेंगे।

श्री मोहन लाल कपूर--

आये दिन ऐसी बातें आ रही हैं कि सदस्यों को जान से मारा जायगा, धमकियां दी जा रही हैं, जिन सदस्यों का मामला आया है जिसमें हमारे सदस्य केशव सिंह जी भी हैं। आप मंत्री जी से कहें कि उस दरोगा का ट्रांसफर कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

वह आप लिख कर दे दें।

श्री मोहन लाल कपूर---

क्या यहां कहना पर्याप्त नहीं है, लिखकर देना क्या जरूरी है ?

श्री उपाध्यक्ष---

लिखकर क्यों नहीं देंगे, हमको खतरा नहीं दिखाई पड़ता आपने लिख कर नहीं दिया, हम उनसे क्यों कहें ट्रांसफर के लिये...

श्री सियाराम---

मैं सरकार को टेलीग्राम तक भेज चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर कोई ऐसा खतरा है तो आप लिखकर क्यों नहीं देते हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

दरोगा का स्थानान्तरण कर देने से तो माननीय सदस्य का खतरा दूर नहीं हो सकता क्योंकि वह कहीं से भी हमला कर सकता है लेकिन सुरक्षा की तो बात उचित है। स्थानान्तरण कर देना ही मैं उचित नहीं समझता।

इलाहाबाद जिले के सरसवां ब्लाक के ब्लाक प्रमुख की हत्या कर दिये जाने के संबन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 21-3-73 को रात्रि में 1 बजे थाना पश्चिम सरीरा, जिला इलाहाबाद में लिखित सूचना दी गई कि श्री जगदीश सिंह, नव निर्वाचित ब्लाक प्रमुख, सरसवां ब्लाक दिनांक 20-21 माच, 1973 की रात को लगभग साढ़े दस बजे ग्राम दीवर कोतवाली थाना मंझनपुर से भोज के बाद अपनी जीप से, 6 अन्य व्यक्तियों के साथ, अपने ग्राम सिउरा वापस लौट रहे थे तो सरसवां ब्लाक से लगभग दो फलांग की दूरी पर उनकी जीप पर कुछ अभियुक्तों ने गोलियां चलाई जिसके फलवरूप श्री जगदीश सिंह तथा उनके ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मृत्यु हुई तथा जीप में बैठे दो अन्य व्यक्तियों को गोलियों की चोटें आई। उक्त सूचना के आधार पर थाने पर धारा 147/148/149/302/404 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अभियोग अंकित हुआ। प्रथम सूचना रिपोर्ट में 8 अभियुक्त नामजद थे तथा तथा 3-4 अज्ञात बताये गये थे। दिनांक 23-3-73 को एक अभियुक्त को 315 बोर की राइफल सहित गिरफ्तार किया गया तथा शेष के विरुद्ध धारा 87/88 जा0 फौ0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। इसके फलस्वरूप 6 अभियुक्तों ने दिनांक 27-3-73 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

उक्त घटना की सूचना मिलते ही ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी तथा अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) दिनांक 21-3-73 को सुबह घटनास्थल पर पहुंचे। उप पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र भी 21-3-1973 की रात को घटनास्थल पर गये। विशेष अनुसंधान शाखा, लखनऊ के उप अधीक्षक अपने विशेषज्ञों के दल सहित 21-3-73 को घटनास्थल पर पहुंचे और 25-3-73 तक वहां रहे। उनकी देख रेख में उक्त मुकदमों की विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा की जा रही है।

श्री जगदीश सिंह मृतक के घर पर सुरक्षा के लिए सशस्त्र गार्ड लगा दी गई है और क्षेत्र में सुरक्षा हेतु पी0 ए0 सी0 की टुकड़ड़ियां तैनात कर दी गई हैं जो निरन्तर गश्त

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

कर रही हैं। किसी प्रकार का भय या आतंक व्याप्त नहीं है तथा शान्ति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

श्रीयत्, यह मामला बड़ा गंभीर है। बहुत से व्यक्तियों पर इस प्रकार अत्याचार हो रहा है और सरकार उनके जीवन की रक्षा नहीं कर पा रही है। मैं चाहूंगा कि क्या मंत्री जी राष्ट्र स्तर पर ब्लाक प्रमुख को अंग रक्षक देने की कृपा करेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

यह जो हत्या हुयी है वह व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण से हुयी है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है क्योंकि उसी क्षेत्र में मेरा एक विद्यालय है और मैंने उस क्षेत्र में बीसों वर्ष सेवा की है। व्यक्तिगत दुश्मनी के अतिरिक्त चुनाव भी एक कारण बन गया था।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में अभी बताया कि एक अभियुक्त को 315 बोर की राइफल सहित गिरफ्तार किया गया तो क्या यह सही है कि जिस जीप में स्वर्गीय जगदीश सिंह जा रहे थे उसके अन्दर मिलिट्री की लाइट गन और 200 गोलियां निकली ? यदि यह सही है, तो क्या सरकार ने मिलिट्री की स्टेन गन और लाइट गन को रिकवर कर लिया, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

315 बोर की राइफल बल्देव प्रसाद जो आर0 पी0 एफ0 का कर्मचारी है, उसके पास से रिकवर हुयी लेकिन कोई स्टेनगन नहीं मिली। उसका प्रयास चल रहा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या इस द्वेष की सूचना पहले से पुलिस को भी थी कि इन लोगों के हाथों ब्लाक प्रमुख की जान को खतरा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

दोनों दलों में बहुत दिनों से संघर्ष चला आ रहा था। कई बार एन्काउंटर भी हुआ था। मान्यवर, पुलिस सचेत थी। दोनों तरफ के लोग कमजोर भी नहीं थे। यह तो मौके की बात है कि एक ने शिकार कर लिया।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जब पुलिस को सूचना थी कि इस प्रकार की घटना हो सकती है तो इसके लिये उसने रोकथाम की कार्यवाही दोनों पार्टीज के खिलाफ क्यों नहीं की ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, सार्वजनिक लेविल से उनमें समझौता कराने का प्रयास किया गया, आपस में इन दोनों की बैठक बुलाई गई, लोगों से प्रभाव डलवाया गया, लेकिन दोनों ही अपने-अपने अस्तित्व और प्रभुत्व के लिये अड़े थे और एक दूसरे के नजदीक आने का प्रयास नहीं किया। पुलिस हमेशा सचेत रही। जगदीश सिंह जी पर एक बार हमला हो चुका था, तब उनके घर पर पी0 ए0 सी0 का पहरा बैठा दिया। दूसरी पार्टी के ऊपर भी हमला हुआ, उसमें भी पुलिस सर्तक रही। तो मान्यवर, इस तरह से काउन्टर और एनकाउन्टर दोनों तरफ से आज से नहीं पिछले 20 वर्षों से चल रहे हैं। पुलिस हमेशा से सचेत रही है, लेकिन यह तो मौके की बात थी कि एक की हत्या हो गई।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, पुलिस सचेत थी इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि उन्होंने इस झगड़े को रोकने के लिये 107/117 की कार्यवाही की या 144 उस क्षेत्र में लगा दी हो या एक का आजाद रहना खतरे से खाली हो तो 110 की पाबन्दी कर दी हो ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

पुलिस और प्रशासन ने गुण्डा एक्ट भी जारी किया । 110 का मुकदमा भी हुआ, लेकिन सबूत न होने के कारण हाईकोर्ट से छूट गया। एक मर्डर केस एक पार्टी पर चल चुका है, लेकिन सब हाईकोर्ट से छूटे। 117 का भी चल चुका था एक बार। ऐसी हालत में पुलिस ने कार्यवाही करने में कोई कसर नहीं उठा रखी।

श्री राम चरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, जिस वक्त चुनाव हुये थे उस समय श्री जगदीश सिंह की तरफ से जो एफ0 आई0 आर0 दाखिल हुई थी उसमें जो नाम थे उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जब तक लोगों ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया 87/85 की कार्यवाही हुई थी।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

चुनाव के बाद उनकी सुरक्षा की कार्यवाही हुई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जब भी श्री जगदीश ने सुरक्षा की मांग की उनको शैडो दिया गया । मान्यवर, उनके लिये पुलिस की एक गार्ड लगाई गई। लेकिन इधर वह स्वयं भी शंकित नहीं थे और न वह असुरक्षा का अनुभव करते थे । इसलिये सम्भव है कि जब वह रात को एक बजे दावत खाकर लौट रहे थे, यह घटना हो गई ।

हरदोई चीनी मिल पर भूख हड़ताल करने वाले मजदूर नेता के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)--

मेसर्स लक्ष्मी शुगर एण्ड आयल मिल्स लिमिटेड, हरदोई के मुख्य द्वार पर श्री बिरजन पाण्डेय ने दिनांक 13-3-1973 को शाम को भूख हड़ताल आरम्भ की थी...

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे कोई आपत्ति नहीं है । इस पर प्रश्न कर्त्ता भी कोई नहीं है ।

[श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

मेसर्स लक्ष्मी शुगर एण्ड आयल मिल्स लिमिटेड, हरदोई के मुख्य द्वार पर श्री बिरजन पाण्डेय ने दिनांक 13-3-1973 को शाम को भूख हड़ताल आरम्भ की थी। श्री बिरजन पाण्डेय पहले इस मिल में फिटर के पद पर काम करते थे। मिल मालिकों ने ब्वायलर सुपरवाइजर से

[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

[श्री गणेशदत्त बाजपेयी]

मारपीट करने आदि के अभियोग पर दिनांक 14-7-1972 से उनकी सेवायें समाप्त कर दी। इस सम्बन्ध में एक औद्योगिक विवाद भारतीय मजदूर संघ, उत्तरप्रदेश द्वारा उठाया गया। सुनवाई के पश्चात् संराधन समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर शासन ने इस विवाद को श्रम न्यायालय, गोरखपुर को अभिनिर्णयार्थ भेज दिया। इसी बीच दिनांक 10-1-1973 को शुगर मिल मजदूर संघ जिसके विरजन पाण्डेय मन्त्री हैं, ने 13 मांगों का एक मांग पत्र मिल मालिकों को इस नोटिस के साथ दिया कि दिनांक 4-2-1973 तक मांगों को पूरा न होने की दशा में श्री बिरजन पाण्डेय दिनांक 5-2-1973 से मिल के मुख्य द्वार पर आमरण अनशन करेंगे। मिल मालिकों की मांगों के मानने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई क्योंकि, मिल मालिकों के शब्दों में, "कम्पनी को कोई ज्ञान इस प्रकार का नहीं है कि कोई संस्था शुगर मिल मजदूर संघ के नाम की रजिस्टर्ड हुई है और न कोई वैधानिक सूचना ही प्राप्त हुई है।" दिनांक 2-2-1973 को संघ ने रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र भेजते हुए मिल प्रबन्धकों को यह लिखा कि 21-2-1973 तक उनकी मांगों को पूरा न किया गया तो 22-2-1973 से श्री बिरजन पाण्डेय आमरण अनशन शुरू करेंगे। श्रम विभाग के अधिकारियों ने उभय पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया परन्तु 12-3-1973 तक समझौता नहीं हुआ और 13-3-1973 की सायं से श्री बिरजन पांडेय ने मिल गेट पर भूख हड़ताल आरम्भ कर दी। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की नियत से जिला अधिकारियों ने समुचित देख भाल रखी उनके गिरते हुये स्वास्थ्य की दृष्टि से दिनांक 21-3-1973 को मेडिकल अफसर जिला चिकित्सालय, हरदोई द्वारा उनकी शारीरिक परीक्षा की गई। हालत चिन्ताजनक थी। जिला प्रशासन के समझाने बुझाने पर भी श्री बिरजन पाण्डेय कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे और जान देने पर तुले हुए थे अतएव धारा 309 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोग अंकित किया गया और श्री बिरजन पाण्डेय को दिनांक 22-3-1973 को प्रातः जेल के अस्पताल में दाखिल किया गया। श्री बिरजन पांडेय ने जेल पहुंचने के पश्चात् अपना अनशन तोड़ दिया। श्रम विभाग के प्रयत्नों से संघ तथा मिल मालिकों के प्रतिनिधियों में दिनांक 23-3-1973 को एक समझौता हो गया है। समझौते की मुख्य बातें यह थीं:—

(1) समझौते की तिथि अर्थात् 23-3-1973 से श्री बिरजन पांडेय को उनके वेतन का 50 प्रतिशत तब तक मिलता रहेगा जब तक श्रम न्यायालय द्वारा विवाद का अभिनिर्णय न हो जाय अथवा यदि शासन विवाद को अभिनिर्णय में न भेजे तो शासन के इस आदेश की तिथि तक।

(2) बाकी सभी मांगों को यूनियन ने वापस लेना तथा उन्हें सामान्य प्रक्रिया द्वारा निस्तारण किये जाने को स्वीकार किया।

24-3-1973 को श्री बिरजन पाडेय जमानत पर छोड़ दिये गये। हड़ताल की अवधि में कारखाना सामान्य रूप से चलता रहा।]

कार्य-स्थगन के प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन के 3 प्रस्ताव आये हैं—पहला प्रस्ताव श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री बंशीधर पाण्डेय, श्रीराम बिलास पाण्डेय, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह तथा श्री गंगा प्रसाद जी ने गेहूं के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति पर दिया है।

दूसरा प्रस्ताव श्री नित्यानन्द स्वामी ने सरकार द्वारा गल्ले व्यापार को हाथ में लेने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के बारे में है, तथा

तीसरा श्री रामधारी शास्त्री, श्री बांकेलाल तथा श्री केशव कैलाश द्वारा कृषि कर्मचारी संघ का अध्यक्ष द्वारा अपने मांगों को लेकर भूख हड़ताल के सम्बन्ध में है। यह तीनों ही प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार किये गये हैं।

1973–74 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या 18–शिक्षा (क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष––

अब श्री जगदीश गांधी जी बोलेंगे। उनसे निवेदन है कि वह बहुत ही संक्षेप में बोलें क्योंकि समय बहुत कम है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)––

मान्यवर, आपने वायदा किया था कि पहली बार में बोलूंगा आपने जनसंघ को एक भी मिनट बोलने के लिये नहीं दिया। बृहस्पतिवार को एक मिनट भी नहीं मिला। अकेले साही साहब ने 58 मिनट बोला। आप इधर के लोगों को भी समय दें।

श्री उपाध्यक्ष––

बारी तो इधर की है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)––

इन्होंने बोलने स पहले अपना लिखित बयान बांट दिया है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है।

श्री रामगोपाल संड––

इनका लिखित बयान हमें कमरों में मिल गया है। इसकी एक कापी हम आपको भी दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

यह हम कैसे मान लें कि वह यही बातें कहेंगे जो कि उन्होंने लिखकर दी हैं। इतना अवश्य है कि अगर उनको यही बोलना है तो वह सक्षेप में अपनी बात कह दें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)––

माननीय उपाध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। उसी आसन पर विराजमान रहते हुए हमारे भूतपूर्व उपाध्यक्ष महोदय ने सन् 65 में रूलिंग दी थी कि माननीय सदस्यों के लिखित विचार भी भाषण का अंग बन जायेंगे। आप भी वही व्यवस्था कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष––

यह भाषण का अंग नहीं बन सकता क्योंकि यह अंग्रेजी भाषा में है। यह अग्रेजी माध्यम को हिन्दी माध्यम से ज्यादा उपयुक्त समझते हैं।

श्री रामगोपाल संड––

जब इन्होंने अंग्रेजी में अपना लिखित बांट दिया है सदस्यों को तो इनका भाषण क्या सुनें।

श्री उपाध्यक्ष––

मान लीजिये कोई माननीय सदस्य अनियमित काम करे तो हम उसको इस तरह से नियमित नहीं करेंगे। मालूम पड़ता है कि जगदीश गांधी जी ने अखबार में छपने के लिए पहले दे दिया। अब अगर उनको बोलने नहीं देंगे तो माननीय सदस्य को थोड़ा सा धक्का लगेगा।

---

† 30 मार्च, 1973 की कार्यवाही से।

श्री जगन्नाथ खन्ना--

अंग्रेजी से उनका ज्यादा प्रेम है ।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । एक ही वक्त दस जगह पर दस कट्राडिक्टरी भाषण दें तो क्या वे दसों प्रोसीडिंग्स का अंग बन जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

अगर असंगत भाषण दो दफा कोई देता है तो सामान्य दिखाई पड़ता है लेकिन एक ही समय में दो बातें न कहें ।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)--

मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं अपनी बात पाइन्ट्स के रूप में आपकी सेवा में रखूंगा । एक तो सुझाव यह है कि राजकीय सेवाओं एवं रोजगार आदि के लिए पृथक परीक्षायें आयोजित की जाय तथा विश्वविद्यालय की डिग्रियों से उसका सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाय। दूसरा सुझाव यह है कि प्रदेश में एक अध्यापक प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना की जाय जो विश्वविद्यालय तथा राज्य प्रशिक्षण संस्थाओं में तालमेल रखें । प्रशिक्षण शालाओं के लिए स्तर निर्धारित करें तथा उनमें गुणात्मक सुधार करे । आज की परीक्षाए उपयोगी नहीं हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इस सदन में कोई भाषण पढ़ नहीं सकता । एक तो इनका भाषण पहले ही छप कर बट गया और फिर यहां उसे पढ़ने की इजाजत दी जा रही है । भाषण दिया जा सकता है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता । इस सम्बन्ध में व्यवस्था मौजूद है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप ठीक कहते हैं भाषण नहीं करना चाहिये, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी कमजोरी होती है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, यह सदन सशक्त बनाने के लिये कमजोर बनाने के लिये नहीं । जिनका दिल कमजोर है, दिमाग कमजोर है, आंख कमजोर है, उनको ठीक किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर पाण्डेय जी जैसे लोग यहां बैठे हैं, तो कमजोरी दूर हो जायेगी ।

श्री बंशीधर पांडेय--

इन्होंने भाषण जो दिया है, उसी को छाप दिया जाय । वही पढ़ा हुआ मान लिया जाय । टाइम क्यों वेस्ट किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

इनको पांच मिनट सुन लें । अखबार में छपने लायक तो हो जाय ।

श्री जगदीश गांधी--

मान्यवर, इण्टरमीडियेट की परीक्षा जारी रखी जाय और हाई स्कूल की जो परीक्षा है, वह गृह परीक्षा कर दी जाय और विद्यालय के प्रधानाचार्य को उनकी परीक्षा लेनी चाहिये । उन्हीं को उसके लिये सक्षम कर दिया जाय । प्रारम्भ से ही, बच्चों में विज्ञान के प्रति अभि-

रुचि उत्पन्न करना चाहिये और कक्षा 6 से विज्ञान की शिक्षा प्रारम्भ करा देनी चाहिये। मैंने रूस में भी देखा है कि छोटी कक्षाओं से ही विज्ञान का प्रयोग प्रारम्भ करा देते हैं। प्रारम्भिक कक्षाओं से उत्पादक और रचनात्मक शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिये। उनको श्रम की आदत डालनी चाहिये। बेसिक शिक्षा और प्रायमरी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, उनको टेस्ट वर्क में लिया जा सकता है, जैसे मिट्टी डालने का काम है या और छोटे-मोटे का हैं। उनमें बच्चों को भेजा जाना चाहिये और जो परिश्रम करें, उनको कुछ पारिश्रमिक भी दे दिया जाय। ऐसा बाहर भी मैंने देखा है। जैसे पी0 डब्ल्यू0 डी0, सिंचाई, हाइडिल, या स्वायत्त शासन विभाग में जो टेस्ट वर्क चल रहे हैं, उनमें बच्चों को लिया जा सकता है। जिस प्रकार से भारत में नेशनल कांउसिल आफ रिसर्च ऐण्ड ट्रेनिंग है, उसी प्रकार से यू0 पी0 के स्तर पर भी ऐसी संस्था होनी चाहिये। जैसा कि सिन्डीकेट के राम कुमार जी ने बताया—मुझे उनकी बात पसंद आई—कि शिक्षा को दृष्टि से हिन्दुस्तान में यू0 पी0 का स्थान 15वां है।

आपके बजट में 2.64 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करते हैं जबकि देश का औसत 29.34 प्रतिशत है। महिला शिक्षा का औसत हमारे यहां 10.18 प्रतिशत है, जबकि 18.44 देश का औसत है। हमें महिला शिक्षा को बढ़ाना है। हमारा जो शिक्षा का स्तर 15वां है, उसको बढ़ाना है। शिक्षा पर खर्च भी बढ़ाना है, चाहे इसके लिये शिक्षा कर भी क्यों न लगाना पड़े या चाहे भारत सरकार से इसके लिये पैसा लेना पड़े। जो बात राम कुमार जी ने कही, वह ठीक है और मेरा शिक्षा मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि चाहे शिक्षा कर ही क्यों न लगाना पड़े लेकिन इस कमी को पूरा करना चाहिये। श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि एक महिला शिक्षा निदेशालय होना चाहिये क्योंकि केवल 10.18 प्रतिशत महिलायें ही इस प्रदेश में शिक्षित हैं। मान्यवर, आश्चर्य होगा, हमारे प्रदेश में केवल 6 जिलों में जिला विद्यालय स्तर की महिला अधिकारिणी हैं। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में, केवल 25 बेसिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किये हैं। 54 जिलों में से 48 जिलों में महिला अधिकारिणी नहीं हैं। श्रीमन्, उनको नियुक्ति किया जाना चाहिये, जिससे महिला शिक्षा की ओर हमारा ध्यान जा सके।

साथ ही साथ ये जो महिला शिक्षा अधिकारी हैं उनका न तो कार्यालय है और न उनको जीप व टंकन की सुविधा है। ये सब सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास न तो जीप है और न ही टेलीफोन है। पहले 6–6 म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन होते थे और एक जिला परिषद के चेयरमैन होते थे और इस काम को देखते थे। अब वह सारा काम बेसिक शिक्षा अधिकारी देखते हैं। उनके दफ्तर में इन चीजों की आवश्यकता है।

विज्ञान मेले, बाल युवक समारोह, खेलकूद ये बड़ी ही आवश्यक चीजें हैं बालकों के विकास के लिए। इस पर भी शासन का ध्यान कम गया है। इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

प्रौढ़ शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रातःकाल और सांयकाल शिक्षा भवन खाली पड़े रहते हैं। उनमें हम क्लास लगा सकते हैं। किसान, मजदूर, प्रौढ़ महिलाएं, बेरोजगार लोग, जो दिन में काम करते हैं वहां पर पढ़ सकते हैं।

टीचर्स ट्रेनिंग की भी उचित व्यवस्था नहीं है। यूनिवर्सिटियों और राज्य सरकार के कुछ ट्रेनिंग कालेजेज हैं। कुछ प्राइवेट भी होते हैं। इन सब में तालमेल नहीं है। किसी भी शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए टीचर को अच्छा बनाना बड़ा जरूरी है। मेरा सुझाव है कि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए पृथक निदेशालय बन जाए जो कि इस काम को देखे।

दो से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध होना आवश्यक है। शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि बच्चे का वास्तविक निर्माण इसी अवस्था में हो जाता है। शिशु शिक्षा

[श्री जगदीश गांधी]

के लिए एक पृथक निदेशालय होना चाहिए । शीघ्र कार्य करने के लिए एक बाल विश्व-विद्यालय की स्थापना का मैं सुझाव देना चाहता हूं ।

मान्यवर, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं । 25 रु0 मासिक सहायता देकर स्वावलम्बी विद्यालय चल रहे थे । अक्तूबर, 1971 से उनको अनुदान नहीं दिया गया और वे विद्यालय मृत प्राय हो गये हैं ।

श्रीमन्, अभी जैसा कि हमारे साथी ने कहा था और वह बात ठीक भी थी कि बहुत से गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं । 25 रु0 देकर यह योजना अच्छी तरह से चल सकती है और उसको पुनः चालू कर देना चाहिए ।

गृह कार्य के संबंध में मेरा सुझाव है कि उड़न दस्तों का निर्माण होना चाहिए । वे बिना सूचना दिए स्कूल में जाकर देखें कि गृह कार्य कितने बच्चों को दिया गया है और विद्यालय की पढ़ाई कसी हो रही है । मण्डलीय स्तर पर ऐसे उड़न दस्तों की स्थापना होनी चाहिए ।

इलाहाबाद में शिक्षा निदेशालय है । मेरा सुझाव है कि उसको लखनऊ में शिफ्ट कर देना चाहिए और उसका भवन यहां पर निर्मित होना चाहिये । तीनों निदेशालयों के ऊपर एक महा निदेशालय होना चाहिए और महा निदेशक सब के काम की देखरेख करे । एक वित्तीय अधिकारी भी होना चाहिये जो रोज के झगड़ों को तय करे ।

मान्यवर, शिक्षा सबसे बड़ी चीज है । मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं कि जैसे कि विद्युत परिषद् में जो चेयरमैन होते थे वे सेक्रेटरी टू दि गवर्नमेंट भी होते थे उसी प्रकार तीनों शिक्षा निदेशक सेक्रेटरी टू दि गवर्नमेंट भी हों । तीनों निदेशकों की अपनी-अपनी जिम्मेदारी फिक्स कर दी जाये । उसका कारण यह है कि ये ही लोग अपना बजट बनाते हैं और योजनाएं बनाते हैं । योजनाओं का कार्यान्वयन भी यही करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

महा निदेशक भी तो आप कह रहे हैं—वे क्या करेंगे ?

श्री जगदीश गांधी—

जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं वे उनका समाधान करेंगे ।
(व्यवधान)

श्री जगदीश गांधी—

मान्यवर, 2–3 मिनट चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

लिख कर दे दीजिए ।

श्री राम गोपाल संड—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं । मैं गोस्वामी जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं । मैं उनका बड़ा आदर करता हूं ।
(व्यवधान)

श्री जगदीश गांधी—

श्रीमन्, मैं अनर्गल बातें नहीं कह रहा हूं इसलिये आप इस सदन का समय बढ़ा दें । शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मेरे विचार सदन में आने चाहियें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मुख्य मंत्री से कह कर समय बढ़वा दीजिये । मुझे बैठने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री जगदीश गांधी—

आप कृपा करके हाउस का समय बढ़ा दें । मेरे बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री रामगोपाल संड—

आपने मेरा नाम पुकारा है इस लिये मुझे बोलने का अवसर दिया जाय ।

श्री जगदीश गांधी—

मेरे समय में से 15 मिनट चला गया है । मैं दो तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा । मेरे विचार सदन में आ जाने चाहिये ।

श्री रामगोपाल संड—

बाकी लोग 40 बोरे चीनी के परमिट नहीं लेते हैं ।

श्री जगदीश गांधी—

मैंने 20 बोरे चीनी जो इस्तेमाल नहीं हुई वापस कर दी है ।

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, आप व्यवस्था दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । आपको जो समय मिला इसमें ऐसी बातें कहीं हैं जो नहीं कहनी चाहिये थीं ।

*श्री रामगोपाल संड—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है । मैंने गोस्वामी जी को बड़े ध्यान से सुना । गोस्वामी जी जब इलाहाबाद में प्रधानाचार्य थे तो 1966–67 में जन आन्दोलन किया था । उनकी मांगें थीं कि समान मंहगाई भत्ता मिले, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, समान कार्य के लिये समान वेतन मिले । मान्यवर, आपने भी कानपुर में फरवरी में एक भाषण में शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के लिये कहा है । मुख्य मंत्री जी ने भी इसकी चर्चा की है । जब अध्यापक हड़ताल पर बैठे तो गोस्वामी जी और मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण किया जावेगा । जब बजट आया तो मुझे बड़ी निराशा हुई है । राष्ट्रीयकरण के सवाल को तोड़ मरोड़कर रक्खा गया है ।

कहा गया कि कालेजों की स्थापना करने वालों ने बड़ा कान्ट्रीव्युशन किया है । श्रीमन्, राजा महाराजाओं ने भी बहुत किया था लेकिन उनको खतम कर दिया गया । तो इन नये राजा महाराजाओं को जो 4 000 के लगभग हैं इस प्रदेश के शिक्षकों के सम्मान में समाप्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामगोपाल संड]

कर दिया जाय और इनके स्कूलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। जब 90 फीसदी अनुदान सरकार देती है तो शिक्षा के राष्ट्रीयकरण करने से क्यों भागते हैं? आज माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक केवल हाई स्कूल और इंटरमीडियेट की परीक्षाओं के कारण शान्त बैठे हैं। अगर गोस्वामी जी ने माध्यमिक विद्यालयों के बारे में निर्णय नहीं लिया तो 70 हजार अध्यापक जो इन्हीं की श्रेणी के हैं और मैं गर्व के साथ यह जानता हूं कि वे परीक्षक और निरीक्षक पहले हैं, मंत्री होते हुए भी कापियां जानते हैं, इसलिये वे अध्यापक शान्त नहीं रहेंगे, मंत्री जी उनको न भूलें।

इस प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया। गोस्वामी जी ने कहा कि वह 1 से 7 तक के जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर पाये। इस प्रदेश के अन्दर 90 सरस्वती शिशु मंदिर कार्य कर रहे हैं और वे लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर और बांदा के अन्दर चलते हैं। वह किस प्रकार से फ्री चलाये जाते हैं और नन्हें-मुन्ने बच्चों को भारतीय संस्कृति, विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करके शिक्षा दी जाती है सुन्दर ढंग से, वह निरीक्षण का विषय है। वहां जो पाठ्यक्रम रखा गया है वह अनुकरणीय है। तो मैं राजबिहारी सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि 1 से 7 तक बच्चों के फ्री एजूकेशन की जो प्रणाली है उसको कार्यान्वयन करने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर के पाठ्यक्रम का अनुकरण करें और उनको सही संस्था मानें। मुझे शिक्षा के बारे में बड़ा क्षोभ हुआ जबकि सारे देश की लड़कियों की शिक्षा और उत्तर प्रदेश की शिक्षा का अनुपात देखा। जबकि हिन्दुस्तान में लड़कियों की शिक्षा का औसत 18.44 है, उत्तर प्रदेश के अन्दर जिसको एक रखने के लिए हम कटिबद्ध हैं जो कि रामकृष्ण का स्थान है, सूर, तुलसी, रसखान का स्थान है, गांधी जी, मालवीय जी और टंडन का प्रदेश है उसके अन्दर लड़कियों की शिक्षा का औसत केवल 10.18 है और यह हमारे 25-26 वर्ष की उपलब्धि है कि यहां स्त्रियों और लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है।

मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि इलाहाबाद की 4 तहसीलों के अन्दर कितने कालेज हैं? केवल भरवारी में एक कालेज है, जबकि बीसियों होने चाहिये थे। आज यह स्पष्ट है कि सारे प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था नगण्य है। उसका कारण यह है कि आपके यहां 3 निदेशालय हैं जबकि मैसूर में 5 हैं और महाराष्ट्र में छः है। आज स्त्रियों की शिक्षा को इन्होंने एक एडीशनल डायरेक्टर के जिम्मे रखा है जो कि माध्यमिक निदेशालय के, जाने कौन से मेहरोत्रा हैं। पता नहीं यह किसके अन्डर में है? श्रीनिवास जी हैं, या कौन हैं? तो इस प्रकार से स्त्री शिक्षा के प्रति उपेक्षा जाहिर होती है कि उसको डायरेक्टोरेट का स्टेटस भी नहीं मिला।

गोस्वामी जी ने चुनौती दी थी कि परीक्षा प्रणाली में सुधार कैसे हो इसके संबंध में निश्चित रूप से बताया जाय। तो मैं सुझाव दे रहा हूं कि जब आज फ्रांस के अन्दर, जापान के अन्दर, इंगलैंड और रशिया के अन्दर शिक्षा प्रणाली लागू है वही यहां लागू की जाय। वहां पर लड़कियों की योग्यता का मूल्यांकन कक्षाओं में किया जाता है। हर महीने में परीक्षाएं होती हैं, कापियां जांची जाती हैं और साथ ही पढ़ाई-लिखाई, चाल-चलन और उपस्थितियों के 100 नम्बर दिये जाते हैं। तो यह दो परीक्षा प्रणाली समाप्त होती चाहिए।

अब मैं एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज जबकि हमारे प्रदेश के अन्दर हाई स्कूल पास विद्यार्थी को नौकरी नहीं मिलती तो उस परीक्षा का महत्व ही क्या है? जब आपके यहां नौकरियों में इंटरमीडियेट को ही मान्यता है प्रवेश के लिए तो मैं प्रार्थना करूंगा कि हाई स्कूल परीक्षा को समाप्त करें और केवल इंटरमीडियेट परीक्षा रखें। या तो हाई स्कूल पास को नौकरियों में प्रवेश दें, उनको लिपिक बनायें या

और कोई सर्विस दें अथवा इस परीक्षा को ही समाप्त करें । जब एक परीक्षा रह जायगी इंटरमीडियेट की तो काफी परेशानी और खर्चा बच जायगा 10–12 लाख का झगड़ा नहीं रहेगा ।

साथ ही साथ मैं एक बात और पूछूंगा कि गोस्वामी जी ने बड़ी चतुराई से यह नहीं कहा कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को कहां देखा जायगा, डिप्टी डायरेक्टर स्त्रियों की शिक्षा का किसके अंडर में होगा और आज कर्मचारियों को बहुत असंतोष है । कापियां और परचे देर से पहुंचे, उसके कारण थे बहुत से ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो कार्यालय है वहां के लिपिकों और कर्मचारियों की यह मांग है कि लोक सेवा आयोग के क्रम में उन्हें वेतन दिया जाय । गोस्वामी जी वहां के बत से कर्मचारियों, जैसे तिवारी जी और दत्ता साहब से व्यक्तिगत सम्बन्ध रखते हैं । उन्हें आश्वासन भी दे आते हैं । मगर वह कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें कुछ विशेष सुविधायें दी जाय, उनका वेतन-क्रम बढ़ाया जाय । वेतन आयोग की रिपोर्ट मेरे पास है, उसमें कुछ नहीं आया है । साथ ही एक बड़ा अन्याय हुआ है । डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटी के अध्यापकों के बारे में वेतन आयोग ने यह कह कर विचार नहीं किया कि ये तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अन्तर्गत आते हैं । इलाहाबाद में चार बड़े डिग्री कालेज हैं, ईविंग क्रिश्चियन कालेज, ऐग्रीकल्चर कालेज, इलाहाबाद डिग्री कालेज और आर0 एम0 पी0 डिग्री कालेज । वहां के अध्यापकों ने सन् 67 में 60 दिन तक हड़ताल की । फरवरी में माननीय मंत्री जी और टंडन जी ने आश्वासन दिया कि ग्रेड लागू किये जायेंगे । इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुकदमा भी जीत गये लेकिन वह ग्रेड आज तक लागू नहीं किया गया । इन चार महाविद्यालयों के अध्यापक न कापी जांचते हैं, न परीक्षक बन सकते हैं और लड़के अगर प्रवेश चाहते हैं यूनिवर्सिटी में तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने की अनुमति नहीं देती है ।

एक चेतावनी मैं मंत्री जी को देना चाहता हूं । इस प्रदेश के अन्दर जो उच्च शिक्षा बिल लाया गया है उसका गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालयों ने घोर विरोध किया है । अभी तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट में 25 रजिस्टर्ड ग्रेजुएट मेम्बर होते थे । अब इन्होंने 10 कर दिये हैं । 5 मेम्बर नामांकित होते थे राज्यपाल के द्वारा । वह भी अब दो कर दिये । अब आप यूनिवर्सिटियों का रेजीमेन्टेशन रशिया और चायना के समान करना चाहते हैं । इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय, जहां के विद्यार्थियों ने एक मशाल लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी वहां के वाइस चांसलर के लिये इस प्रकार का बिल आये कि तीन नाम आयेंगे और अगर गवर्नर उनमें से किसी को नहीं पसन्द करेगा तो राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि किसी को बना दें । टंडन जी स्वयं हो सकते हैं क्योंकि वह नामांकित मंत्री हैं । वह कौंसिल से आये हैं । वह जनता के आदमी नहीं हैं । उनसे जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और प्रधानाचार्य मिलने जाते हैं तो वह उनके साथ बड़ा अशिष्ट व्यवहार करते हैं । मुख्य मंत्री जी ने बयान दिया था कि वह बिल नहीं आयेगा अगर कौंसिल में वह बिल आ गया । अगर विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता छीन ली गयी तो प्रदेश के अन्दर प्रजातंत्र मर जायगा । विश्वविद्यालय के ही छात्र विभिन्न दलों में आकर इस देश की आर्थिक लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक लड़ाई लड़ते है और विवेकानन्द के समान आध्यात्मिक लड़ाई लड़ते हैं और ये उनका रेजीमेन्टेशन करना चाहते हैं, सातों यूनिवर्सिटियों को ये अपने हाथ में लेना चाहते हैं ।

जहां तक तकनीकी शिक्षा का सवाल है, इंजीनियरिंग कालेजों के हजारों छात्रों के बारे में गोस्वामी जी ने कुछ नहीं बताया । जो 47 लाख नौजवान हाई स्कूल से लेकर एम0 ए0, बी0 ए0, इंजीनियरिंग आदि पास हैं उनके लिये क्या रास्ता है ?

[श्री रामगोपाल संड]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। इस विश्वविद्यालय पर 57 लाख रुपया कर्जा है। जिस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अनेकों लड़के आई० ए० एस० आफिसर बने हुये हैं, उसके ऊपर 57 लाख का कर्जा हो गया है। दो दो मंत्री उस जिले से आते हैं। कर्जा इसलिये नहीं हो गया कि उन्होंने फिजूल खर्चा कर दिया, वह इसलिये हो गया कि आपने अनुदान देना बन्द कर दिया। मेरी प्रार्थना है कि उस कर्जे को आप समाप्त करने की कृपा करें।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने और कटौती का प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रजातंत्र में हर सख्स को शिक्षा मिलना चाहिये। बच्चों की शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये। अभी परसों कानपुर में जिस जगह 2 साल 5 साल तक के बच्चों को मैंने देखा, देख कर मेरे आंसू आ गये। न उनके लिये खाने के लिये था, न पहनने के लिये कपड़ा ही उनके शरीर पर था। ऐसे बच्चे क्या पढ़ सकते हैं। राधाकृष्णन कमेटी की तथा अन्य जो कमेटी बैठी हैं सभी ने यह सिफारिश की है कि छोटे बच्चों को स्कूल में दूध तथा बिस्कुट आदि खाने की ऐसी चीजें जरूर मिलना चाहिये जिससे उनका शरीर पुष्ट हो सके। जब वे हेल्दी होंगे, तभी वे शिक्षा भी पा सकेंगे, उनके दिमाग का भी विकास हो सकेगा। हमारी यह आदत सी पड़ गयी है कि हर चीज का नेशनलाइजेशन करने की बात हम करने लगते हैं। जितना रुपया सरकार के पास हो उसी हिसाब से काम करना चाहिये।

आज जितने बेसिक स्कूल्स आदि राजा महाराजाओं ने खोल रखे हैं, उसके समान ही आप पहले स्कूल खोलिये। आज आबादी बढ़ रही है। सबके लिये शिक्षा का इन्तजाम नहीं है। अभी मैंने एक सवाल पूछा था माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि बेसिक शिक्षा में और प्राइमरी शिक्षा में क्या फर्क है। उन्होंने कहा था कि समझ का फर्क है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि दोनों में बड़ा फर्क है। दोनों चीज एक सी नहीं हैं। उसको समझने की जरूरत है। राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट को ही और माननीय मंत्री जी पढ़ने की कृपा करें तो उससे ही उनकी समझ में आ जायेगा कि क्या फर्क है। बेसिक एजूकेशन में बच्चों को लिखना पढ़ना, हिसाब लगाना आदि सिखाया जाता है और वह एजूकेशन वर्क ओरियन्टेड होती है। तो जो मंत्री जी ने बेसिक एजूकेशन शुरू किया है, वह वर्क-ओरिएन्टेड हो। यह बेसिक शिक्षा सेल्फ जनरेटिंग, सेल्फ सपोर्टिंग होनी चाहिय। यदि यह काम ठीक से किया जाये तो हमारे देश की उन्नति हो सकती है।

डाइरेक्टर, बेसिक एजूकेशन से मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा था कि अभी तक पूरी बेसिक एजूकेशन की तैयारी वैसी नहीं हो पायी है जैसी होनी चाहिये। उसमें अभी थोड़ी कमी है। वह कोशिश करते हैं कि वह वर्क-ओरिएन्टेड पूरी तरह से हो जाए और शीघ्र हो जाए, लेकिन अभी ही नहीं हो सका है। यदि हमारी बेसिक एजूकेशन रियली बेसिक एजूकेशन हो जाए तो बच्चे स्कूलों में चटाई बना सकते हैं और दूसरे काम कर सकते ह जिससे वे सेल्फ डेपेन्डन्ट हो सकते हैं। सीनियर बेसिक शिक्षा जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की है, वह लोग गल्ला डिस्ट्रीब्यूशन का काम अपने हाथ में ले लें इसी तरह से वह कोआपरेशन से अपन पास पैसा कमा सकते हैं शिक्षा के लिए। मैंने देखा है कि बेसिक एजूकेशन दफ्तर में न लीफोन है और न कोई जीप है, जो कि वह लोग जाकर समय-समय पर कोई निरीक्षण कर सकें। जब उनको जाना होता है तो वह किसी की जीप मांगते हैं और जब कहीं से बात करनी होती है तो दूसरी जगह से जाकर टेलीफोन करते हैं। तो इतनी छोटी-छोटी और जरूरी चोजों के बारे में उनकोपरेशानी है। जब उनको ये दिक्कतें हैं तो प्रदेश का डेवलप में एक साल के बजाय बीसों साल में हो पाएगा।

मैंनें शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के बारे में बहुत कुछ सुना है और इधर ो बहुत जोरों से उसकी आवाज उठाई जा रही है। मैं इसके बिलकुल विरोध में हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि शिक्षा के आज तक जितने कमीशन बैठे, कमेटियां बनीं, उन सबने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया है। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है और वह आवश्यक मशीनरी भी नहीं है कि वह इतने बड़े काम को संभाल सके। मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्हें आप वैसे ही चलने दें, उसमें हाथ न लगायें तथा आप अपने स्कूल ज्यादा से ज्यादा खोलें क्योंकि शिक्षा का बड़ा प्रसार हो रहा है। फीस का 80 परसें जो गवर्नमेंट ेड स्कूलों से सरकार ले लेती है, 20 परसेंट केवल छोड़ती है, किन्तु इस 20 परसेंट से साइंस के एक्यूपमेंट्स का भी अरेंजमें हो नहीं सकता है। हालत इतनी खराब है कि स्कूल वाले आज अपने बिजली के बिलों का भुगतान कर सकने में भी फेल हो रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं दो स्कूलों का मैनेजर हूं, 8–10 हजार रुपया हर साल पास से ेना पड़ता है, तब कहीं स्कूल किसी तरह से चल पाता है। उनको उनकी साइंस की फीस आपको वापस करना चाहिये। वहां पर साइंस के इक्यूपमेंट्स बिल्कुल नहीं है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 6 से 14 साल के बच्चों के जो स्कूल हैं उनके लड़के तथा लड़कियों के जो डबल स्कूल्स चलते हैं उनके बजाय को-एजूकेशन उनकी होनी चाहिए। इससे कई फायदे होंगे और स्कूल भी ज्यादा अवेलेबुल होंगे। हिन्दी का बड़ा प्रचार हो रहा है। उस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है और मंत्री जी ने भी उसके बारे में बहुत कुछ कहा है। इस बारे शिक्षा मंत्री से इतना ही कहना चाहता हूं कि साथ ही साथ अंग्रेजी अवश्य सिखाएं इससे और ज्यादा अच्छा होगा। एक साहब कहते थे, हमने अपने घर के सब दरवाजे निकलवा दिये, सब खिड़कियां निकलवा दीं ताकि चारों तरफ की बात हम देख सकें और चारों तरफ की बात सुन सकें और चारों तरफ से बात कर सकें। इसलिए मैं आपसे जोर देकर कहना चाहता हूं कि आप अपने कान-आंख बन्द न करिये। आप ुनियां की तरफ अपने कान और आंख खोलिये, क्योंकि साइंस का भंडार वहीं है।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय इंद्रमणि बडौनी, पांच मिनट लीजिये।

*श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 883 करोड़ 50 लाख के बजट में से कुल 154 करोड़ 71 लाख 26 हजार रुपया मांगा है। सारे बजट का बहुत कम प्रतिशत, करीब 12 प्रतिशत उन्होंने मांगा है। यह बात जरूर है कि गत वर्ष से इन्होंने करीब 43 करोड़ रुपये अधिक मांगे हैं। यह बात हम मानते हैं। हमको विचार करना है कि जो बात शिक्षा मंत्री ने स्व कही, जब गांधी जी के बताये हुए रास्ते पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या नहीं, जो बात क ौती के प्रस्ताव में भाई साहब ने कही, जो बाद केन्द्र के मंत्री स्वयं कहते हैं कि वर्तमान शिक्षा ठीक नहीं है लेकिन इसको बदलने के लिए इस बजट में कोई प्रयास नहीं है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए थोड़ा प्रयास किया गया है। उस सुधार के लिए अधिक न कहते हुये,, क्योंकि पांच मिनट हैं दो-तीन निवेदन करना चाहता हूं।

एक निवेदन यह है आप जो प्लान बनाते हैं उत्तर प्रदेश का शिक्षा का जो प्लान बनता है उसमें आपकी पुस्तिका है कि किसी जिले में कितना प्रतिशत है, आपका कुल ऐवरेज 21 प्रतिशत है और कुछ जिले ऐसे ह जो 13 प्रतिशत में हैं, कुछ 18 प्रतिशत में हैं। मेरा जिला उन जिलों में है। उसका विशेष खयाल रखें। मेरा जिला टेहरी-गढ़वाल है। सब

---

*वक्ता ने भाषण का पूनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्र मणि]

लोग जानते हैं कि पुरानी रियासत थी। रियासत की वजह से शिक्षा का प्रति अभी औसत स बहुत कम है। स्त्री शिक्षा में केवल 4 प्रतिशत है। इसलिए नरेन्द्रनगर और देवप्रयाग में जो जूनियर स्कूल हैं इसी सत्र में उनको हाई स्कूल बनान की कृपा करें। वहां अब भी 20–20 मील दूर से हाई स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। हम मंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने कुछ स्कूल हमारे जिले में खोले हैं। लेकिन इतने से हमारा काम पूरा नहीं होता है। जैसा नेगी जो कह रहे हैं। खाली मेरी कांस्टीटुएंसी दो सौ मील लम्बी है। उसमें भी अभी भी 20 मील के अन्दर लड़कों को हाई स्कूल की सुविधा नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि टेहरी-गढ़वाल में पौड़ी, चाकी, पोखरी तथा कुयला में जूनियर हाई स्कूल जो हैं उनको अपग्रेड करन की कृपा करेंगे।

इसके साथ मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि 1967 में एक कमेटी बनी थी पर्वतीय विश्वविद्यालय के लिए। उस कमेटी ने रेकमेंड किया था कि कुमायूं और गढ़वाल में भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। बीच म यह प्रश्न झगड़ में रहा। इस बार सरकार ने यह कहा है कि पर्वतीय जिलों में यूनिवर्सिटी खोलेंगे। मैं इसके लिए बधाई देता हूं। लेकिन साथ ही मेरा आग्रह है कि जुलाई से इन विश्वविद्यालयों को किसी न किसी तरह से आरम्भ करें। मुझे करीब 20–25 तार गढ़वाल और कुमायूं के लड़कों से मिले हैं कि अगर जुलाई में विश्वविद्यालय नहीं खुलेंगे तो फिर हड़तालें होंगी। जो सरकार जब इनको आरम्भ कर रही है तो जुलाई तक आरम्भ कर दे। मंसूरी में यह तय हुआ था कि गढ़वाल में तीन डिग्री कालेज खुलेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि दो तो खुल गये हैं लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र में खोला जाय। श्रीनगर में एम0 एस0 सी0 क्लासेज भी जरूर खुलने चाहिय।

मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने टेहरी में बी0 एस0 सी0 तथा बी0 एड0 क्लासेज खोलने के आदेश दे दिये हैं। इन सब बातों को देखते हुये हुए मेरा आपसे निवेदन है तमाम टेहरी-गढ़वाल के अध्यापकों ने आज से, 5, 6 महीने पहले एक हड़ताल डेढ़ महीने तक की थी और उस अवधि की तनख्वाह का कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है, वह उलझा हुआ है, उसको किसी न किसी ढंग से तय कर दें ताकि वहां के स्कूल अच्छे ढंग से चल सकें। मैं अधिक न कहते हुए यह कह देना चाहता हूं कि शासक पार्टी ने जो समाजवाद का नारा दिया है इस शिक्षा पद्धति से वह किसी तरह से प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि इस शिक्षा पद्धति में अमीर व गरीब के बच्चे के लिये अलग-अलग शिक्षा है बड़े अफसरों के लिये अलग स्कूल हैं, गांव वालों के लिये अलग, शहर वालों के लिये अलग स्कूल हैं। जिस शासन में बच्चों के लिए एक तरह की व्यवस्था शिक्षा के सम्बन्ध में न हों उसमें समाजवाद की बात करना लोगों को बेवकूफ बनाना है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस ओर प्रयास करें। अमीर और गरीब के बच्चों को इस देश में समाजवादी व्यवस्था के अन्दर एक तरह की शिक्षा दी जाय तो यह सबसे बड़ा शुभ काम होगा।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने शिक्षा जैसे अनुदान के ऊपर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा राष्ट्र की आधारशिला होती है। किसी देश की उन्नति उस देश की शिक्षा पर निर्भर करती है। आज संसार में ऐसे देश हैं जबकि दूसरे विश्व युद्ध में पूर्ण रूप से नष्ट हो गये थे लेकिन वहां की शिक्षा के कारण आज वे देश संसार में प्रथम स्थान रखते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि वहां शिक्षा योजनाबद्ध दी जाती है जिसका प्रभाव राष्ट्रीय विकास पर पड़ता है जबकि हमारे देश में शिक्षा योजनाबद्ध नहीं दी जाती और यही कारण है जिससे हमारे देश में असंतोष तथा बेकारी बढ़ती जाती है। मेरा निवेदन है कि शिक्षा हमको जापानी पैटर्न पर देना चाहिये। जापान के अन्दर शिक्षा व्यवहारिक होती है जबकि हमारे देश में तथा प्रदेश में

व्यवहारिक शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है । अगर हमारी शिक्षा व्यवहारिक होगी तो हमारे देश के अन्दर जो बेरोजगारी की समस्या है वह पूर्ण रूप से हल हो जायगी । अतएव बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये, व्यवहारिक शिक्षा आवश्यक है । तभी तमाम शिक्षकों को सुविधा मिल सकती है । बालकों का चरित्र ऊंचा हो सकता है तथा अच्छा नागरिक पैदा करने के लिये आवश्यक है कि हम इस प्रकार शिक्षा प्रणाणी में सुधार करें जिससे हमारे नागरिकों का मनोबल तथा आत्मबल ऊंचा तथा आत्म-सम्मान की भावना पैदा हो एवं शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते जायं ताकि राष्ट्र विकास करता जाय । इसीलिये शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन आवश्यक है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने शिक्षा प्रणाली को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है । प्राइमरी एजूकेशन, हायर सेकेन्डरी एजूकेशन एवं यूनिवर्सिटी एजूकेशन । मान्यवर, गांधी जी ने कहा था कि हमारी प्राइमरी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिये जो कि हमारे तीनों उद्देश्यों की पूर्ति कर सके । परन्तु मैं समझता हूं कि हम अभी तक इस स्थिति में नहीं पंहुच पाये हैं जो कि पूज्य गांधी जी का वर्द्धा एजूकेशन का उद्देश्य था, दूसरा माध्यम शिक्षा पद्धति है । इसकी स्थिति भी बड़ी सोचनीय है । क्योंकि दिनोंदिन विद्यालयों की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार की तरफ से पूरा प्रयत्न होने के उपरान्त भी हम उतनी सुविधा नहीं दे सके जितनी कि हम चाहते थे। उसका एकमात्र कारण हमारे प्रदेश का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन है । मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि वे माध्यम शिक्षा में रुचि लें जिससे माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके ।

जहां तक उच्चतम शिक्षा का सवाल है, उसमें भी विश्वविद्यालयों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है । विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाना मैं उचित नहीं समझता हूं क्यों कि जैसे-जैसे विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ती जायेगी वैसे-वैसे वे विश्वविद्यालय राजनीतिक अड्डे बनते जायेंगे और उससे असन्तोष की भावना विद्यार्थियों में फैल सकती है । क्षेत्रीय भावना से प्रेरित होकर विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाना उचित हो सकता है लेकिन यदि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से देखा जाय तो विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाते रहना हितकर नहीं होगा क्योंकि प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय हैं वे पहले से ही घाटे में चल रहे हैं । जब तक वह घाटा पूरा नहीं होता तब तक नये-नये विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित योजनायें नहीं बनानी चाहिये । मैं मेरठ के विश्वविद्यालय के बारे में कहना चाहता हूं । मेरठ विश्वविद्यालय ने एक अपनी योजना बनाकर सरकार के पास भेजी है कि हमको 4 करोड़ रुपये की आवश्यकता है । यदि उनको 4 करोड़ रुपया मिल जाता है तो वे अपने विश्वविद्यालय का विकास कर सकते हैं । हायर एजूकेशन के लिये जो हमारे विद्यार्थियों को विदेश जाना पड़ता है उनको यह शिक्षा नहीं मिल सकती है यदि सरकार 4 करोड़ की धनराशि दे दे इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरठ विश्वविद्यालय की जो मांग है उसके ऊपर वह ध्यान दें ।

मैं यह भी चाहता हूं कि जिस विश्वविद्यालय में सबसे अधिक वर्किंग डेज रहते हों उसको सबसे अधिक ग्रान्ट मिलनी चाहिये और जो विश्वविद्यालय साल भर में 8 महीने या 6 महीने बन्द रहते हों उनको कम ग्रान्ट मिलनी चाहिये । लेकिन देखा यह गया है कि जो विश्वविद्यालय महीनों तक बन्द रहते हैं, उनको ही ज्यादा ग्रान्ट दी जाती है । यदि ऐसा न हो तो इससे प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार आ सकता है ।

मान्यवर, मैं माध्यमिक शिक्षा और उसके प्रशिक्षण के सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हुं । प्रदेश में जो परीक्षायें होती हैं । उनके कारण हमारे अध्यापकों के ऊपर हमले किये जाते हैं और उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिये सरकार की तरफ से इस तरह के निर्णय होने चाहिये कि यदि किसी भी अध्यापक के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार किया जाता है तो उसको तुरन्त सम्बन्धित जिलाधिकारी सहायता दे । इसके लिये

[श्री लक्ष्मण स्वरूप]

अध्यापक सुरक्षा कोष होना चाहिये तभी कार्य ठीक हो सकता है और नकल का यह संकट हल हो सकता है । मैं उदाहरण के तौर पर मेरठ के एक कालेज के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर एक अध्यापक के ऊपर प्रहार किया गया । उस सम्बन्ध में 3 साल हो गयें हैं, कोई निर्णय सरकार नहीं ले पाई है । इस तरह से अध्यापकवर्ग में असन्तोष फैलता है और यही कारण है कि व अपने कर्तव्य पूर्ति हेतु अग्रसर नहीं होते । क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि अपनी जान को हथेली में रखकर काम करें।

जहां तक बोर्ड का सवाल है, उसका कार्य भी दिनोंदिन बढ़ता ही चला जा रहा है आये दिन वहां पर हड़ताल हुआ करती है । इसका मुख्य कारण यह है कि वहां पर जितना स्टाफ होना चाहिये था उतना नहीं है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि हाई स्कूल की परीक्षा को समाप्त कर दिया जाना चाहिये क्योंकि इसका अब कोई महत्व नहीं रह गया है । और हाई स्कूल पास किया हुआ विद्यार्थी कहीं भी काल नहीं किया जाता । आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इसलिये बोर्ड के कार्य को सुविधापूर्वक चलाने के लिये अधिक धन देना चाहिये । मंत्रिमंडल का तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है । इसलिये आप यह उत्तर नहीं दे सकते तो इसलिये माननीय मंत्री जी से यही प्रार्थना है कि शिक्षा के बजट में अधिक से अधिक धन दिया जाय । जो कटौती की गयी है वह भी ठीक नहीं है क्योंकि केन्द्र में प्लानिंग कमीशन शिक्षा के लिये जो 3,200 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा गया था, उसमें से उसने 2,250 करोड़ रुपया ही दिया है । शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाय तो प्लानिंग कमीशन ने जो यह कटौती की है वह उचित नहीं है। क्योंकि शिक्षा के ऊपर, यदि उसके बजट का अधिक से अधिक खर्च न किया जाय तो राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय ।

अब मैं मेरठ के प्राइमरी एजकेशन के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । वहां एक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी श्री भगवान स्वरूप सक्सेना हैं जिनके काले कारनामों के बारे में मेरठ के सभी विधायकों और मंत्रियों के पास भी रजिस्टर्ड पत्र आदि आ चुके हैं लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । कई बार उसका ट्रांसफर हुआ लेकिन वह वहीं पर बरकरार जमा हुआ है । पता नहीं सरकार क्यों उसको वहां रखे हुये है । 7–8 साल से बराबर वहीं पर जमा बैठा हुआ है और उसकी वजह से हर एक अध्यापक वहां के परेशान है । आज तक उसे वहां से नहीं हटाया जा सका है । कई बार टेलीग्राम जा चुका उसे रिलीव करने के लिये लेकिन वह रिलीव नहीं हो सका । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाता हूं कि उसको तुरन्त मेरठ से हटाया जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा विभाग से अनुदान में जो कटौती मैंने दी है, उनको पेश करना चाहता हूं। वे इस प्रकार हैं––

श्री उपाध्यक्ष––

नियमतः आप उनको पेश नहीं कर सकते। आप उन पर बोल सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

नयमतः क्यों नहीं पेश किया जा सकता इनको ?

श्री उपाध्यक्ष–

ये तो पेश किये हुए माने गये, जैसाकि हमेशा होता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैंने ये कटौतियां दी हैं वह इसलिये ताकि उनका उत्तर अलग-अलग आवे। किसी राष्ट्र की प्रगति के लिये शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। मुझे भाषण देने का कोई शौक नहीं है। अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल छोड़ कर बैठ जाऊं, लेकिन कटौती का अलग-अलग उत्तर दिलवा दें, बस इतनी ही मेरी आपसे दरख्वास्त है।

श्री उपाध्यक्ष––

वो तो आप जानते हैं, एक कटौती प्रस्ताव के ऊपर ही होता है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इनके बारे में मैं जानकारी आपको अलग-अलग दे दूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

लेकिन कब देंगे !

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

जब उत्तर दूंगा, अभी तो आप बहस ही इस पर कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

आज दूसरा दिन है, इसे 5 बजे तक पारित होना है।

*श्री अनन्तराम जायसवाल––

मान्यवर, मैं कुछ समय लेना चाहता हूं। इधर कुछ दिनों से उर्दू और हिन्दी का सवाल इस तरह से खड़ा हुआ है जैसा कि आजादी से पहले खड़ा हुआ था। उसके लिये दोषी सरकार है, मान्यवर। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भाषा के सम्बन्ध में गांधी जी के जितने सुस्पष्ट विचार थे उतने शायद और किसी राजनेता के विचार नहीं थे। मैं खुद उनके उद्धरण से यह यह बात कहना चाहता हूं। गांधी जी का यह लेख है, मान्यवर। उर्दू-हिन्दी के सम्बन्ध में गांधी जी ने अपनी व्याख्या दी है और राय जाहिर की है कि इस तरह से कार्यवाही की जाय। यह लेख है––"राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी" गांधी जी द्वारा, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद की पुस्तक है। उसी में यह लेख है।

कहा गया है कि जिस कक्षा में दस लड़के या जिस स्कूल में 40 लड़के होंगे उस क्लास या स्कूल के लिये उर्दू का अध्यापक दिया जायगा। लेकिन व्यवहार में यह चीज भी नहीं लाई जाती। आपने उर्दू अकादमी, उर्दू बोर्ड और अब एक डिप्टी डायरेक्टर अलग से, उसके लिये मुकर्रर करने का फैसला लिया है, वह मुकर्रर भी हो गया है लेकिन इससे काम नहीं चलेगा जब तक कि जो सुझाव मैंने दिये हैं कि पांचवें दर्जे की पढ़ाई मोटे तौर से हमारे वक्त में भाषा और अरिथमेटिक की होती थी। उसमें किताब की पढ़ाई, इमला और मजमून वगैरा चलते थे। 5–6 घंटे में 3–4 घंटे भाषा-भाषा के स्तर को ठीक करने में लगाये जाते थे। लेकिन यह सब अब नहीं हो रहा है। जैसे ही लड़का दर्जा 4 या 5 में आता था तो उसकी अगर पहली जबान उर्दू होती थी तो हिन्दी उसे दूसरी जबान के तौर पर पढ़नी होती थी, कुछ लोग अंग्रेजी ले लेते थे और इसी तरह से जिनकी जबान हिन्दी होती थी वह दूसरी जबान के तौर पर उर्दू पढ़ते थे। उन्हें दूसरी भाषा के रूप में उसे पढ़ना जरूरी था। अगर आज भी वैसे ही चलाया जाय तो कोई झगड़ा फंसने वाला नहीं है लेकिन सरकार ने जान बूझकर उर्दू-हिन्दी की जो गांधी जी की व्याख्या दी हुई है कि यह वह भाषा है कि जो उत्तर भारत का आम आदमी बोलता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्तराम जासवाल]

इसके पृष्ठ 6 के पहले पैरा में है कि "उत्तरी हिन्दुस्तान में जिस भाषा को वहां का जन-समाज बोलता है, उसे आप चाहे उर्दू कहें, चाहे हिन्दी, बात एक ही है उर्दू लिपि में लिख कर उसे उर्दू के नाम से पहचानिये और उन्हीं वाक्यों को नागरी में लिखकर उसे हिन्दी कह लीजिये।" इसके अगले पैरा में कहा है कि फिलहाल मुसलमान लड़के जरूर ही उर्दू लिपि में लिखेंगे, हिन्दू ज्यादातर देवनागरी में लिखेंगे। "ज्यादातर" शब्द का प्रयोग इसलिये कर रहा हूं कि हजारों हिन्दू आज भी अपनी हिन्दी उर्दू लिपि में लिखते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो देवनागरी लिपि जानते भी नहीं। आखिर जब हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच शंका की थोड़ी दृष्टि न रहेगी, जब अविश्वास के सब कारण दूर हो चुकेंगे, तब जिस लिपि में शक्ति रहेगी वह लिपि ज्यादा लिखी जायगी और वह राष्ट्रीय लिपि बनेगी। इस बीच जिन मुसलमान और हिन्दू भाइयों की उर्दू लिपि में अर्जी लिखने की इच्छा होगी, उनकी अर्जी राष्ट्र के स्थान में कबूल की जायगी--की जानी चाहिये। "गांधी जी का इतना असर था कि इस झगड़े के निबटाने के लिये जवाहरलाल जी को एक किताब लिखना पड़ा।'

इसका हवाला इसके पृष्ठ 92 पर है कि "पं0 जवाहरलाल नेहरू ने जिस विषय पर अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने जो बातें सुझाई हैं, उन्हें पाठकों की जानकारी के लिये मैं नीचे देता हूं"। इसके आगे पैरा 2 में पढ़ रहा हूं कि "हिन्दुस्तानी भाषा-भाषी प्रान्तों में हिन्दी और उर्दू दोनों ही अपनी अपनी लिपि के साथ सरकार द्वारा स्वीकृत की जाना चाहिये। सरकारी सूचनायें दोनों ही लिपियों में प्रकाशित होनी चाहिये। अदालतों या अन्य सरकारी दफ्तरों में अर्जी पेश करने वाला व्यक्ति किसी भी लिपि, हिन्दी या उर्दू का प्रयोग कर सकता है, इससे दूसरी लिपि में उस दरख्वास्त की नकल न मांगी जाय"। यह पूरी नीति उस समय की है कि जब कि अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस का आन्दोलन चल रहा था। हमारा आरोप है कि उस नीति से कांग्रेस शासक आजादी के बाद हट गये। अगर उस नीति को अपनाया गया होता तो एक तरफ तो हिन्दू मुसलमानों के बीच एकता, भाईचारा और सद्भावना का व्यवहार बढ़ा होता और दूसरी तरफ कोई भाषा के झगड़े न होते और अंग्रेजी आसानी से खत्म हो गई होती। हमारे मुख्य मंत्री जी जब यहां के शिक्षा मंत्री जी थे उस वक्त उर्दू की पढ़ाई को खत्म करने का फैसला लिया गया और उसका नतीजा यह है कि सरकार का कागज पर कुछ भी आश्वासन रहा हो लेकिन उर्दू की पढ़ाई इधर हुई ही नहीं है।

झगड़ा पैदा किया है सिर्फ पढ़े लिखे लोगों ने जो हिन्दू पढ़े लिखे लोग हैं, वे चाहते हैं कि उनकी हिन्दी संस्कृतमय होनी चाहिए और जो मुसलमान पढ़े लिखे लोग हैं, वे चाहते हैं कि उनकी उर्दू ऐसी हो जिसमें फारसी का बाहुल्य हो लेकिन यह जबान जनता की भाषा नहीं है। जो आम लोग बोलते हैं, वह भाषा वही है जो गांधी जी ने कही है। और उसे अगर हिन्दी में लिखते हैं तो हिन्दी कही जाती है और अगर उसको उर्दू लिपि में लिख दी जाय तो उसे उर्दू माना जाय और जब तक हिन्दू और मुसलमानों में एका न हो और जो जहर और अदम एतमाद है, वह दूर न हो तो जो शक्तिशाली लिपि होंगी, वह राज्यभाषा हो जायगी। कांग्रेस के जो लोग दूसरे प्रान्तों में दौरा करते थे तो उन्हें दोनों लिपियां पढ़ायी जाती थीं। उर्दू को मुसलमान लोग लाजमी तौर से जानते हैं और उनकी उर्दू में कोई बात समझने में आसानी भी होती है लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो फिर झगड़ा खड़ा हो गया। आप इस चीज को मान लीजिए और अगर आप सचमुच में अंग्रेजी को हटाना चाहते हो तो इस ओर भी आपको ध्यान देना होगा। जब तक अंग्रेजी भाषा राजकाज में प्रयोग में आती रहेगी और मीडियम रहेगी, तब तक आपको हिन्दुस्तानी में दक्ष लोग नहीं मिलेंगे और बच्चों का सारा समय भाषा के सीखने में ही चला जायगा।

ऊंची तालीम पाने का जिसको सौभाग्य प्राप्त होता है, उसको अगर अपनी भाषा में पढ़ने का मौका मिलेगा तो वह अपने विषय का पंडित बनगा और अच्छा इंजीनियर, ओवरसियर,

डाक्टर और अच्छा साहित्यकार बनेगा, तो उससे अपना ही भला कर सकेगा और देश का भी भला कर सकेगा। गांधी जी ने इसीलिए यह चाहा था और यह नीति चलायी थी अगर उनकी वह नीति चलायी गयी होती तो आज किसी का किसी तरह से नुकसान न होता और यह झगड़ा पैदा न होता। उनका विचार था कि अंग्रेजी भी हट जाय और यह जहर भी न फैलने पाये। मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी हिन्दी और उर्दू की दुश्मन है। हिन्दुस्तान की इन भाषाओं को मिलकर अंग्रेजी को हटाना चाहिए और गांधी जी की इस अथौरिटी पर इस सरकार से मांग कर रहा हूं कि हिन्दी और उर्दू को बराबर का दर्जा इस प्रान्त में मिलना चाहिये।

उसके बाद यहां की जो पढ़ाई है, उससे बच्चों को भाषा का भी ज्ञान नहीं हो पाता है क्योंकि चौथी, पांचवीं क्लासेज के कोर्सेज को आप देखें, उसमें सामान्य विज्ञान, समाज शास्त्र, कहीं एलीमेंट्री ज्योग्राफी और कहीं पर एलीमेंट्री इतिहास शामिल कर लिया गया है। 8–8 और 10–10 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, उनका दिमाग विकसित नहीं हो पाता है, जो इन चीजों को समझ सकें। मिसाल के तौर पर चौथे दर्जे में पढ़ाया जाता है कि मिट्टी कितनी प्रकार की होती है। इस पर उनकी किताब में एक लेख लिखा है कि मटियार, दूमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी। जो बच्चे मिट्टी को नहीं जानते हैं, उन्हें इनको रटना पड़ता है और इनके दिमाग में नहीं बैठता है तो इनको इस प्रकार के जो विषय हैं उनको पढ़ने पर मजबूर किया जाता है। उनके दिमाग में कुछ पड़ता नहीं है, उनका ज्ञान नहीं बढ़ता है। उल्टे भाषा सीखने का जो कीमती समय जाना चाहिये, वह नहीं मिलता है। नतीजा क्या होता है! मान्यवर, आज ग्रेजुएट लोगों से अगर हिन्दी पढ़ाई जाये, तो वे न पढ़ सकते हैं और अगर इमला बोला जाय, तो न वे ठीक-ठीक लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों के ऊपर नाजायज बोझ लादना उचित नहीं। आपको सोचना चाहिये कि क्या-क्या चीजें बच्चों को पढ़ाना चाहिये ताकि वे अच्छी तरह से भाषा सीख लें और हिसाब-किताब का ज्ञान उन्हें हो जाय। उसके बाद अंग्रेजी की तालीम विश्वविद्यालय स्तर पर होनी चाहिये।

दूसरी समस्या मान्यवर, पढ़े-लिखे जो बच्चे हैं, उनकी बेरोजगारी की है। अगर मिडिल स्तर की जो पढ़ाई है, उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग में भेजा जाय, जैसे बढ़ई, लोहार, इलेक्ट्रिक, तो वह उनके लिये अच्छा है और वे मिस्त्री बन सकते हैं। मान्यवर, जो योरोप के देश हैं, वहां उनका विकास होता रहता है। वहां जो मिस्त्री की तालीम लेकर निकलते हैं, उनको काम मिल जाता है। लेकिन हमारे यहां जी0 आई0 टी0 आई0 से बच्चे निकलते हैं, उनको काम नहीं मिलता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इनको इस तरह की शिक्षा न दी जाय। शिक्षा दी जाय और राज्य से प्रोत्साहन मिले, तो यह समस्या हल की जा सकती है। लेकिन सरकार के सामने यह मोटिव रहता है कि जितना टाल सके, टालते जाओ। मान लीजिये किसी बच्चे ने मिडिल पास किया, उसके बाद फिर हाई स्कूल और फिर इन्टर पास किया। कहीं सहारा न मिला तो फिर बी0 ए0 ज्वाइन कर लिया, फिर एम0 ए0 ज्वाइन कर लिया और फिर ला करने लगा। इस तरह से 5, 6, 8 साल तक बेकारी की समस्या को टाल देते हैं। लेकिन कहते हैं कि यह समस्या हल नहीं होती। उससे विद्यार्थी के समय और गार्जियन के पैसे का अपव्यय होता है। अगर 8–10 साल तक जो यह बी0 ए0, एम0 ए0 या 'ला' की अवधि है, इसको बन्द कर दें, तो इससे कुछ हर्ज नहीं होगा। लेकिन टीचर्स सोचते हैं कि हम बकार हो जायेंगे। उनकी तरफ से विरोध हो जायेगा। मान्यवर, हमारे पास खाली ट्रान्सलेशन का ही इतना काम बाकी है कि उनको अगर अनुवाद के काम में ही लगा लिया जाय तो वे खप सकते हैं। उनकी बेकारी का कोई सवाल नहीं है। तो जो आज पढ़-लिखे बच्चे काम की तलाश में हैं, उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा और उसमें ढिलाई से काम नहीं चल सकता है।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

मान्यवर, जहां तक आन्दोलनों का संबंध है, उसके बारे में यह कह दिया जाता है कि यह खाली कानून और व्यवस्था का मामला है। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह खाली कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है। मान्यवर, आज कल शिक्षा महंगी होती जा रही है। विद्यार्थी और अभिभावक को अपनी फीस इकट्ठा करने से ही नहीं छुट्टी मिलती। इस महंगी शिक्षा के साथ-साथ उन्हें विषय का ज्ञान भी नहीं होता है। साथ ही, आज अपना भला करो और अपने दल का भला करो, यह हवा चल रही है। चाहे सरकार हो, चाहे स्कूल और कालेज हों या विश्वविद्यालय हो। आज जो हवा है जमाने की, उस हवा के मुताबिक सब जगह भ्रष्टाचार फैल गया है। जब सब जगह भ्रष्टाचार फैल गया है, तो इसकी शिकायतें होती हैं, जो बच्चों तक भी पहुंचती हैं, मास्टरों में भी पहुंचती हैं और स्कूलों में दलबन्दी हो जाती है और वह दलबन्दी बच्चों में भी आ जाती है। अशांति का बहुत बड़ा कारण मान्यवर, यह भी है। अध्यापकों में जो चरित्र होना चाहिये, जो ज्ञान होना चाहिये, वह जब विद्यार्थियों को उनमें नहीं मिल पाता है, तो वह अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है। अनुशासनहीनता के पीछे आज ये सब कारण हैं।

जहां तक विश्वविद्यालय का संबंध में उस दिन मान्यवर, मुझे मौका नहीं मिल पाया था कि काशी विश्वविद्यालय के प्रति अपने विचार रख सकूं। उसमें सरकार की तरफ से पेश किया गया कि खाली कानून और व्यवस्था का मामला था वह। दूसरी तरफ उधर की तरफ के बोलने वाले लोग थे उनका रुख था कि कानून और व्यवस्था का मामला है जब कि उसकी जड़ में और चीज है। लेकिन मोटे तौर पर कानून और व्यवस्था का ही मामला है। एक तरफ कहा गया है कि ज्यादती हो रही है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो कार्यवाही की गई कानून व्यवस्था के नाम पर, उसको जायज करार देने की कोशिश की गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय नेता सदन से कोई बात छिपी नहीं है। जब से श्रीमाली जी आये हैं, पता नहीं मान्यवर, आज की इस बूढ़ी पीढ़ी को पद से इतना लगाव क्यों हो गया है, वह अपने पद से हटना नहीं चाहते। उनकी आयु 70 वर्ष के आसपास है। एक टर्म उनका 3 वर्ष का पूरा हो गया और दूसरा टर्म रन कर रहा है। जिस प्रकार छोटे बच्चे की नई-नई चीज की इच्छा होती है उसी प्रकार इन बूढ़े लोगों को क्यों विलासिता ने घेर लिया है, इन्हें नई-नई चीजों का शौक हो जाता है। वह ज्यादा से ज्यादा बिलासी हो गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी को अगर कहीं जाना होगा तो रेल से भी जायेंगे, लेकिन अगर कहीं श्रीमाली जी सफर करते हैं तो हवाई जहाज से करते हैं। इनके पास पहले से एक अतिथि गृह मौजूद है, लेकिन इन्होंने अपने निजी महमानों के लिये एक नया अतिथिगृह वहां पर बनवाया है।

इसके अलावा, जो इनके चाटुकार लोग हैं—मानलीजिये इनके निजी सलाहकार हैं या अपना स्टाफ है, तो निजी सलाहकार के लिये भी एअर कंडीशनिंग की सुविधा तथा अपने स्टाफ और उनके स्टाफ को भी यह सुविधा निःशुल्क दी है। इसके अलावा जो और अनेक सुविधायें हैं वहां भी सब प्रदान की गई हैं। इसका असर क्या होता है? जो दूसरे लोग हैं उनमें भी कलह पैदा हो जाती है और धीरे-धीरे वह बच्चों पर उतर आती है। इस तरह से भ्रष्ट कर्मचारियों को बचाने के लिये वह कोशिश करते हैं। एक सज्जन हैं श्री ज्योतिभूषण गुप्त। यह सम्मानित नागरिक हैं बनारस के और जुलाई 1967 से आनरेरी ट्रेजरार रहे हैं काशी विश्वविद्यालय के। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने लड़के के नाम पर एक फर्म कायम की थी और उससे यूनिवर्सिटी के लिये सामान खरीदा गया जिसमें घपला हुआ। यह बात आडिट रिपोर्ट में भी आ गई है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में इनके एक और कर्मचारी हैं, न मिल कर 60 हजार का घपला किया। इस मामले पर जो पहले उपकुलपति थे श्री भगवती जी, उनका यह निर्णय हुआ कि इन पर मुकदमा चलाया जाय। 1968 में यह आर्डर्स हो गये थे, लेकिन जब से श्रीमाली जी आये हैं तो इन्होंने यह कोशिश की यह मामला दब जाय। पहले तो इन्होंने एक्जीक्यूटिव

काउन्सिल में दबाने की कोशिश की और जब वहां न दब सका तो समय से मुकदमा दाखिल नहीं किया गया ।

मान्यवर, यह आरोप न्यायालय द्वारा सिद्ध हो गया, लेकिन वसूलयाबी इसलिये नहीं हो पाई कि वह मामला अदालत में देर से पेश किया गया। जब आप भ्रष्ट कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि यह मामला केवल श्रीमाली जी या गुप्ता जी का हो, यह तो वहां के वातावरण में व्याप्त होता है—सारा जहर और इससे बच्चे भी अछूते नहीं रह जाते। इसके अलावा वहां के फिजासफी डिपार्टमेंट के अन्तर्गत रिसर्च सेण्टर हैं उसके इंचार्ज हैं श्री डा0 देवराज जी और उसी रिसर्च सेण्टर में एक रिसर्च असिस्टेंट हैं डा0 बद्री सिंह उन्होंने एक किताब लिखी । प्रकाशित प्रतिलिपि उन्होंने डा0 देवराज को दी करेक्शन करने के लिये। न तो उन्होंने उस प्रतिलिपि में करेक्शन किया और न वापस दी, बल्कि डा0 देवराज जी ने अपने नाम से छपवा लिया। जब छपवा लिया तो उसकी शिकायत श्री श्रीमाली जी से की गई और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। रिमाइन्डर दिया गया, लेकिन जब उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें अदालत में जाना पड़ा ।

अदालत में जो कमेंट्स हुए हैं देवराज के लिए वह इस तरह से हैं । 10–10–72 का सिविल जज का जजमेंट है । यह लिखा है :It is doubtful if he is fit enough to continue on the post he is holding for a minute.....His place is in Jail and not on the chair the Centre of Advance Studies in B. H. U,

इस तरह के रिमार्क्स इनके खिलाफ हुए हैं और यह श्रीमाली जी के फेवरिट हैं। जहां इस तरह की अनियमितताएं होती हैं तो वहां एग्जीक्यूटिव कौंसिल में झगड़े होते हैं, अध्यापक और अध्यापक में झगड़े होते हैं और यह झगड़े छनकर बच्चों में चले जाते हैं। फिर प्रवेश का मामला है। अक्टूबर के आसपास इनके परीक्षाफल घोषित होते हैं। जहां जहां प्रवेश लेना होता है वहां भर्ती पूरी हो जाती है। काशी विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए स्थान रिक्त नहीं रह जाते और उन्हें झकमार कर बनारस यूनीवर्सिटी में ही प्रवेश लेना पड़ता है। वहां भी उन्हें वेश नहीं मिल पाता क्योंकि वहां भी नये नये कानून और उसूल बना लिये जाते हैं।

वैसे तो यह सामान्य नियम है कि मार्क्स के आधार पर प्रवेश मिले। लेकिन यहां यह होता है कि जो छात्र अच्छे नम्बर पाये हैं उनका एडमीशन नहीं मिल पाता और नये नये उसूल निकाल लिये जा ह वैसे "प्रीजेन्ट आन दि स्पाट" वाला उसूल निकाल लिया यानी ऐसा छात्र चाहे जिसके नम्बर कम हैं लेकिन वहां मौजूद हो तो उसको एडमिशन मिल जायगा। आप देखें कि इस तरह की चीजें जहां हों वहां छात्रों में असन्तोष नहीं होगा तो क्या होगा । जो डिजर्विंग कैन्डीडेट्स हैं उनको एडमीशन न और जो आपके फेवरिट हैं उनको प्रवेश मिल जाय । इतना ही नहीं ऐसे लड़कों के ऊपर अनुशासनहीनता की कार्यवाही हुई है जो प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। आनन्द नाम का लड़का साइकोलाजी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुआ जब उसे परीक्षा में बैठने का अवसर दिया गया। वहां ऐसे लड़कों को एडमिशन दिया गया है जैसे कि उस दिन वर्मा जी ने कुछ नाम लिये थे, जिनको अनुशासनहीनता के अपराध में या किसी सामान्य फौजदारी के कानून में निकाला जा चुका है या सजा हो चुकी है ।

इन लड़कों में आलोकसिंह, सत्यदेव, रामनरेश सिंह, नरेन्द्रप्रसाद सिंह, आदि ह। अलोकसिंह बीमारी का बहाना लेकर अस्पताल में दाखिल हुआ । यह पिस्तौल लेकर नकल कर रहा था । वहां जो टीचर थे उन्होंने शिकायत की और यह यूनीवर्सिटी से निकाला गया । लकिन इसको फिर एडमिशन मिल गया । जब अच्छे लड़कों को एडमिशन न मिल कर ऐसे लड़कों को एडमिशन मिलगा तो फिर छात्रों में असन्तोष ही होगा । उनके इस असन्तोष को यह कह कर टालना कि बच्चे राजनीति सीख रहे हैं उचित नहीं है क्योंकि

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

अगर यह राजनीति नहीं करेंगे तो क्या लफंगे राजनीति करेंगे जो श्री श्रीमाली जी के फेवरिट हैं। इसमें लड़कों की खता नहीं है। क्या कारण है कि 8 महीने स्कूल बन्द रखे जायं जबकि शिक्षा इतनी मंहगी होती जा रही है। छोटे लोगों के बच्चों को प्रवेश न मिल पाये, इम्तिहान की घड़ी तक प्रोस्पेक्टस न बन पाये तो उस हालत में अगर लड़के हड़ताल करते हैं और अपनी आवाज बुलन्द करते हैं तो आप उसे राजनीति कह कर टाल देते हैं। न वहां कोई सेमिनार होता है, न वाद-विवाद होता है बल्कि गुंडई को प्रोटेक्शन मिलता है। वहां गुंडे श्री माली के फेवरिट हो गये हैं। वह केवल कानून का ही मामला नहीं है। आप कानून पर कितना पैसा खर्च करते जायेंगे। लोग बतलाते हैं कि 30 हजार रुपया रोज खर्च हो रहा है।

पन्द्रह-पन्द्रह हजार पी० ए० सी० के लोग तैनात हैं। इन सब के रहते हुए लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है। बच्चे कल का भविष्य बताते हैं और भारत का भविष्य बताते हैं। उनको इतना अपमानित किया जा रहा है और उनका मन इतना तोड़ा जा रहा है कि मामूली पुलिस का कर्मचारी उनको पीटता है, उनकी नाक रगड़वाता है और लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है। एक दफा मुख्य मंत्री जी ने हस्तक्षेप करने का वादा किया था। माननीय लाल बहादुर सिंह बोल रहे थे कि हम हस्तक्षेप करेंगे। हस्तक्षेप तो मुख्य मंत्री जी का भी नहीं चल पाया। क्या वे इन्कार कर सकते हैं कि उन्होंने वादा किया था कि वे शान्ति स्थापित करवाएंगे, लेकिन उनकी वहां चली नहीं। कालूलाल जी यूनिवर्सिटी के कोष से लोगों को भिजवाते हैं कि केन्द्रीय नेताओं के बीच में उनका प्रचार किया जाए ताकि उनकी जगह बराबर बनी रहे। वे वहां पर यह दावा करते हैं कि हम राजनारायण जी के आदमियों को कुचलकर रख देंगे या हम यह कर देंगे। वह सारा वहां पर मामला चल रहा है। नतीजा यह होता है कि आज कालूलाल जी के सामने मुख्य मंत्री जी विवश हैं। फिर लाल बहादुर जी की कैसे चल पायगी। श्रीमाली जी किसी को चाय पिला देते हैं जैसा दादा जी कहते हैं। तो चाय पिला देने से मामला ठीक नहीं होता है।

माननीय, राज्यपाल महोदय कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी ही बन्द कर देंगे। उनके लिए पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं है। राज्यपाल काउंसिल आफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करेंगे। चाहे वे जो कुछ भी करें आप रोक न लगाएं? आप राज्यपाल पर रोक लगाइये और उनको मर्यादा में रखिये वरना झगड़ा ज्यादा बढ़ेगा। इन तीन बातों के साथ मैं अपनी कटौतियों को पेश करता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी बातों का उत्तर देंगे।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि 5—5 मिनट देंगे, दो-तीन लोग ही रह गये हैं। कहीं बिजली बन्द रही और कहीं बाल योगेश्वर के विषय ने समय ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप समय नष्ट न करें तो शायद समय निकल आवे। एक-एक के लिए हम कोई आश्वासन नहीं दे सकते।

*सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राज बिहारी सिंह)—

माननीय, मैं अपने को बहुत ही सीमित रखूंगा। बेसिक शिक्षा के सिलसिले में और उर्दू की पढ़ाई के सिलसिले में 3—4 महत्वपूर्ण बातें कही गयी हैं। कटौतियों के प्रस्तावों को देखने से ऐसा लगा कि आमूल परिवर्तन और क्रान्तिकारी परिवर्तन के कोई सुझाव नहीं दिये गये हैं। सालिगराम जायसवाल जी ने कहा—मैं माफी चाहता हूं, अनन्तराम जी जायसवाल।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

सीधे-सीधे गाली दे दी––नाम बदल दिया ।

श्री उपाध्यक्ष––

नाम बदलना कोई गाली थोड़े ही है।

श्री राजबिहारी सिंह––

मैंने कभी गाली सीखी नहीं है । मैंने कभी गाली दी नहीं है। मेरे पड़ोसी राजनारायण जी हैं। हो सकता है कोई बात निकल आये वैसे मैं गाली देता नहीं हूं।

अब सबसे बड़ा सवाल था कि हिन्दी और उर्दू––दोनों की पढ़ाई होनी चाहिए। जमाना था जब कि हिन्दी और उर्दू दोनों वर्नाक्यूलर लैंगवेज के नाम से कही जाती थीं। पढ़ाई के 6 घंटों में 4 घंटे सवाल पढ़ाये जाते थे सूद दर सूद, चक्रवृद्धि ब्याज, रोजनामचा, बही खाता आज के जमाने में उन सवालों को क्यों पढ़ाया जाये ? आज बदले हुये जमाने में वह क्यों पढ़ाया जाय। उनको जनरल शिक्षा नहीं दी जाती थी । तो नतीजा यह होता था कि इस सदन के एक माननीय सदस्य रह चुके हैं। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो मैं भी वहां पढ़ता था। उन्होंने पूछा कि वाराणसी से इलाहाबाद तक छोटी और बड़ी लाइनें गंगा को कितनी बार पार करती हैं। तो वाराणसी का रहने वाला यह भी नहीं जानता था कि दोनों लाइनें गंगा जी को कहां कहां पार करती हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

आजकल भी बहुत से पढ़ने वाले यह नहीं जानते हैं कि हेमवतीनन्दन स्त्री हैं या पुरुष हैं।

श्री राजबिहारी सिंह––

तो बच्चे जो पढ़ते हैं वह ज्ञान के लिये पढ़ते हैं। वह उसकी मात्रभाषा में होना चाहिये लेकिन प्रत्येक बच्चा अपनी जीविका उपार्जन क लिये भाषा पढ़ता है। चाहे यहां हिन्दू रहे हों या मुसलमान रहे हों, जिस भाषा में कामकाज चलता था लोग उसी को सीख लेते थे। उर्दू के समय में उर्दू पढ़ी और अंग्रेजी के समय में अंग्रेजी पढ़ी। अब हिन्दी की बात आई तो हिन्दी पढ़ने लगे। गांधी जी की बात कही गई। वह कहते थे कि मात्रभाषा में शिक्षा होना चाहिये । हमारे प्रदेश में उर्दू पढ़ने वालों को कोई दिक्कत नहीं रही है। जो पढ़ना चाहते थे वह 10 लड़के मिल गये और उर्दू पढ़ लेते थे। हमने अब फैसला ले लिया है कि शहर के हर स्कूल में एक उर्दू टीचर रक्खा जाय। उर्दू की दरख्वास्तें आती हैं और उनका जवाब दिया जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि शिक्षा बहुत महंगी है। यह बात सही है कि प्रदेश में आज दो प्रकार की शिक्षा है। जो महापालिका या जिला परिषद् के स्कूल हैं वहां मेज कुर्सी आदि नहीं होते हैं। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वहां के पढ़ने वाले लड़के किसी स्कूल के बच्चों के मुकाबले कम हैं। आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है कि प्राइमरी स्कूल जो देहात में हैं उनकी पढ़ाई काफी अच्छी होती है। वहां के बालक अंग्रेजी को छोड़ कर किसी विषय में दूसरे बालकों से कम नहीं होते हैं। वह लोग खेलकूद म भी अधिक फीस वाले स्कूलों के मुकाबले अच्छे होते हैं।

चौधरी साहब ने कहा कि गांधी जी ने कह दिया कि प्राइमरी शिक्षा स्वावलम्बी होना चाहिये । प्रत्येक स्कूल का खर्च इससे निकलना चाहिये । कोई प्राइमरी स्कूल बिना सरकार की सहायता के स्वावलम्बी हो जाय यह बात असंभव है। गांधी जी का मतलब यह कभी नहीं रहा होगा। उनको आखिरी बार मैंने पटना में सुना था। उनका मतलब यह नहीं था कि प्राइमरी स्कूल अपना व्यय स्कूल से ही निकालें। हम 100 करोड़ के ऊपर प्राइमरी स्कूलों पर व्यय कर रहे हैं। अगर इनको बढ़ा कर 200 या 400 करोड़ भी कर दें तो भी जो शिक्षा विज्ञान आदि की होना

[श्री राज बिहारी सिंह]

चाहिये वह प्राइमरी स्कूलों में देना असंभव बात है। एक बात जरूर है कि बेसिक बोर्ड बनाया गया उसके बारे में बड़ी चर्चा हुई। लेकिन जिसकी पैदायश 6 महीने पहले हुई है उस काम के बारे में कोई नतीजा निकाल देना बड़ा खराब है, मैं उचित नहीं समझता।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यही बताते बताते कि अभी तो साल भर का है, अभी 3 साल का है, यह कहते कहते आजादी के 25 साल में उसे 75 साल से ज्यादा पुराना कर दिया, पहले ही बूढ़ा कर दिया।

श्री राजबिहारी सिंह---

अगर सुनने का कष्ट करें तो उचित होगा। 6 महीने के भीतर प्रदेश के वह जूनियर हाई स्कूल जो जिला परिषद् के मातहत रहते थे जिनके अध्यापकों को 8-8 महीने तक की तनख्वाह नहीं मिलती थी और वह जलूस निकालते थे, अब 6 महीने के भीतर जिला परिषद् का कोई स्कूल ऐसा नहीं बचा है या म्यूनिसिपल बोर्ड का जहां हर महीने 7-8 तारीख तक वेतन न बंट जाता हो। तो सबसे पहली आवश्यकता तो यह थी कि अध्यापकों के लिए ऐसा वातावरण हो जिसमें वह ठीक ढंग से काम करें। किसी एक आध जिला परिषद् में किन्हीं कारणों से वेतन रुका हुआ हो, लेकिन वेतन ठीक ढंग से अब प्रदेश में बंटने लगा है।

बेसिक शिक्षा को अलग करने के बाद हमारा ध्येय यह है कि बच्चों में काम करने की आदत डाली जाय। स्कूलों में हमने बड़ा परिवर्तन किया है। अभी बिजली की जो हड़ताल थी, मैं बलिया गया हुआ था। हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने अपने स्कूल से मोमबत्ती हजार रुपये की बच्चों द्वारा बनवा करके बेचा और कई बड़े सीनियर बेसिक स्कूल हैं। हमको 5 हजार पट्टी की जरूरत है एक जिले में। यह निर्णय हमने किया कि हम बाजारों से नहीं खरीदेंगे, जहां इस प्रकार का काम बच्चों के द्वारा हो रहा है वहां करायेंगे। मैं दावत देता हूं, हमारे बनारस के चौबेपुर स्कूल को देख लें जहां सुतली कातने और टाट बनाने का काम किस प्रकार हो रहा है। वैसे कोई बड़ा भारी परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन उन लड़कों में काम करने की आदत डाल रहे हैं।

अभी हमने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री और खाद्य मंत्री से अनुरोध किया है कि कोई जिला हमको दे दें, कोई सेंटर दे दें जिसमें हमारे बच्चों को गल्ला दे दिया जाय कि वह उनको साफ करें, बनावें और उनको एक-दो क्षेत्र नये दे दिये जायं। मिडिल स्कूल के आस पास जो सड़कें हैं उनमें मिट्टी के काम करने में खर्चा होता है। उनको हम जूनियर हाई स्कूल से ठीक करायेंगे और लड़कों को 2-3 हजार रुपया मिल जायगा जिससे हम उन के लिए अच्छे पट्टी, मेज और बैठने का अच्छा प्रबन्ध कर सकेंगे, उनको अच्छा खाने को दे सकें। तो प्रयास इस तरफ है कि हम ऐसा करें।

एक बात और कहना चाहता हूं---संड जी हंस रहे हैं। यहां पर कुछ अध्यापक कारपोरेशन के, म्यूनिसिपिल बोर्ड के अनशन कर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि जब आप कामरोको प्रस्ताव या दफा 52 पर वक्तव्य लेते हैं, इन अध्यापकों के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गयी कि वह क्या कर रहे हैं, वह कौन लोग हैं, क्यों हैं? मैं इस सदन के माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि पे-कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें सारी चीज होंगी। इस संदर्भ में वह अनशन छोड़ें और अपनी बातों को देख लें।

इन सब बातों के अलावा, एक मित्र ने कहा कि मेरठ के कोई शिक्षाधिकारी हैं जिनका ट्रांस्फर हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ। हमारे यहां सख्त नियम है कि अगर आदेश हो गया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा है कि जिसको आदेश हो गये हैं ट्रांस्फर के, अगर कोई अधिकारी उसके पालन में आनाकानी करता है और लखनऊ दौड़ कर उसको रुकवाने की कोशिश करता है

तो उसके लिए सिवाय मुअत्तली के और कोई चारा नहीं है। अगर ऐसी चीज हुई है कि मेरठ या बिजनौर के कहीं के अधिकारी जिनका ट्रांस्फर हुआ है वह लोग चार्ज नहीं देते हैं और इधर-उधर दौड़ते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

यहां से जो आदेश प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल अध्यापकों के संबंध में जा रहे हैं उसके संबंध में कहिये।

श्री राजबिहारी सिंह—

कहीं-कहीं शासन के पास शिकायत आयी है कि किन्हीं बेसिक अधिकारी का ट्रांस्फर गलत हुए हैं। हमने आदेश दिये हैं कि निदेशक बिना हमारी स्वीकृति के ट्रांस्फर न करें और अगर कोई ट्रांस्फर जनहित में करना ही है तो लिख कर सूचना उनसे ले लें, उसके बाद ट्रांस्फर करें।

श्री रामगोपाल संड–

नर्सरी शिक्षा के बारे में आपकी क्या योजना है इस पर कुछ प्रकाश डाले।

श्री राजबिहारी सिंह–

जहां तक 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की बात है वह सरकार के ऊपर दायित्व है। जहां तक लड़कियों की शिक्षा का सवाल है, लड़कियों की प्रबन्ध समिति बनाइये। दसवें दर्जे तक उनकी फीस यों ही माफ है। जहां तक फ्री प्राइमरी एजूकेशन का सवाल है, यह बड़े विवाद का प्रश्न है। इसी संबंध में एक प्रस्ताव इस सदन के विचाराधीन भी है, वह आयेगा। आज आर्थिक कमी के कारण हम प्राइमरी शिक्षा के स्तर को जो लोग प्राइवेट स्कल चला कर शिक्षा दे रहे हैं उस स्तर तक नहीं ला पा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम प्राइवेट शिक्षा को बन्द कर दें। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं या जो मांटेसरी स्कूल हैं उनके शिक्षकों के बारे में क्या किया जाय क्योंकि यह शिकायत आयी है कि उनको वेतन बहुत कम मिलता है। इस सम्बन्ध में एक शिष्टमंडल मुख्य मंत्री जी से मिला था। उन्होंने आदेश जारी किया है कि इस बात की व्यवस्था की जाय कि जो अध्यापक नर्सरी, जूनियर हाईस्कूल या मान्टेसरी स्कूलों में लगे हुये हैं उनकी नौकरी और वेतन की सुरक्षा हो। इस सिलसिले में जल्द ही हम निर्णय लेने वाले हैं। कोई भी जो जूनियर हाई स्कूल या मान्टेसरी स्कूल चलाता है वह अध्यापकों को क्या वेतन देता है, कितनी फीस लेता है, इसका पूरा-पूरा हिसाब हमको दे। अगर अध्यापकों को ठीक वेतन नहीं देता है तो हम मान्यता देने में कड़ाई करेंगे। लेकिन इसमें आपके सहयोग की जरूरत है क्योंकि जब तक आपका सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक यह काम नहीं हो सकता। हजारों जूनियर हाई स्कूल खुले हुये हैं। उनके पास साधन नहीं हैं लेकिन आप चाहते हैं कि उनको मान्यता दे दी जाय। अगर आपका सहयोग मिल जायगा तो शिक्षा का काम बहुत आगे बढ़ेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय रामकुमार दीक्षित....

श्री मोहनलाल कपूर—

एक स्पष्टीकरण पूछ लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

कुछ टाइम बढ़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो सदन कर सकता है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

15 मिनट तो आप खुद बढ़ा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

उससे काम नहीं चलेगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

हमारी पार्टी के सब से कम लोग बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आज तो सब नेताओं की एक मीटिंग बुलायी है। मुख्य मंत्री भी बैठे हैं। वह कहें तो समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव हो सकता है।

(मुख्य मंत्री खड़े नहीं हुये।)

श्री रामगोपाल संड—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय क्योंकि बीच में बिजली फेल होने के कारण सदन नहीं बैठ सका था।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

समय कतई न बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय बांकेलाल जी का सुझाव बहुत स्वस्थ है।

*श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

मान्यवर, शिक्षा अनुदान पर अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये मैंने कुछ व्यावहारिक बातों की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया था और माननीय शिक्षा मंत्री का भी ध्यान आकर्षित किया था। मुझे खुशी है कि इस चर्चा में भाग लेते हुये हमारे माननीय सदस्यों ने हमारे दृष्टिकोण का समर्थन किया। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रगति की यहां पर चर्चा की जाती है वह संख्यात्मक प्रगति है। स्कूलों की संख्या बढ़ी है, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, शिक्षकों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखना चाहिये। जब इसके गुणात्मक पहलू को हम देखते हैं तो हमें बड़ी निराशा होती है।

माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वयं शिक्षा जगत में रहे हैं और वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमारे यहां शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक प्रगति नहीं हुई है। अगर हम अपनी उपलब्धियों पर ध्यान देते समय उसके गुणात्मक पहलू पर विचार नहीं करेंगे तो जो हमारा उद्देश्य है इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का वह नहीं हो पायेगा। शासन में जो लोग होते हैं वे जब किसी आयोग का गठन करते हैं तब तो बड़े-बड़े सिद्धान्त की चर्चा करते हैं, किन्तु जब वे अपना प्रतिवेदन देते हैं अपना कथन परिश्रम करके अपनी रिपोर्ट देते हैं, तो उस पर विचार नहीं किया जाता। उसके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये अनेकों कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। उन शिक्षा विशारदों का सारा श्रम ही बेकार चला जाता है। इसलिये अगर आप चाहते हैं कि गुणात्मक शिक्षा की प्रगति हो, शिक्षा के माध्यम से बच्चों का चरित्र निर्माण हो, वे अच्छे और योग्य नागरिक बन सकें, वे एक आदर्श नागरिक बनें तो उसके लिये आपको अविलम्ब कुछ करना पड़ेगा। शिक्षा जगत में आवश्यक परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर इसमें आप विलम्ब करेंगे तो निश्चित रूप से आप युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करेंगे। आज इस युवापीढ़ी को सही रास्ता नहीं मिल रहा है, वह चौराहे पर धर-उधर भटक रहा है। उसको सही दिशा दिखाने की जरूरत है। वरना अराजकता का जन्म होगा।

आप देख रहे हैं विश्वविद्यालयों में जो हो रहा है, वाइस-चांसलर का घिराव हो रहा है, विद्यार्थियों के बीच में अलगाव की भावना भड़कायी जा रही है। मैं मांग करूंगा कि इन सब समस्याओं पर विचार करने के लिये एक ऐसी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय जो आज तक जितने भी आयोग बैठे है उनके प्रतिवदनों पर विचार करे और आजकल की बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अपने सुझाव दे, नयी रूपरेखा दे जिसक बार म आप चर्चा करते हैं और केन्द्र के भी मंत्री करते हैं, वहां के शिक्षा मंत्री करते हैं कि हम शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं, वह काम हो सके, यह परमावश्यक काम है।

श्रीमन्, एक बात और सुझाव के रूप में आपसे में कहना चाहता हूं आज जो बढ़ती हुई अनुशासनहीनता है, उसको भी विद्यार्थियों में हम लोगों ने देखा है। मेरा ऐसा मत है, जो आज के स्कूल हैं, जिनमें 8–8 और 10–10 हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनमें छात्र और अध्यापक का सम्पर्क समाप्त हो गया है। अनुशासनहीनता का एक मुख्य कारण यह भी है। जिसका परिणाम यह हुआ है कि छात्र न तो अध्यापक का आदर करता है और वे उस ओर जा नहीं रहे हैं, जिस ओर हम और आप शिक्षा के माध्यम से ले जाना चाहते हैं। इसलिए आप ऐसा नियम बनायें कि एक निश्चित संख्या से अधिक विद्यार्थी एक-एक स्कूल में न पढ़ने पावें, भले ही आपको स्कूलों की सख्या बढ़ानी पड़े। आवश्यकता इस बात की है कि आप इस बात की चेष्टा करें कि सख्या कम हो छात्रों की इन स्कूलों में और यदि सम्भव हो तो इन स्कूलों को आप विकेन्द्रित करें। ये स्कूल-कालेज सारे के सारे शहर में केन्द्रित हो गये हैं, हो रहे हैं, इन्हें आप देहातों में विकेन्द्रित कर दें।

हमारे जो नालन्दा शिक्षा मन्दिर का आदर्श था, पौराणिक आदर्श था उसे आप छात्रों और अध्यापकों को समीप लाकर, उनमें व्यक्तिगत सम्पर्क पैदा करके स्थापित करें। यह परम आवश्यक है। श्रीमन्, मेरा ऐसा मत है और प्रार्थना भी करूंगा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से शिक्षा को राजनीतिक अखाड़ेबाजी से आप बचावें। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप राजनैतिक अखाड़ा बाजी करेंगे, राजनतिक प्रभाव से, दबाव से मान्यता देंगे, प्रमोशन देंगे, तो आप यह उपेक्षा उनसे न करें कि वह उस काम को कर सकेंगे, जिस काम को करने के लिए आपने उनको बनाया है। आपको राजनैतिक दबाव और भाव से दूर रहकर यह सारा काम करना चाहिए। यह मेरा आपके ऊपर स्पष्ट चार्ज है कि जो कमीशन मुकर्रर हुए हैं, जो डाइरक्टर नियुक्त हुए हैं और जो लोगों को एक्सटेंशन दिये गये हैं—55 साल के ऊपर, आप कहेंगे तो उनके नाम भी मैं आपको बता दूंगा, इन सब में राजनैतिक दबाव हैं। अधिक योग्य आदमी को आपने मौका उन्नति का नहीं दिया, जूनियर को मौका दिया और इन पदों पर बिठाया है। यह स्वस्थ परम्परा नहीं है और इसको आप शीघ्र रोकिये।

स्कूलों की क्या केटगरी है, क्या क्षमता है, क्या परीक्षाफल है, कैसी रिपूटेशन है, कैसे साधन हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने विचारणीय होनी चाहिए मान्यता देते समय। यह नहीं कि इसके पीछे कैसा राजनीतिक दबाव है, कितना राजनैतिक प्रभाव है और किस दल का है। यदि ऐसा होता तो आपकी शिक्षा का नाश हो जाएगा और शिक्षा जगत में आप

[श्री रामकुमार दीक्षित]

प्रगति नहीं कर सकेंगे। इस समय जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में यदि आप हमारा सुझाव नहीं सुनना चाहते हैं, हमारे सुझावों पर अमल नहीं करना चाहते हैं, तो आपकी बात हम कब तक सुनते रहेंगे, जिसका परिणाम हमारे सामने आज है। इसलिए इसको आप सोचें, जिससे परिवर्तन लाया जा सकता है, नहीं तो वह वांछित दिशा की ओर नहीं जा सकगी।

मेरा ऐसा विश्वास है। इस देश की शिक्षा पद्धति को बदलने के लिए आपको पौराणिक परम्पराओं पर विचार करना पड़ेगा। भारत के महापुरुषों ने जो मार्ग निर्धारित किया है उस पर विचार करना पड़ेगा, चाहे वह महात्मा गांधी का मार्ग हो, विनोबा भावे का मार्ग हो या महर्षि अरविन्द का मार्ग हो, जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में निर्दिष्ट किया है उस पर विचार करके चलना पड़ेगा। आपके अफसर, अधिकारी उस दिशा की तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं। उन पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है। जब तक आपकी शिक्षा पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित रहेगी उसमें भारतीयता नहीं लायी जा सकती। आपके अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण यह शिक्षा जो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित है उसको समाप्त करके भारतीय ढांचे में ढालना चाहते हों तो उससे निश्चित रूप से जन्म होगा चरित्र का, उससे निकलेगी शान्ति, निश्चित रूप से बनेंगे मनुष्य और इस देश और प्रदेश में और इस देश और प्रदेश का एक अच्छा भावी स्वरूप बन सकेगा। उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस दृष्टि से शिक्षा पद्धति में किस तरह से परिवर्तन करें, विचार करेंगे और इसी तरह से जिस तरह से और असफलताएं हो रही हैं, आपकी नीति से असफल हो रही है यह कटौती का प्रस्ताव हमने पेश किया। आपको इस ग्रान्ट में धन देने की आवश्यकता क्या रहेगी? आप इससे शान्ति, अराजकता फैला रहे हैं। स्कूल खोलने में मेरा कोई विश्वास नहीं है। उससे तो कल्याण होने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ में कटौती का प्रस्ताव फिर पेश करता हूं और चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

समय को बढ़ाना पड़ेगा। 15 मिनट में स्वयं बढ़ा सकता हूं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

तो ठीक है, उसके अन्दर में समाप्त कर लूंगा।

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जो सुझाव शिक्षा के आयव्ययक पर मिले।

माननीय दीक्षित जी ने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय अपने लम्बे भाषण में बहुत सी चीजों पर प्रकाश डाला। मुझे आश्चर्य केवल इतना है कि उनको केवल शिक्षा में कमियां दिखायी पड़ीं। जो उपलब्धियां हैं (व्यवधान)
जरा सुन लीजिये। यह देखने की बात है कि 1950–51 में इस प्रदेश में प्राइमरी एजूकेशन में केवल 28 लाख बालक और बालिकाएं पढ़ते थे। 1972–73 में 72 लाख बालक और 44 लाख बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। 1973–74 में वह 73 लाख, 46 लाख हो जायंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

प्रदेश में निरक्षर कितने लोग हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

जितने साक्षर हैं, उनको निकाल दीजिये बाकी सब निरक्षर हैं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

निरक्षरता अपने आप टूट रही है। उत्तरोत्तर प्रगति की ओर चल रहे है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

निरक्षर लोग बराबर बढ़ रहे हैं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जी नहीं। साक्षर लोग बढ़ रहे हैं। सारक्षरता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

पार्टीशन के पहले जितनी आबादी थी पूरे देश की उतने आदमी खाली देश में निरक्षर हैं, उसी के अनुपात में आपके सूबे में है, और शायद ज्यादा।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह निश्चित है कि पंचवर्षीय योजना में हम अपती प्राइमरी एजूकेशन प्रायः हर बालक को सुलभ कर सकेंगे, शतप्रतिशत शिक्षित कर सकेंगे। यह हमारा निश्चय है। इसके लिए हम तेजी से बढ़ रहे हैं। माननीय सदस्यों ने कहा कि 81 करोड़ रुपये का प्राविजन में 15 हजार स्कूल बनाएंगे। तेजी से बना रहे हैं। इस वर्ष दो हजार विद्यालय बनाएंगे। इस पंचवर्षीय योजना में 15 हजार विद्यालय निश्चितरूप से बनाएंगे।

माननीय संड जी ने बहुत सी चीजों पर अपने विचार प्रकट किये। वर्तमान शासन ने यह निश्चय किया है कि हम हायर सैकेंडरी शिक्षा को टेक-अप करेंगे, उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे लेकिन यह खिलवाड़ नहीं है। लेकिन एक निश्चय हम ले लें उस पर बहुत सी बातों को सोचना पड़ता है। आज एक दम हम उठा लें और कल संड जी इन्कलाब जिन्दाबाद शुरू कर दें। लिहाजा हमको ऐसा स्वरूप लाना है जिससे प्रदेश की शिक्षा को क्षति न पहुंचे और किसी की सेवाओं को नजरन्दाज न किया जा सके। बड़ौरी जी ने जैसा कहा उच्च शिक्षा के लिये जो पिछड़े क्षेत्र हैं चाहे उत्तराखंड हो, टेहरी-गढ़वाल हो अथवा बुन्देलखंड हो उनकी अवहेलना ठीक नहीं है। हम वहां विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल वहां हैं ही और इस बात का प्रयास है कि हम वहां अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार कर सकें।

श्री राम गोपाल संड—

55 लाख रुपया इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय पर है उस पर भी आप प्रकाश डाल दें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

विश्व विद्यालय मनमाना खर्च करते हैं और अपनी स्वायत्तता का गलत इस्तेमाल करते हैं और शासन उसको भुगतता है और किसी न किसी रूप में उसको पूरा करता है। यह कहा गया कि अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता बन्द की जाय। हाई स्कूल तथा इंटर तक अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है। जूनियर हाई स्कूल में त्रिभाषा फारमूले में उसका पढ़ाया जाना किसी के लिये बाध्य नहीं है। माननीय सदस्य जो चाहते है उसको हम पहले ही कर चुके है। परीक्षा प्रणाली के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा यह ऐसा प्रश्न है कि अकेला प्रदेश उस पर कदम नहीं उठा सकता। जो विद्यार्थी निकलेंगे उनको विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश करना है, कम्पटीशंस में बैठना है लिहाजा यह केन्द्र से सम्बन्धित विषय है और केन्द्र इस पर शीघ्रता से विचार कर रहा है कि सारे देश की परीक्षा प्रणाली एक हो।

श्री रामगोपाल संड—

10 वीं दर्जा पास लड़के को केन्द्र नौकरी देता है लेकिन आप नहीं देते तो 10 वीं कक्षा की परीक्षा ही क्यों लेते हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैंने भाषण जिस दिन किया था शिक्षा पर उस समय भी कहा था कि इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है कि 12 वीं कक्षा हमारा टर्मिनल प्वाइंट हो और उसको इस शक्ल में मान लिया जाय कि वह किसी भी नौकरी तथा किसी भी कार्य में जा सके ।

श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)—

अपने प्रदेश में गरीबों के बच्चों को तथा हरिजन बच्चे की हाई स्कूल तथा इंटर की शिक्षा निःशुल्क करने की आप व्यवस्था करेंगे ताकि हरिजन ईमानदारी से शिक्षा ले सकें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

हरिजनों की निःशुल्क शिक्षा है । लड़कियों की निःशुल्क शिक्षा है ।

श्री रामगोपाल संड—

हरिजनों को तो आप एम० ए० तक निःशुल्क शिक्षा देते हैं । क्या बेकवर्ड क्लासेज को भी दीजियेगा जैसे यादव, पटेल आदि हैं !

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

वह आप कर दीजियेगा ।

श्री रामवचन यादव—

मेरा सवाल यही था जैसे नाऊ, धोबी हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दीजियेगा ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैंने अभी बता तो दिया ।

श्री बांकेलाल—

क्या हाई स्कूल तथा इंटर की फ्री कम्पलसरी एजूकेशन आप करने जा रहे हैं !

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसके लिये उनकी पार्टी के एक कर्मठ सदस्य हैं जो बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं वही इसको भी कर देंगे। मुझे आशा है कि मेरे इन शब्दों के साथ भी श्री अनन्तराम जी जायसवाल अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लेंगे। और इस को वापस लेकर खुशी-खुशी स्वीकृति देने की कृपा करें ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, मंत्री का तो एक-डेढ़ घंटे का भाषण होना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18 शिक्षा के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18—शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,38,32,68,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

*श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनाये मिली हैं । पहली श्री राम बिलास पांडेय जी की हैं जिसमें राज्यपाल के आगमन पर मऊ में बिजली का दुरुपयोग । यह राज्यपाल से संबंधित है इसलिये स्वीकार नहीं ।

*श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, राज्यपाल के बारे में नहीं है । शर्मिला टैगोर, नरगिस आदि सिनेमा स्टार्स के नाम पर, काफी भीड़ इकट्ठी की जाय और बेतहाशा बिजली वहां पर खर्च की जाय । वहां के लोगों ने एक मांग पत्र दिया है जिसमें कि इन सिनेमा स्टार्स को उद्घाटन पर बुलाया गया था । मान्यवर इस मांग पत्र में लिखा है कि प्रदेश के कोने-कोने में भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, बेकारी, महंगाई, तथा भुखमरी, कराह रही है बिजली की कटौती से..... (व्यवधान) मान्यवर, आज ही सबेरे यहां पर एक प्रश्न उठाया गया था कि एक अस्पताल में बिजली के न मिलने के कारण एक लड़के की मृत्यु हो गई लेकिन 15 मिनट के लिये भी उस अस्पताल को बिजली नहीं दी गई । एक तरफ तो बिजली का यह हाल हो और दूसरी तरफ बिजली से चकाचौंध कर दिया जाय यह ठीक नहीं है । मान्यवर, मऊ में शर्मिला टैगोर और नरगिस आदि के लिये इतना इन्तजाम किया जाय और गवर्नर महोदय उनके मुशायरे का उद्घाटन करने जायं..... (व्यवधान) किसान को आज पानी नहीं मिल रहा है, वह कराह रहा है । मैं चाहता हूं इस पर चर्चा हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

राज्यपाल के सम्बन्ध में आप चर्चा नहीं कर सकते । नियमों में है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा किसी न्यायालय के आचरण में आक्षेप नहीं करेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

राज्यपाल तो एक कारण है । वह तो बिजली के मिसयूज के बारे में था ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें । दूसरा सर्वश्री चन्द्रमोहनसिंह नेगी, बंशीधर पांडेय, राम बिलास पाण्डेय तथा सुरेन्द्र विक्रमसिंह का है जिसमें कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न किया जा सकता है । तीसरा श्री शम्भूनाथ चौधरी आदि माननीय सदस्यों का, कि उत्तर प्रदेशीय नगरपालिका संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनशन। इसमें भी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न किया जा सकता है। चौथा श्री सुरेन्द्रविक्रम सिंह तथा अन्य लोगों का है शाहजहांपुर में पुलिस की साजिश से गुन्डों द्वारा गवर्नमेंट इन्टर कालेज के इनविजिटरों पर घातक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री उपाध्यक्ष]

हुमला—इसमें भी अल्पसूचित प्रश्न किया जा सकता है। एक श्री नित्यानन्द स्वामी का है—विद्युत् बाधा से लखनऊ में जल वितरण में गंभीर संकट, यह भी अस्वीकार किया गया है। अन्त में श्री त्रिलोकचन्द्र आदि माननीय सदस्यों का है जिसमें उन्होंने शारदा नहर के निर्माण के कारण बाराबंकी जिले के तहसील फतेहपुर तथा रामसनेही घाट के गांवों के किसानों को क्षति, के बारे में कहा है। यह भी अस्वीकार किया गया है।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बज कर 10 मिनट पर अगले दिन को 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊः

2 अप्रैल, 1973।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 251 पर)

उत्तर

ओबरा ताप विद्युत गृह की विभिन्न इकाइयों को कोयला पीसने वाली मिलों में उनके आगे लिखी तिथियों को विस्फोट हुए ।

क्रमांक	दिनांक	इकाई नं0	सिस्टम	विवरण (विस्फोट की संख्या)
1	19-11-72	दो	ए	एक बार
2	21-11-72	दो	बी	,,
3	28-11-72	पांच	बी	,,
4	30-11-72	पांच	बी	दो बार
5	30-11-72	चार	ए	एक बार
6	30-11-72	एक	बी	,,
7	30-11-72	दो	ए	,,
8	6-12-72	पांच	बी	,,
9	21-12-72	पांच	बी	,,
10	1-1-73	पांच	बी	,,
11	6-1-73	पांच	बी	,,
12	27-2-73	दो	ए	,,

विस्फोटों की कुल संख्या 13 नं0

1—उपरोक्त विस्फो गौरवो खान का कोयला प्रयोग करने पर हुए है । जब-जब जिस इकाई में उक्त खान का कोयला प्रयोग किया गया तब-तब विस्फोट हुए। इसके निम्न दो कारणों की सम्भावना प्रगति होती है ।

(अ) कोयले के साथ किसी बाहरी (Extraneous) विस्फोटक पदार्थ का उपस्थित होना ।

(ब) कोयले के अन्दर ही किसी (inherent) विस्फोटक पदार्थ का होना। परन्तु उपरोक्त के बारे में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि किस कारण विशेष से विस्फोट हुए हैं।

2—19-11-72 से 27-2-73 तक कुल 13 विस्फोट हुए हैं । प्रश्नावली में 1-1-73 तक पूछे गए विस्फोटों की संख्या ग्यारह है।

3—(अ) विद्युत के उत्पादन की क्षति जो विस्फोटों के कारण हुई है वह लगभग 16.450 मिलियन यूनिट है ।

(ब) क्षति ग्रस्त उपकरणों को मरम्मत में लगभग 20 हजार रुपया खर्च आ चुका है। इस खर्च में प्रयोग हुए सामान तथा लेबर की कास्ट सम्मिलित है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 266—267 पर)

अन्य पिछड़ी जातियों की सूची जिन्हें हरिजन सहायक विभाग की शैक्षिक योजना के अन्तर्गत सुविधायें दी जाती हैं।

हिन्दू

1—अहीर
2—अरख
3—बंजारा
4—बढ़ई
5—बारी
6—बैरागी
7—भर
8—भोटिया
9—भुर्जी या भंड़भूंजा
10—बिंद
11—छीपी
12—दर्जी
13—धोबर
14—गड़ेरिया
15—गोसाई
16—गूंजर
17—हलवाई
18—जोगी
19—काछी
20—कहार
21—केवट या मल्लाह
22—किसान
23—कोइरी
24—कोरी (आगरा, मेरठ और रुहेलखंड डिवीजन में)
25—कुम्हार
26—कुर्मी
27—लोध
28—लोहार
29—लोनिया
30—माली
31—मनिहार
32—नुनिया या मुराई
33—नाई
34—नायक
35—सोनार
36—चमोली
37—तेली

मुस्लिम

1—भठियारा
2—बढ़ई
3—बिसाती (कस्साब)
4—दर्जी
5—डफाली
6—फकीर
7—गद्दी
8—हज्जाम (नाई)
9—सोजा
10—कसगर
11—कुजड़ा
12—किसान
13—मनिहार
14—मिरासी
15—मोमिन (अंसार)
16—मुस्लिम कायस्थ
17—रद्दाफ (धुनिया)
18—तवकान
19—नट
20—रंगरेज
21—स्वीपर

नोटः—कुमायूं डिवीजन में मारछा, नायक, गिरि और पिछड़े मसलमान भी पिछड़ी जातियों में ही माने जायेंगे।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 271 पर)

कानपुर जिले देहात एवं नगर क्षेत्र को दी जाने वाली मासिक लेवी चीनी की मात्रा का विवरण

महीना	जिले का कोटा	देहात का कोटा	नगर क्षेत्र का कोटा
	बोरी	बोरी	बोरी
1 --जनवरी, 1972	13,500	2,333	11,167
2--फरवरी, ,,	13,500	2,812	10,688
3--मार्च, ,,	15,280	2,814	12,466
4--अप्रैल, ,,	15,450	2,784	12,666
5--मई ,,	15,400	2,383	13,017
6--जून ,,	15,430	2,299	13,131
7--जुलाई ,,	15,316	2,524	12,792
8--अगस्त ,,	15,250	2,808	12,442
9--सितम्बर ,,	14,829	2,808	12,021
10--अक्टूबर ,,	16,130	2,808	13,322
11--नवम्बर ,,	23,910	2,808	21,102
12--दिसम्बर ,,	15,863	2,414	13,449
13--जनवरी, 1973	17,484	2,420	15,064
14--फरवरी, ,,	14,640	2,378	12,262

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 374 पर)

संलग्नक

खाद्य तथा रसद विभाग में क्षेत्रीय हाट अधिकारी, उप क्षेत्रीय हाट अधिकारी, ज्येष्ठ हाट निरीक्षक तथा हाट निरीक्षक के कुल पदों तथा उनमें से अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की संख्या पूर्व वर्ष के अन्त तक निम्न प्रकार थी:—

पदनाम	कुल पद	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या जो होनी चाहिये थी	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या
1—क्षेत्रीय हाट अधिकारी	5	—	—
2—उप क्षेत्रीय हाट अधिकारी	36	—	—
3—ज्येष्ठ हाट निरीक्षक	283	26	13
4—हाट निरीक्षक	540	48	49

2—इसके अतिरिक्त गेहूं के थोक व्यापार को शासन द्वारा अपने हाथ में लिये जाने की योजना के अन्तर्गत अभी हाल में उक्त वर्ग के निम्नलिखित पद और स्वीकृत हुये हैं:—

1—क्षेत्रीय हाट अधिकारी	..	..	6
2—उप क्षेत्रीय हाट अधिकारी	..	..	26
3—ज्येष्ठ हाट निरीक्षक	..	..	743
4—हाट निरीक्षक	..	..	1,758

चूंकि इन पदों पर नियुक्ति संबंधी कार्यवाही अभी जारी है अतएव इन पदों पर अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व बताया जाना सम्भव नहीं है ।

3—पैरा 1 में उल्लिखित पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति निम्न प्रकार है । क्षेत्रीय हाट अधिकारी तथा उप क्षेत्रीय हाट अधिकारी के पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं अतएव इन पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इन पदों पर पदोन्नतियां अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर की जाती हैं । ज्येष्ठ हाट निरीक्षक तथा हाट निरीक्षक के 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं । इन पदों पर भी अनुसूचित जाति का आरक्षण केवल सीधी भर्ती में होता है । 1967 में सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर के पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा 73 अभ्यर्थी चुने गये थे जिनमें 12 अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के थ । इन 12 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी किये गये थे जिन में से केवल 9 अभ्यर्थियों ने कार्यभार सम्भाला । ज्येष्ठ हाट निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिये आयोग को फिर प्रस्ताव भेजा जा चुका है । इन पदों पर निर्धारित कोटे के अनुसार आयोग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी देंगे, यदि वे उपलब्ध हुये । परन्तु वर्तमान स्थिति यह है कि ज्येष्ठ हाट निरीक्षक के पद पर अनुसूचित जाति का आरक्षित कोटा पूरा नहीं है । इसके मुख्य कारण दो हैं—एक तो यह कि इस पद पर नियुक्ति हेतु जितने अभ्यर्थी आयोग द्वारा चुने गये थे उनमें से तीन ने कार्यभार नहीं सम्भाला और दूसरा कारण यह है कि रिक्तियां उपलब्ध होने पर कार्य की अविलम्बता (अर्जेंसी) को देखते हुये उन्हें तदर्थ आधार पर प्रोन्नति द्वारा भर दिया जाता है और ऐसी नियुक्तियां ज्येष्ठता, अनुपयुक्त को छोड़कर, के आधार पर की जाती है । जैसे जैसे लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध होते जायेंगे, वैसे-वैसे तदर्थ प्रोन्नतियां समाप्त कर दी जायेंगी ।

4—हाट निरीक्षक के पद पर अनसूचित जाति के अभ्यर्थियों का कोटा पूरा है ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 58 का उत्तर पीछे पृष्ठ 284 पर)

एटा डिवीजन के सब डिवीजन कासगंज में 1 दिसम्बर, 72 से 15 जनवरी, 73 तक जले हुये ट्रांसफार्मर की सूचना ।

क्र0 सं0	स्थान का नाम जहां ट्रांसफार्मर जला	कारण जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर जला
1	श्री गंगी, ग्राम---अगौली	वार्ड फोल्ट के कारण
2	श्री सुरेश चन्द्र, ग्राम---नमैनी	ओवर लोड के कारण
3	श्री मौहरसिंह, ग्राम---कयामगुर	तार टूटने के कारण
4	श्री रामचरन, ग्राम---नगला लोधी	ओवर लोड के कारण
5	श्री वृजपाल सिंह, ग्राम–जखेरा जोरी	टी0 पी0 एम0 ओ0 का ठीक प्रकार से न लगाना ।
6	श्री गेंदालाल, ग्राम---श्योराई	एल0 टी0 लाइन का शार्ट हो जाना
7	श्री राम रक्षपाल, ग्राम---विलराम	केविल जलने के कारण

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 69 का उत्तर पीछे पृष्ठ 288 पर)

सूची ईंट भट्ठा मालिकों की जो जौनपुर जनपद में 1967 से 28-2-73 तक बिना लाइसेंस भट्ठा चलाते हुए पकड़े गये और जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई।

क्र0सं0	नाम मालिक भट्ठा	स्थान	कब पकड़े गये	क्या कार्यवाही हुई
1	2	3	4	5
1	श्री गोपी मल पुत्र खेमा मल, 53 डी लक्सा, वाराणसी	भलुवाही	19-2-68	जुर्माना गोपीमल रु0 400
2	श्री रामदेव पुत्र साधो, सई जलालपुर, थाना जलालपुर, जौनपुर	सईजलालपुर थाना	19-2-68	जुर्माना रामदेव रु0 200
3	श्री पुरुषोत्तम लाल	बदलापुर	19-2-68	50 रु0 जुर्माना हुआ
4	श्री सीताराम पुत्र श्यामलाल, ग्राम गोधना, थाना कोतवाली, जिला जौनपुर।	गोधना	19-2-68	500 रु0 जुर्माना हुआ
5	श्री चानिका सिंह पुत्र श्री गगरू सिंह, कादीपुर, थाना जलालपुर, जौनपुर	कादीपुर	20-2-70	5-10-70 को कोर्ट से 50 रु0 चुर्माना किया गया।
6	श्री मोहन सिंह पुत्र मगरु सिंह, सा0 कादीपुर, थाना जलालपुर, जौनपुर	कादीपुर	7-3-70	21-8-70 को एस0 डी0 एम0 केराकत द्वारा 60 रु0 जुर्माना हुआ।
7	श्री बिजई सिंह पुत्र श्री सहदेव सिंह, मकरा, जलालपुर, जि0 जौनपुर	मकरा	13-3-70	जुर्माना हुआ-- 1--विजई सिंह पर 25 रु0 2--जद्दू पुत्र सरजू 25 रु0 3--श्यामा पुत्र अंगन 25 रु0 4--राजदेव पुत्र सत्य नारायन 25 रु0
8	श्री पन्नालाल मिठाईलाल मेवालाल, पुत्र राजनाथ, बेनीपुर थाना नेवढ़िया, तहसील मड़ियाहूं, जौनपुर	केशवपुर	8-4-70	तीनों अभियुक्तों पर कोर्ट द्वारा 100 रु0 प्रति अभियुक्त जुर्माना किया गया।
9	श्री कामता प्रसाद सिंह पुत्र श्री हरिशरण सिंह सा0 बबुरा चितोड़ी, जौनपुर	फत्तूपुर, थाना बदलापुर	5-6-68	टेकनीकल त्रुटियों के कारण जिलाधीश महोदय ने चेतावनी देकर बिना लाइसन्स भट्ठा न चलाने का आदेश दिनांक 4-7-68 को पास किया।

1	2	3	4	5
10	श्री रामदास मौर्य, गजना थाना जफराबाद, जौनपुर	गजना	27–6–68	21–3–69 को एस0 डी0 एम0 सदर द्वारा छोड़ दिया गया।
11	श्री सुमन्त दुबे पुत्र श्री सीताराम दुबे, लदुका थाना–बदलापुर, जि0 जौनपुर	लेदुका	13–6–68	एस0 डी0 एम0 मड़ियाहूं के यहां ट्रांसफार हुआ। कार्यवाही पेंडिग है।
12	श्री शमशेर बहादुर सिंह राजेन्द्रनाथ सिंह, रामदासपुर जौनपुर	रामदासपुर	9–1–69	9–6–70 ई0 को चार्जशीट कोर्ट में भेज दी गई कोर्ट में प्रोसीडिंग पेन्डिग है।
13	श्री सीताराम लालप्रताप, परऊपुर, बादशाहपुर, जौनपुर	परऊपुर	8–10–67	कोर्ट में पेंडिंग है।
14	श्री चन्द्रिका सिंह पुत्र मोहन सिंह रामपुर के राकत, जौनपुर	रामपुर	21–3–70	पुलिस की जांच चल रही है।
15	श्री जयश्री यादव, शिकारपुर, थाना–सरायखाजा, जौनपुर	शिकारपुर	8–3–72	पुलिस जांच म है।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 289 पर)

रायबरेली जवेपव के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु तीन लाइनें बनाई जा रही हैं।

पहली लाईन ऊंचाहार से रोहनियां तक बनाई जा रही है जिससे विकई तथा बमनपुर ग्रामों के जैसे-जैसे नलकूप बनते रहेंगे बिजली पहुंचती जायगी।

दूसरी लाइन रसूलपुर से बेहरामऊ तक बनाई जा रही है जिससे ग्राम इटौली एवं बेहरा मऊ में बिजली पहुंचायी जा सकेगी।

इसी प्रकार तीसरी लाईन ऊंचाहार से निगोहा तक बनाई जा रही है जिससे ग्राम पुबारा, सलेमपुरा भैरों, आवाजहनियां, माधवपुर, हरिहरपुर, निगोहा तथा शकरुल्लापुर का विद्युतीकरण किया जा सकेगा।

शेष ग्रामों में बिजली पहुंचने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 290 पर)

सूची

क्र0 सं0	व्यापारियों का नाम तथा पता	कुल बकाया
1	2	3
		रु0
1	सर्वश्री भोजपुर ब्रिक वर्क्स, भोजपुर	8,976.71
2	श्री राष्ट्रीय भट्ठा, ठाकुर द्वारा	342.50
3	रामपुर ब्रिक वर्क्स, नियर टांडा मंडी ब्रांस	8,950.34
4	गुप्ता ब्रिक वर्क्स ग्राम डिलियादान, पो0 भानपुर, मुरादाबाद ..	3,418.56
5	गुड लक ब्रिक वर्क्स, हेड आफिस दिनदार पुरा ..	2,060.00
6	विश्वामित्र याद राम भट्ठेवाले, पाक बाड़ा मुरादाबाद ..	2,237.06
7	सरकंडा ब्रिक वर्क्स, चौरसिया, मुरादाबाद	1,999.51
8	एस0 सी0 ब्रिक वर्क्स, भट्ठा भिलारी	1,400.00
9	सोमपाल एण्ड कं0, बी0 के0 ओ0 ग्राम–जयन्तपुर, मुरादाबाद	949.00
10	जन ब्रिक फैक्ट्री, बगानपुर	554.87
11	जयभारत भट्ठा कं0, ठाकुरद्वारा	1,111.03
12	अब्दुल रशीद मो0 रफीक ग्राम इमादुलमिलक, संभल ..	12,162.90
13	सुन्दर लाल भीमानन्द, भट्ठा फलेई नगला संभल ..	54,600.00
14	सुरेश कुमार पुत्र सुन्दर लाल, ग्राम कालपरी, त0 संभल ..	52,500.00
15	राजपाल सिंह, भट्ठा रहटौल, त0 संभल ..	37,190.00
16	मेहरोत्रा ब्रिक वर्क्स, मुरादाबाद	1,179.73
17	हिन्दुस्तान ब्रिक वर्क्स, ग्राम हुसैनपुर, चन्दौसी रोड, मुरादाबाद	10,100.00
18	पन्नालाल गुप्ता बी0 के0 ओ0 कुड़ी, जहांगीरपुर, मुरादाबाद ..	4,084.32
19	मो0 मोमिन अब्दुल लतीफ ग्रा0 तख्त गोसाई, मुरादाबाद ..	20,801.89
20	बीरेन्द्र कुमार, भट्ठा हरथला	32,914.77
21	शराफत हुसैन कमालुद्दीन, भीमासराय, संभल	9,323.52
22	सगीर अहमद अतीकुल इस्लाम, दीपा सराय, संभल ..	3,321.20
23	सखीउल्ला, कोटवेस्ट, संभल	936.85
24	राम सरन गुप्ता एण्ड संस ठेर संभल	10,662.94
25	रसई अहमद मु0 अनीस, तख्त गुसाई सभल	6,272.86
26	रियाजुद्दीन ब्रिक वर्क्स ग्राम मुजफ्फरपुर त0 संभल ..	9,070.08
27	काजीपुरा ब्रिक वर्क्स, काजीपुरा	22,360.39
28	कुन्दन शुगर मिल बी0 के0 ओ0 अमरोहा ..	1,670.73

1	2	3
29	खिदमतपुर ब्रिक वर्क्स, अमरोहा	1,947.52
30	कैलाश कुमार गुप्ता बी0 के0 ओ0, धनौरा ..	600.00
31	जै हिन्द ब्रिक वर्क्स, अमरोहा	3,050.20
32	ज्योती प्रसाद होशराम सिंह, बी0 के0 ओ0, अमरोहा ..	3,480.75
33	जनता भट्टा प्रो0 बाबू सिंह, ग्राम रजोहा स0 हसनपुर ..	8,400.00
34	नेशनल ब्रिक वर्क्स बादशाहपुर त0 अमरोहा	4,984.73
35	ग्राम पंचायत भट्ठा संचालक समिति, ग्राम शहबाजपुर, धनौरा ..	19,800.67
36	गोपी चन्द लोहिया, मुरादाबाद	11,160.00
37	गंगा सहाय भट्ठा, गंगेश्वरी	2,450.00
38	गुप्ता ब्रिक किलन, अमरोहा	9,909.77
39	नजीर अहमद मो0 इब्राहीम, हसनपुर	2,575.06
40	नन्द किशोर राधेश्याम, बी0 के0 ओ0, अमरोहा . ..	11,000.00
41	यासीन ब्रदर्स, अमरोहा	24,665.65
42	राम प्रकाश भट्ठा उझारी, हसनपुर	1,005.28
43	हिन्द भट्ठा हसनपुर	1,759.00
44	राम नाथ ओम नाथ, हसनपुर	3,720.00
45	राम औतार हंसराज, अमरोहा	22,497.94
46	हिन्द ब्रिक वर्क्स, धनौरा	11,090.00
47	राम कृपाल भट्ठा, धनौरा	831.95
48	राम चरन दास प्रेम नाथ भट्ठा, गजरौला	8,331.15
49	हसन अली एण्ड ब्रदर्स, हसनपुर	1,500.00
50	अमरोहा ब्रिक वर्क्स	1,820.00
51	अब्दुल रहमान एण्ड कं0, हसनपुर	1,363.00
52	अशोक कुमार एड ब्रदर्स, अमरोहा	940.00
53	चौधरीब्रिक वर्क्स, हसनपुर	1,088.00
54	विश्वा मित्र तिलकराज, अमरोहा	1,452.00
55	इंडिया ब्रिक वर्क्स, कांठ	2,100.00
56	मुश्ताक हुसैन, हसनपुर	200.00
57	महोब अली एण्ड सन्स, अमरोहा	6,348.00
58	मो0 हनीफ एण्ड ब्रदर्स, अमरोहा	6,562.00
59	महाराज किसान एण्ड संस, अमरोहा	1,050.00
60	मो0 इलयाज एण्ड संस, हसनपुर	700.00
61	लाल सिंह बाबूराम, बी0 के0 ओ0, हसनपुर	2,073.00
62	प्रकाशवती, बी0 के0 ओ0 उझारी	11,570.93
63	प्रसादी सिंह दलपत सिंह, बी0 के0 ओ0 पीठ खेड़ा, हसनपुर ..	1,008.00
64	जुलफिकार अहमद एण्ड संस, बी0 के0 ओ0, अमरोहा ..	10,304.49
	योग ..	5,41,490.85

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 290 पर)

क्र0 स0	व्यापारी/फर्म का नाम जिन पर 3 वर्षों से बिक्रीकर का बकाया है	बकाया की धनराशि	बकाया न वसूल होने का कारण एवं वसूली के लिए की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1	सर्वश्री श्याम लाल बृजलाल	53,496	व्यापार समाप्त हो गया संयुक्त जांच जारी ।
2	सौवामल मन्नी लाल बजाज	42,081	व्यापार समाप्त हो गया मकान नीलाम हुआ ।
3	श्याम मोहन ब्रदर्स	64,428	संयुक्त जांच टीम द्वारा वसूली की कार्यवाही जारी ।
4	कामना प्रा0 लि0	46,784	संयुक्त जांच होना है ।
5	गोविन्द राम तनसुख राय	1,65,528	जे0 आर0 द्वारा स्टे
6	भगवत सरन ओम प्रकाश	40,109	व्यापार समाप्त
7	अग्रवाल एण्ड क0	66,988	12 हजार रु0 की छमाही किस्तों पर वसूली हो रही है ।
8	सघन इंजीनियरिंग समिति, प्रा0 लि0	29,456	फर्म समाप्त, जांच की कार्यवाही जारी।
9	दुर्गा प्रसाद नन्हें मल	27,790	स्टे जे0 आर0 द्वारा
10	ऊधौ सिंह दान सिंह	46,120	व्यापार समाप्त जांच की कार्यवाही जारी ।
11	राधे लाल जगदीश प्रसाद	95,188	जे0 आर0 द्वारा स्टे
12	कैफर एलाइड प्रो0	1,91,821	,,
13	इंडियन रोजिन एण्ड टरपेन्इटाइन फै0	42,501	अति0 जे0 आर0 द्वारा स्टे
14	कैलाश नरायन काली बाड़ा	61,413	वसूली प्रमाणपत्र जारी, वसूली की कार्यवाही हो रही है ।
15	इन्डस्ट्रियल हिन्द लीफर्स टाकीज	2,07,434	उच्च न्याय0 द्वारा स्थगित
16	वेस्टर्न इंडिया मैच क0	61,000	अति0 जे0 आर0 द्वारा स्टे
17	ओम प्रकाश राकेश कुमार	26,000	वसली की कार्यवाही जारी
18	जगतपुर ब्रिक वर्क्स	32,263	वसूली की कार्यवाही जारी
19	ज्वाइन्ट डाइरेक्टर आफ इंड0	68,874	राजकीय विभाग, पत्र व्यवहार हो रहा है ।
20	डी0 सी0 विमानी एण्ड ब्रदर्स	81,322	वसूली की कार्यवाही हो रही है।

1	2	3	4
21	कंजर वेटर आफ फारेस्ट, लागिंग डि0	26,075	राजकीय विभाग पत्र व्यवहार हो रहा है ।
22	मुरलीधर शिवकुमार	30,750	वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।
23	वीना ग्लास एण्ड सिलीकेट वर्क्स	36,694	वसूली प्रमाणपत्र जारी । जिला कलेक्टर द्वारा वसूली की कार्यवाही हो रही है ।
24	संतोश शुगर वर्क्स, पुरानी माचिस फै0	26,809	,,
25	बिहारी लाल भगवत सरन	42,000	,,
26	साधू सिंह महेन्द्र सिंह	28,692	,,
27	अशोक दाल एण्ड राइस मिल	1,49,880	,,
28	मुन्नालाल चतुर्भुज, बरेली	56,061	,,
29	लक्ष्मी नरायन अग्रवाल	56,197	,,
30	गन्दा लाल बीरेन्द्र कुमार	37,260	,,
31	टी0 ठाकुर दास आयल मिल	25,460	,,
32	टीकाराम राम प्रसाद	92,347	,,
33	राम निवास कृष्णा अवतार	98,600	,,
34	यू0 राज सरन राजेन्द्र कुमार	46,500	,,
35	राम रिखपाल कृष्ण अवतार	25,900	,,
36	पंकज कुमार प्रवीन कुमार	1,48,150	,,
37	रघुनन्दन प्रसाद मोहन लाल	1,02,723	,,
38	जगदीश प्रसाद राजेन्द्र कुमार	1,12,410	,,
39	उमेश कुमार नन्द लाल	61,750	,,
40	राम भजन लाल गुप्ता	1,22,659	,,
	योग	27,78,513	

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 292 पर)

माह	फर्म का नाम	संख्या	दर	संख्या	दर
		(प्रति ब्रैकिट)		(प्रति ब्रैकिट)	
जनवरी, 1970	मेसर्स राज इंजीनियरिंग वर्क्स, वाराणसी	360	54–50	—	—
	मेसर्स बादल ब्रदर्स, वाराणसी	590	54–50	—	—
फरवरी, 1970	मेसर्स राकिटिंडग कारपोरेशन, इलाहाबाद	515	54–50	140	68–80
	मेसर्स आर0 सी0 मेहरोत्रा, वाराणसी	360	56–75	—	—
	मेसर्स इंडियन ट्रेडर्स, वाराणसी	—	—	150	68–80
मार्च, 1970	मेसर्स आर0 सी0 मेहरोत्रा, वाराणसी	350	56–75	—	—
	मेसर्स मार्डन इंजीनियरिंग सैन्डोकेट, वाराणसी	175	56–75	140	68–80
	मेसर्स रीव ट्रेडिंग कारपोरेशन, इलाहाबाद	175	56–75	290	68–80
	मेसर्स इंडियन ट्रेडर्स, वाराणसी	—	—	140	68–80
		2525		+860 = (3385)	

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृ० 295 प्रेस पर)

उत्तर प्रदेश कृषि उधार विधेयक, 1973

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

बैंकों तथा अन्य संस्थागत उधार अभिकरणों के माध्यम से कृषि और उत्पादन विकास के निमित्त उधार की गति को पर्याप्त एवं सुगम बनाने तथा उससे सम्बन्धित अथवा उससे आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारंभ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करे ।

परिभाषायें

2—जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:—

(क) "कृषि" तथा "कृषि प्रयोजन" में भूमि को खेती के योग्य बनाना, खेती करना, भूमि-सुधार जिसमें सिंचाई के स्रोतों का विकास करना, फसलों को उगाना तथा उनकी कटाई करना भी सम्मिलित है, उद्यान-कृषि वन-विज्ञान, पशु-प्रजनन, पशु-पालन, दुग्ध-उद्योग, शूकर-पालन, कुक्कुट-पालन, बीज-कृषि, मत्स्य-पालन, मधुपक्खी-पालन, रेशम-उत्पादन, तथा ऐसे अन्य क्रिया-कलाप जिन्हें सामान्यतः उपर्युक्त क्रिया-कलापों में से किसी में लगे हुये व्यक्तियों द्वारा किया जाता हो, और जिनके अन्तर्गत कृषि-उत्पाद का क्रय-विक्रय, उनका संग्रहण तथा परिवहन और ऐसे किसी भी क्रिया-कलाप से सम्बन्धित उपकरणों तथा मशीन का अर्जन भी है, सम्मिलित है ;

(ख) "कृषक" का तात्पर्य कृषि में लगे व्यक्ति से है,

(ग) "बैंक" का तात्पर्य—

ऐक्ट संख्या 10,1949

(1) बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट, 1949 में यथा परिभाषित बैंकिंग कम्पनी,

ऐक्ट संख्या 23,1955

(2) स्टेट बैंकआफ इंडिया ऐक्ट, 1955 के अधीन संघटित बैंक आफ इंडिया,

ऐक्ट संख्या 37,1959

(3) स्टेट बैंक आफ इंडिया (सब्सीडियरी बैंक्स) ऐक्ट, 1959 में यथा परिभाषित सब्सीडियरी बैंक,

(4) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन संघटित तत्सम्बन्धी नये बैंक, — अधिनियम संख्या, 5, 1970

(5) बैंकिंग रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1949 की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी बैंककारी संस्था, — ऐक्ट संख्या 10, 1949

(6) एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन ऐक्ट, 1963 के अधीन संघटित कृषि पुनर्वित्त निगम, — ऐक्ट संख्या 10, 1963

(7) कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन निगमित उत्तर प्रदेश स्टेट ऐग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, लिमिटेड नामक कम्पनी, — ऐक्ट संख्या 1, 1956

(8) कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन निगमित एग्रीकल्चरल फाइनेंस कारपोरेशन, लिमिटेड कम्पनी, और

(9) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा बैंक के रूप में, गजट में, अधिसूचित किसी अन्य वित्तीय संस्था, से है ।

(घ) "सहकारी समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा रजिस्ट्रीकृत समझी गयी सहकारी समिति से है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता देना हो तथा इसके अन्तर्गत सहकारी भूमि विकास बैंक भी है ; — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966

(ङ) "वित्तीय सहायता" का तात्पर्य ऋणों, अग्रिम, प्रत्याभूति या अन्य रूप में (1) या तो किसी कृषक को कृषि प्रयोजनार्थ, अथवा (2) किसी सहकारी समिति को कृषि प्रयोजनार्थ अपने सदस्यों को ऋण तथा अग्रिम देने के लिये स्वीकृत सहायता से है;

(च) "भौमिक अधिकारों से सम्बन्धित विधि", का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, जौनसार-बावर जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 अथवा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 से है;

(छ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ।

अध्याय 2

बैंकों के पक्ष में भूमि अथवा भूमि में हित को संकामण करने का कृषकों का अधिकार

संक्रामण के अधिकार ऐसे कृषको में निहित करना जिनके पास ऐसे अधिकार न हों

3—राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किये जायं, समस्त सीरदारों, असामियों अथवा सरकारी पट्टदारों या सीरदारों, असामियों अथवा सरकारी पट्टेदारों के किसी भी वर्ग को उनके खाते के अधीन धृत भूमि का अथवा उक्त भूमि में उनके किसी हित का, जिसके अन्तर्गत ऐसी भूमि या हित पर कोई प्रभार सृजित करने अथवा उसे बन्धक रखने का अधकारी भी है, सामान्यतया बैंकों या किन्हीं निर्दिष्ट वर्ग के बैंकों के पक्ष में, ऐसे बैंकों से वित्तीय

सहायता लेने के प्रयोजनार्थ संक्रामण करने का अधिकार निहित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने पर ऐसे सीरदार, असामी अथवा सरकारी पट्टेदार को, भौमिक अधिकारों से सम्बन्धित विधि अथवा गवर्नमेंट ग्रान्ट्स ऐक्ट, 1895 (जैसा कि उसे उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित किया गया) में अथवा किसी अन्य विधि या किसी संविदा, अनुदान अथवा अन्य संलेख में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुये भी, अधिसूचना की शर्तों के अनुसार संक्रामण करने का अधिकार होगा ।

बैंक के पक्ष में फसल तथा अन्य जंगम सम्पत्ति पर प्रभार

4--(1) किसी कृषक के लिये किसी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के निमित्त अपने स्वामित्वाधीन जंगम सम्पत्ति अथवा अपने द्वारा उगाई गई फसल पर, चाहे वह खड़ी हो अथवा न खड़ी हो या अपने द्वारा कृष्ट भूमि की अन्य उपज पर, उस सीमा तक जहां तक उसमें उसका हित हो, उस बैंक के पक्ष में, प्रभार सृजित करना वैध होगा, भले ही वह ऐसे भूमि का, जिस पर तथा जिससे फसल उगाई जाय, स्वामी न हो ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966

(2) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 39 अथवा तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी कृषक द्वारा किसी सहकारी समिति को देय किसी ऋण अथवा अन्य बकाया मांग के सम्बन्ध में किसी प्रभार को, उसके द्वारा उगाई गयी फसल चाहे वह खड़ी हो या न हो, अथवा किसी अन्य जंगम सम्पत्ति पर जिसके सम्बन्ध में उसे किसी बैंक द्वारा वित्तीय सहायता दी गयी हो, प्रभार से पूर्विकता न मिलेगी बशर्ते बैंक द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता सहकारी समिति के ऋण या मांग से समय की दृष्टि में पूर्व की हो ।

उपज तथा जंगम सम्पत्ति का अभिहरण और विक्रय

5--तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई बैंक राज्य सरकार के किसी ऐसे पदाधिकारी के माध्यम से, जो राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ प्राधिकृत हो, बैंक के पक्ष में प्रभारित फसल अथवा अन्य उपज या अन्य जंगम सम्पत्ति को उस सीमा तक, जहां तक कृषक का उसमें हित हो, अभिहरित तथा उसकी बिक्री कर सकता है, और सरकारी देयों तथा अन्य पूर्विक प्रभारों को, यदि कोई हों, चुकता करने के पश्चात् ऐसी बिक्री के आगम को कृषक द्वारा बैंक को देय धनराशि की सीमा तक विनियोजित कर लेगा और ऐसी दशा में शेष, यदि कोई हो, कृषक को दे दिया जायगा ।

घोषणा द्वारा बैंक के पक्ष में भूमि पर प्रभार सृजित करना

6--(1) यदि कोई कृषक बैंक द्वारा उसे दी जाने वाली किसी वित्तीय सहायता को प्राप्त करने के लिए ऐसी भूमि अथवा किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति पर, जो उसके स्वामित्व में हो अथवा जिसमें उसका कोई हित हो, प्रभार सृजित करता है तो वह अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में या परिस्थितियों के अनसार लगभग उसी प्रकार के प्रपत्र में यथाविधि स्टाम्पित-पत्र पर यह घोषणा कर सकता है कि इसके द्वारा वह ऐसी भूमि, अथवा उसमें अपने हित अथवा अन्य स्थावर सम्पत्ति पर, जैसी भी दशा हो, बैंक के पक्ष में प्रभार सृजित करता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा में उस बैंक की सहमति से, जिसके पक्ष में घोषणा की गई है, कृषक द्वारा समय-समय पर फेरफार की जा सकती है ।

अध्याय–3

बैंकों के पक्ष में प्रभार तथा बंधक और उनकी पूर्विकतायें

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966

प्रभार सृजित करने तथा बंधक रखने में निर्योग्यता का हटाया जाना

7––उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 39 अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 22 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी तथा इस बात के होते हुए भी कि कोई भूमि अथवा उसमें निहित हित पहले से ही किसी सहकारी समिति के प्रति भारित अथवा बंधकित है किसी कृषक के लिए बैंक के पक्ष में ऐसे बैंक द्वारा उसे दी गयी किसी वित्तीय सहायता के निमित्त प्रतिभूति स्वरूप ऐसी भूमि अथवा उसमें हित को भारित करना या बंधक रखना वैध होगा ।

सरकार, बैंक तथा सहकारी समिति के पक्ष में प्रभारों और बंधकों की पूर्विकता

8––(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 39 अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 18 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी––

(क) सरकार के पक्ष में किसी भूमि अथवा उसमें हित पर सृजित किसी प्रभार या बन्धक को किसी ऐसे अन्य प्रभार या बंधक पर पूर्विकता दी जायगी जो किसी कृषक द्वारा ऐसी भूमि या हित पर सरकार के पक्ष में सृजित प्रभार या बन्धक के दिनांक के पूर्व बैंक या सहकारी समिति के पक्ष में सृजित किया गया हो ;

(ख) किसी भूमि अथवा उसमें हित पर किसी चेक के पक्ष में बैंक द्वारा कृषक को प्रदत्त वित्तीय सहायता के संबंध में सृजित प्रभार अथवा बन्धक को सरकार, सहकारी समिति अथवा अन्य किसी बैंक से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में ऐसी भूमि या उसके हित पर सृजित किसी ऐसे प्रभार अथवा बन्धक की अपेक्षा पूर्विकता प्राप्त होगी जो उक्त बैंक के पक्ष में सृजित प्रभार अथवा बन्धक के दिनांक के पूर्व सृजित किया गया हो ;

(ग) जहां कि किसी कृषक द्वारा किसी सहकारी समिति अथवा बैंक अथवा एकाधिक बैंक के पक्ष में एक ही भूमि अथवा उसमें हित पर विभिन्न प्रभार अथवा बन्धक सृजित किये गये हों, वहां विकास प्रयोजनार्थ दीर्घकालीन ऋण के रूप में सहकारी समिति अथवा बैंक या बैंकों द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता की प्रतिभूति के रूप में सृजित ऐसे प्रभार अथवा बन्धक को सहकारी समिति अथवा अन्य बैंकों के पक्ष में सृजित अन्य प्रभारों अथवा बन्धकों की अपेक्षा पूर्विकता दी जायगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी सहकारी समिति अथवा बैंक को विकास के प्रयोजनार्थ दीर्घकालीन ऋण के रूप में ऐसी वित्तीय सहायता की पूर्व नोटिस दे दी गई हो तथा ऐसी सहकारी समिति अथवा ऐसे वित्तीय सहायता के निमित्त सहमति दे दी हो, एवं जहां दीर्घकालीन ऋण के रूप में दी गयी वित्तीय सहायता के निमित्त प्रतिभूति के रूप में एकाधिक ऐसा प्रभार या बन्धक सृजित हुआ हो वहां विकास प्रयोजनार्थ दीर्घकालीन ऋण की प्रतिभूति के रूप में ऐसे प्रभारों अथवा बन्धकों को उनके सृजित होने के दिनांक के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी ।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "विकास प्रयोजनार्थ दीर्घकालीन ऋण" का तात्पर्य ऐसी वित्तीय सहायता से है जिसकी परिणति सामान्यतया कृषि के विकास अथवा कृषीय परिसम्पत्तियों के निर्माण में हो किन्तु इसके

अन्तर्गत लागत पूंजी परिव्ययों, मौसमी कृषीय क्रियाओं तथा फसलों के क्रय-विक्रय में लगाने के निमित्त वित्तीय सहायता नहीं है ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1964, बैंकों के पक्ष में प्रभार तथा बंधक का राष्ट्रीकरण

(2) इस धारा में कोई भी बात केवल एक या एकाधिक सहकारी समिति या समितियों, जिसके अन्तर्गत भूमि विकास बैंकों अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 में यथापरिभाषित राज्य भूमि विकास बैंक भी है, मात्र से ऋण ग्रहण पर लागू नहीं होगी ।

9—(1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसा प्रभार जिसके सम्बन्ध में धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा की गयी हो अथवा जिसके सम्बन्ध में उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन फेरफार की गई हो अथवा किसी भूमि अथवा उसमें हित पर अथवा अन्य स्थावर सम्पत्ति पर किसी कृषक द्वारा किसी बैंक के पक्ष में उक्त बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में निष्पादित बन्धक उस अधिनियम के उपबन्धों के अनसार ऐसे प्रभार, फेरफार अथवा बन्धक, जैसी भी दशा हो, के निष्पादन के दिनांक से रजिस्ट्रीकृत माना जायगा बशर्ते कि बैंक ने उसे उप-रजिस्ट्रार के पास, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर भारित अथवा बन्धकित सम्पत्ति पूर्णतः अथवा अंशतः स्थित हो, ऐसे निष्पादन के दिनांक से एक महीने के भीतर प्राप्ति स्वीकृति सूचक रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ऐसा प्रभार, फेरफार अथवा बन्धक सृजित करने वाले लेख्य की बैंक के किसी ऐसे नियोजिती द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि, जो तदर्थ हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत हो, भेज दी गयी हो, तथा उप-रजिस्ट्रार ने उसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 51 के अधीन विहित बुक संख्या 1 में लगा दिया हो । अधिनियम संख्या 16, 1908

(2) उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रभार, फेरफार अथवा बन्धक के सम्बन्ध में घोषणा प्राप्त करने वाला उप-रजिस्ट्रार उसके प्राप्त होने पर यथा-सम्भव शीघ्र, तथा यह अभिनिश्चय करने के उपरान्त कि लेख्य जिसमें यथा स्थिति, घोषणा, फेरफार अथवा बन्धक है, यथाविधि स्टाम्पित-पत्र पर लिखा गया है, उसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 51 के अधीन विहित बुक संख्या 1 में लगा देगा ।

(3) यदि उप रजिस्ट्रार की राय हो कि यथास्थिति, घोषणा फेरफार अथवा बन्धक यथाविधि स्टाम्पित-पत्र पर नहीं किया गया है तो वह लेख्य की प्रति को बैंक के पास यह अपेक्षा करते हुए वापस कर देगा कि बैंक कृषक से तीस दिन अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जिसे उप-रजिस्ट्रार तदर्थ अनज्ञात करे, स्टाम्प शुल्क की कमी को पूरा करा दे ।

(4) स्टाम्प की कमी पूरित होने के उपरान्त बैंक उपधारा (1) में उल्लिखित रीति से लेख्य की प्रति उप-रजिस्ट्रार के पास फिर भेजेगा तथा उप-रजिस्ट्रार तदुपरान्त उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार उसकी प्रति बैंक संख्या 1 में लगा देगा ।

(5) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में किसी बात के होते हुए भी, कृषक अथवा बैंक के किसी अधिकारी के लिये यह आवश्यक न होगा कि वह स्वयं अपना अथवा एजेंट द्वारा ऐसे लेख्य के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में अथवा उक्त अधिनियम की धारा 58 के अधीन विहित रीति से हस्ताक्षर करने के निमित्त रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित हो ।

10--(1) भौमिक अधिकारों से संबंधित किसी विधि अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई कृषक जिसने किसी बैंक से भूमि अथवा उसमें हित पर प्रभार या बन्धक सृजित करके वित्तीय सहायता प्राप्त की हो, उस अवधि तक जब तक कि वित्तीय सहायता की धनराशि उस पर बाकी रहे, न तो बिना बैंक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के ऐसी भूमि अथवा उसमें हित को पट्टे पर उठायेगा और उन उसमें किसी भी प्रकार काश्तकारी के अधिकार उत्पन्न करेगा और न ही एसी भूमि अथवा हित के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के अनधिकृत अध्यासन से अथवा विपरीत अध्यासन से ऐसे कोई अधिकार प्रोद्भूत होंगे ।

कृषक द्वारा गृहीता उधार द्वारा काश्तकारी अधिकार सृजित करने पर निर्बन्धन

(2) इस धारा का उल्लंघन करके प्रदत्त कोई पट्टा अथवा सृजित कोई काश्तकारी अधिकार शून्य होंगे ।

अध्याय–4

बैंकों द्वारा देयों की वसूली

11---(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट कोई अधिकारी (जिसे आगे विहित प्राधिकारी कहा गया है), किसी बैंक के आवेदन पत्र पर, किसी कृषक अथवा उसके उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि को किसी धनराशि का जो कृषक को दी गई वित्तीय सहायता के फलस्वरूप बैंक को देय हो, किसी भूमि अथवा उसमें किसी हित का, जो ऐसी धनराशि का भुगतान करने के लिये भारित अथवा बंधकित हो, विक्रय करक, भुगतान करने का आदेश द सकता है :

विहित प्राधिकारी के माध्यम से किसी बैंक के देयों की वसूली

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन बिक्री का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि विहित प्राधिकारी द्वारा कृषक अथवा उसके उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि पर, जैसी भी दशा हो, देय धनराशि का भुगतान करने के लिये नोटिस तामील न कर दी जाय ।

(2) विहित प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश, धारा 12 के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम तथा दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा ।

(3) उपधारा (1) के अर्थ में विहित प्राधिकारी अथवा धारा 12 के अधीन के अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश सिविल न्यायालय की डिग्री समझा जायगा और उसका निष्पादन अधिकारितायुक्त सिविल न्यायालय द्वारा उसी प्रकार किया जायगा जिस प्रकार ऐसे न्यायालय की किसी डिक्री का निष्पादन किया जाता है ।

(4) किसी कृषक को दी गई वित्तीय सहायता के कारण बैंक को देय किसी धनराशि की वसूली के लिये कोई वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जायगा ।

12---(1) कोई पक्षकार, जो धारा 11 के अधीन विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध हो, आदेश के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे अपीलीय प्राधिकारी के, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निदिष्ट करे, समक्ष अपील कर सकता है ।

अपील

(2) अपीलीय प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे ।

अध्याय–5

बैंकों द्वारा सहकारी समितियों का वित्त-पोषण

रजिस्ट्रार की परिभाषा

13—इस अध्याय में, रजिस्ट्रार का तात्पर्य रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश से है, और इसके अन्तर्गत, सिवाय जहां प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित हो, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई अन्य अधिकारी भी है ।

बैंक द्वारा सहकारी समिति की बहियों का निरीक्षण

14—(1) बैंक को किसी भी सहकारी समिति की, जिसने या तो बैंक को वित्तीय सहायता के निमित्त आवेदन-पत्र दिया हो अथवा पहले दी गई वित्तीय सहायता के कारण बैंक का ऋणी हो, बहियों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(2) उक्त निरीक्षण, रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व स्वीकृति से, बैंक के किसी अधिकारी अथवा उसके सवेतन कर्मचारी वर्ग के किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जा सकता है ।

(3) बैंक का ऐसा अधिकारी अथवा कर्मचारी वर्ग का अन्य सदस्य, सभी युक्तियुक्त समय पर सहकारी समिति की अथवा उसकी अभिरक्षा में रखी लेखा-बहियों, लेखों, प्रतिभूतियों, रोकड़ तथा अन्य सम्पत्तियों को देख सकेगा और उसे ऐसी समिति द्वारा ऐसी सूचना, विवरण-पत्र तथा विवरणियां भी दी जायेंगी जो समिति की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने और समित को दी गई अथवा दिये जाने के लिये प्रस्तावित वित्तीय सहायता के सुरक्षार्थ उसे अपेक्षित हो ।

किसी बैंक तथा सहकारी समिति के मध्य विवाद

15—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, समिति अथवा उसकी कमेटी द्वारा समिति के किसी सवेतन कर्मचारी के विरुद्ध की गई आनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित विवादों से भिन्न, सहकारी समिति को वित्तीय सहायता देने वाले बैंक तथा ऐसी सहायता प्राप्त करने वाली सहकारी समिति के मध्य सहकारी समिति के संगठन, प्रबन्ध अथवा कार्य से संबंधित कोई विवाद निर्णय के लिये विवाद के किसी पक्षकार द्वारा रजिस्ट्रार को अभिविष्ट किया जायगा ।

(2) पूर्ववर्ती उपधारा के प्रयोजनार्थ यदि यह प्रश्न उठे कि निर्णय के लिये अभिदिष्ट कोई मामला विवाद है अथवा नहीं तो यह प्रश्न रजिस्ट्रार द्वारा निर्णीत किया जायगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

विवादों का निपटारा

16—(1) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि कोई मामला जो उसे अभिदिष्ट किया गया है अथवा उसकी जानकारी में लाया गया है, धारा 15 के अन्तर्गत विवाद है तो रजिस्ट्रार स्वयं विवाद का निर्णय करेगा अथवा उसे अपने द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी के पास निस्तारण के लिये अभिविष्ट कर देगा ।

(2) यदि पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन कोई विवाद रजिस्ट्रार के नामांकिती के पास अभिविष्ट किया जाय तो रजिस्ट्रार ऐसे विवाद को किसी भी समय उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अपने नामांकिती से वापस ले सकता है और विवाद को स्वयं निर्णीत कर सकता है अथवा उसे पुनः अपने द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी के पास निर्णयार्थ अभिविष्ट कर सकता है ।

(3) यदि रजिस्ट्रार की यह राय हो कि किसी सहकारी समिति और किसी बैंक के मध्य विवाद-ग्रस्त प्रश्न ऐसा है जिसमें विधि तथा तथ्य संबंधी जटिल प्रश्न सन्निहित है तो वह, आदेश द्वारा, उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही तब तक के लिये रोक सकता है, जब तक कि प्रश्न का विचारण विवाद के किसी पक्षकार द्वारा संस्थित नियमित वाद द्वारा न हो जाय। यदि ऐसे आदेश के दो मास के भीतर कोई वाद संस्थित न किया जाय तो रजिस्ट्रार उपधारा (1) में व्यवस्थित कार्यवाही करेगा ।

रजिस्ट्रार अथवा उसके नामांकिती का निर्णय

17—(1) जब विवाद निर्णयार्थ अभिदिष्ट किया जाय तो रजिस्ट्रार अथवा उसका नामांकिती विवाद के पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद, कार्यवाही के संबंध में विवाद के पक्षकारों द्वारा किये गये व्यय और रजिस्ट्रार अथवा उसके नामांकिती को देय फीस तथा व्यय के संबंध में अभिनिर्णय देगा। ऐसा अभिनिर्णय केवल इस आधार पर अविधिमान्य न होगा कि वह रजिस्ट्रार द्वारा विवाद का निर्णय करने के लिये निश्चित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दिया गया और केवल उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 96 के अधीन संगठित सहकारी न्यायाधिकरण को अपील किये जाने के अधीन रहते हुए, विवाद के पक्षकारों पर बन्धनकारी होगा ।

(2) माध्यस्थम अधिनियम, 1940 की कोई बात ऐसे अभिदेश अथवा अपील पर लागू न होगी ।

(3) कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रार या उनके नामांकित के अभिनिर्णय से क्षुब्ध हो, उस दिनांक से जब ऐसे व्यक्ति को ऐसा अभिनिर्णय संसूचित किया जाय, तीस दिन के भीतर न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है ।

(4) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई करने के पश्चात् न्यायाधिकरण ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह ठीक समझे ।

अभिनिर्णय की धनराशि की वसूली

18—रजिस्ट्रार अथवा उसके नामांकिती द्वारा अथवा धारा 17 के अधीन सहकारी न्यायाधिकरण द्वारा अपील पर दिया गया प्रत्येक अभिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायगा और उसका निष्पादन अधिकारितायुक्त सिविल न्यायालय द्वारा उसी प्रकार किया जायगा जिस प्रकार ऐसे न्यायालय की किसी डिक्री का निष्पादन किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966

किसी सहकारी समिति के बाकीदार सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने की बैंक की शक्ति

19—(1) यदि कोई सहकारी समिति, अपने सदस्यों द्वारा देय धनराशि का भुगतान न करने के कारण, उस बैंक को जिससे उसने ऋण लिया है अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हो, तो बैंक ऐसी समिति की कमेटी को ऐसे सदस्यों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन कार्यवाही करने का निदेश दे सकती है ।

(2) यदि सहकारी समिति की कमेटी बैंक से ऐसा निदेश प्राप्त होने के दिनांक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, अपने बाकीदार सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने में चूक करे तो बैंक स्वयं ऐसे बाकीदार सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है और उस दशा में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 और तद्धीन बनाये गये नियमों तथा उप विधियों के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों उक्त अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों में समिति अथवा उसकी कमेटी से संबंधित सभी अभिदेश बैंक के लिये अभिदेश हों ।

(3) यदि किसी बैंक ने किसी सहकारी समिति के विरुद्ध जो उसकी ऋणी हो, डिक्री या अभिनिर्णय प्राप्त कर लिया हो तो बैंक ऐसी धनराशि को प्रथमतः सहकारी समिति की परिसम्पत्तियों से तथा द्वितीय सहकारी समिति के सदस्यों से, उस सीमा तक जहां तक उनके द्वारा समिति को ऋण देय हो, वसूल करने की कार्यवाही कर सकता है।

समितियों की लेखा परीक्षा, निरीक्षण तथा जांच रिपोर्ट बैंकों को उपलब्ध होगी

20—रजिस्ट्रार, सहकारी समिति को वित्त पोषित करने वाले बैंक का ध्यान उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अध्याय 8 के अधीन एसी समिति के सम्बन्ध में की गई प्रत्येक लेखा परीक्षा अथवा जांच या निरीक्षण में पाई गई त्रुटियों की ओर आकर्षित करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा, जांच अथवा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति, यदि बैंक द्वारा लिखित रूप में मांगी जाय, उसे देगा। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966

अध्याय 6

प्रकीर्ण

साहूकारी तथा कृषक ऋण अनुतोष से संबंधित विधायनों से छूट

21—साहूकारी अथवा कृषक ऋण अनुतोष से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की कोई बात बैंक द्वारा किसी कृषक को दी गई वित्तीय सहायता पर लागू न होगी।

संयुक्त हिन्दू कुटुम्बों के प्रबन्धकों द्वारा निष्पादित बन्धक

22—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के कर्ता द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के निमित्त बैंक के पक्ष में किया गया कोई बन्धक अथवा सृजित भार ऐसे संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य पर बन्धनकारी होगा।

(2) यदि बैंक के पक्ष में किये गये बन्धक अथवा सृजित प्रभार पर इस आधार पर कि वह संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के प्रबन्धक द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिये सृजित किया गया था जो कृषि प्रयोजन नहीं था अथवा किसी अन्य आधार पर कोई आपत्ति की जाय, तो उसे सिद्ध करने का भार ऐसा अभिकथन करने वाले पक्षकार पर होगा।

अधिनियम संख्या 32, 1956 की धारा 8 का परिष्कृत रूप में लागू होना

23—हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8 वित्तीय सहायता प्राप्त करने के निमित्त किसी बैंक के पक्ष में बन्धक अथवा प्रभार के सम्बन्ध में इस परिष्कार के साथ लागू होगी कि उसमें न्यायालय के लिये अभिदेश को कलेक्टर अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत सहायक कलेक्टर को अभिदेश समझा जायगा और कलेक्टर अथव ऐसे सहायक कलेक्टर के विरुद्ध अपील आयुक्त को की जायगी।

अधिनियम संख्या 36, 1963 की धारा 4, 5 तथा 12 का लागू होना

24—इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों पर परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4, 5 तथा 12 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

25—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि पर्यन्त एक सत्र में अथवा एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकती है, रखे जायेंगे और यदि उक्त अवधि में दोनों सदन नियम में कोई परिष्कार करना चाहें अथवा यदि दोनों सदन सहमत हों कि नियम न बनाया जाय तो वह नियम तत्पश्चात यथास्थिति, ऐसे परिष्कृत रूप में प्रभावी होगा अथवा प्रभावहीन हो जायेगा किन्तु ऐसा परिष्कार अथवा अभिशून्यता उस नियम के अधिन हले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रभाव न डालेगा।

अनुसूची

धारा 6 (1) के अधीन घोषणा

मैं,——————————(आयु——————वर्ष)——————————
निवासी——————————बैंक से वित्तीय सहायता का स्वयं लाभ उठाने का इच्छुक होने के नाते उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 6 (1) की अपेक्षानुसार यह घोषणा करता हूं कि नीचे निर्दिष्ट भूमि का मैं,——————
——————स्वामी हूं / खातेदार के रूप में हित रखता हूं तथा मैं बैंक के पक्ष में एतद्द्वारा उक्त भूमि/भूमि के हित पर बैंक से वित्तीय सहायता पाने के लिये, जो बैंक दे तथा भविष्य में दी जाने वाली समस्त सहायता के लिये, यदि कोई हो, जो बैंक मुझे दे जिसमें उसका ब्याज, तथा लागत और उस पर होने वाले व्यय भी सम्मिलित हैं, एतद्द्वारा प्रभार सृजित करता हूं।

गांव का नाम	परगना तथा तहसील का नाम	जिले का नाम	सर्वेक्षण संख्या नगर सर्वेक्षण संख्या		सीमायें	
			गाटा (प्लाट) संख्या	गाटा (प्लाट) हिस्सा	दक्षिण पूर्व	उत्तर पश्चिम

क्षेत्रफल		कर निर्धारण	लगभग मूल्य	भार ग्रस्तता, यदि कोई हो		अभियुक्ति, यदि कोई हो
एकड़	गुंठा	रु0	पै0	प्रकार	धनराशि	

इसके साक्ष्य में, मैं श्री——————————आज——————वार——————
दिनांक——————————एक हजार नौ सौ——————————को हस्ताक्षर करता हूं।

साक्षी

निम्नलिखित की उपस्थिति में उपरिलिखित द्वारा हस्ताक्षरित तथा परिदत्त——————

(1)

(2)

घोषणा करने वाले के हस्ताक्षर

निम्नलिखित द्वारा अनुप्रमाणित—

समादर सहित तहसीलदार की घोषणा के अधीन सृजित प्रभार ——————————के ब्योरों का अधिकार अभिलेख में सम्मिलित करने तथा बैंक को अपने अभिलेख में रखने हेतु उन्हें वापस करने के लिये सानुरोध अग्रसारित ।

प्रबन्धक/एजेन्ट

——————————बैंक——————————

——————————स्थान——————————

समादर सहित प्रबन्धक/एजेन्ट——————————बैंक को प्रत्यावर्तित घोषणा के अधीन सृजित प्रभार दिनांक——————19——————को अधिकार अभिलेख में यथाविधि सम्मिलित कर लिया गया ।

तहसीलदार

समादर सहित उप-रजिस्ट्रार की घोषणा के अधीन सृजित——————————प्रभार के ब्योरों को अपने कार्यालय में अभिलिखित करने हेतु अग्रसारित ।

प्रबन्धक/एजेन्ट

——————————बैंक——————————

——————————स्थान——————————

समादर सहित प्रबन्धक/एजेंट——————————बैंक को प्रत्यावर्तित घोषणा के अधीन सृजित प्रभार को यथाविधि अभिलिखित कर लिया गया है ।

उप-रजिस्ट्रार ।

उद्देश्य तथा कारण

सितम्बर, 1969 में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर ने स्टेट बैंक आफ इंडिया के चेयरमैन श्री आर0 के0 तलवार की अध्यक्षता में राज्य की उन अधिनियमितियों का अध्ययन करने के लिये, जिनका वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषकों को दिये जाने वाले ऋणों पर प्रभाव पड़ता हो एक विशेषज्ञ समिति संघटित की थी। कृषि क्षेत्र के लिये अपेक्षित ऋण की अपार राशि और केवल सहकारिताओं द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में असमर्थता को ध्यान में रखते हुए, विशेषज्ञ समिति ने कतिपय सिफारिशें इस उद्देश्य से की थीं कि वाणिज्यिक बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान अधिकाधिक कृषकों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को यथासम्भव पूरा कर सकें। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये वर्तमान विधियों में कतिपय संशोधन करने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात यह विधेयक तैयार किया है।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश कृषि उधार विधेयक, 1973 पुरः स्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
वित्त मंत्री।

प्रतिनिहित विधायन के सम्बन्ध में ज्ञापन-पत्र

इस विधेयक के खण्ड 25 के उपखण्ड (1) द्वारा राज्य सरकार को विधेयक अधिनियमित हो जाने पर उसके प्रयोजनों की पूर्ति के लिये नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है।

इस प्रकार बनाये गये नियम, उक्त खण्ड 25 के उपखण्ड (2) के अनुसार राज्य विधान मण्डल के निर्णयाधीन होंगे।

नारायणदत्त तिवारी,
वित्त मंत्री।

प्रतिलिपि अनुभाग

पी0 एस0 यू0 पी0-ए0 पी0 26 एल0 ए0-1974-835